राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ४६वां दिवस [संख्या २६

गुरुवार, २७ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६१५ -

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

सूरजपोल हींदा की मोरी, जयपुर

६१६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर शहर में सूरजपोल हींदा की मोरी के सामने के नल का पानी रामगंज की चौपड़ तक बह कर रास्ते को कीचड़ से गन्दा कर देता है ? यदि हां, तो क्या इस पानी को हींदा की मोरी में एक पक्की नाली बना कर निकालने का सरकार का विचार है ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त नाली कब तक बना दी जावेगी और नहीं तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं। इस प्रश्न का संबंध म्युनिसिपल कौन्सिल, जयपुर से है। इसको पूरी कराने के लिए पूछ रहे हैं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मक्का की फसल

६१७. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में मक्के की फसल की उन्नति के लिये क्या कोई योजना क्रियान्वित की गई थी ? यदि हां, तो किस इलाके में ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत कितना खर्च अब तक किया गया और प्रति वर्ष उससे क्या लाभ हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) उदयपुर में मक्का विकास योजना १९५१–५२ से प्रारम्भ हुई जिसका व्यय आधा राज्य सरकार तथा आधा अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा देना स्वीकृत हुआ था।

(२) इस पर पिछले ६ वर्षों में करीब २३,२५०) रु० कुल व्यय हुआ।

Page No.2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अनुसंधान कार्य की प्रगति इस प्रकार है:-

(क) राजस्थान मक्का तथा अन्य भारतीय मक्का की परिवर्तन-क्षमता का अध्ययन किया गया।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की संकर मक्का तथा अन्य. देशों की मक्का को बोकर जांच की गई तथा इसके परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि यू. ए. एस. १३ संकर मक्का का ३४ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

(ग) खुली गर्भाधान किस्मों में चुनी बस्सी तथा चुनी उदयपुर किस्में अच्छी साबित हुई तथा इनका बीज वितरण किया जा रहा है।

(घ) ऊँचे धरातल तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये पालन किस्म की मक्का भी अधिक अच्छी पाई गई। उचित किस्म की स्वप्रजनित मक्का की किस्मों के पौधे तैयार किये गये जो भविष्य में संकर प्रजनन के माध्यम के रूप में काम में आयेंगे।

श्री तनसिंह : जो २३,००० रु० खर्च हुए उनमें से लोगों को लोन भी दिया गया है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

ग्राम पंचायतें तहसील राजगढ़ (चूरू)

६१८. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत रामसरा ताल सूरतपुरा व बघेला में कितने-कितने पंचों के स्थान कितने-कितने समय से रिक्त हैं तथा इन्हें इतने अर्से तक रिक्त रखने के क्या कारण हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : रामसरा ताल पंचायत : एक पंच दिनांक १२. १. ५७ से। इस सीट के चुनाव के लिए १२. १. ५७ को लिखा जा चुका है परन्तु सही तौर पर वार्ड नहीं बनने से चुनाव नहीं हो सका। अब इस पंचायत की अवधि खत्म होने में ६ महीने से कम अर्सा रह गया है इसलिये राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ की धारा २० के अन्तर्गत चुनाव की आवश्यकता नहीं।

सूरतपुरा पंचायतः एक पंच का स्थान करीब तीन माह से रिक्त है और चूंकि अवधि खत्म होने में ६ महीने से कम रह गए इसलिए चुनाव की आवश्यकता नहीं।

बघेला पंचायत : कोई स्थान रिक्त घोषित नहीं हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : वार्ड बनने में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई तहकीक तो मालूम नहीं कि क्यों नहीं बने, लेकिन घरों का झगड़ा था; कुछ लोग कहते थे कि कुछ घर इस वार्ड में होने चाहिये और दूसरे कहते थे कि वे ही घर दूसरे वार्ड में होने चाहिये इसलिये वार्ड्स पहले नहीं बन सके। पंचायत कानून के अनुसार जनरल इलेक्शन में ६ महीने से कम समय रहता है तो रिक्त स्थान का चुनाव नहीं कराया जाता।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने फरमाया कि १२. १. ५७ से एक स्थान रिक्त है। क्या एक वार्ड के लिये इतना समय लगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव का आदेश दिया जा चुका था, लेकिन वार्ड का कुछ झगड़ा है, इधर के उधर घरों का झगड़ा

Page No.3

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्त)

है जो तय नहीं हो सका । कायदा यह है कि जनरल इलैक्शन में जब ६ महीने ही रह जाते हैं तब रिक्त स्थान का चुनाव नहीं कराया जाता, इसलिये यह स्थान भी नहीं भरा गया।

श्री मोहरसिंह : १२ महीनों तक एक वार्ड के बारे में निश्चय नहीं कर सके ऐसी क्या दिक्कत थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नियम है कि यदि जनरल इलैक्शन में ६ महीने ही रह जाते हैं, एक स्थान का चुनाव नहीं कराते हैं, क्योंकि फिर दुबारा इलैक्शन कराना पड़ता है। इस सीट को भरने के लिये पहले आदेश दिया गया था, लेकिन वार्ड की गड़बड़ी के कारण चुनाव नहीं हो सका ।

श्री मोहरसिंह : ६ महीने का नियम है लेकिन ४ महीने अभी और भी बाकी है और १२ महीने आदेश दिये हो गये, कुल १६ महीने हो जायेंगे फिर भी इलैक्शन क्यों नहीं करवाया गया ? इसमें दिक्कत क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ी दिक्कत थी तभी तो नहीं कराया गया ।

शाहपुरा झुन्झुनू सड़क

६१६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शाहपुर से झुंझुनू तक सड़क कोलतार की बनाने की योजना तय कर ली गई थी ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं हुआ ?

(ख) अब सरकार इसको कितने दिन में आरम्भ करके पूरा कर देगी ?

(ग) क्या सरकार ने इसका प्रसंविदा (कांट्रेक्ट) किसी व्यक्ति को दे दिया है ?

(घ) इस सड़क का कितना निर्माण-व्यय निश्चित किया गया था तथा उसमें से अब तक कितना खर्च हो गया ?

(ङ) क्या शेष धन से सड़क का निर्माण सम्पन्न होने की आशा है, यदि नहीं तो कितना धन और लगेगा ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) योजनानुसार कार्य आरम्भ किया जावेगा।

(ख) वर्ष १६५६-६० में प्रारम्भ करने की योजना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) ५,८५,०००) कुल खर्च होगा ।

प्रश्न संख्या ६२०

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों का निर्माण (जिला पाली)

६२१. **श्री बेनाराम गहलोत** : (खारची) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़कों का पाली जिले में सरकार निर्माण करने का विचार रखती है ?

(ख) क्या उपरोक्त जिले में आगामी पांच वर्षों में कोई डामर की सड़क बनाने

Page No.4

(श्री बेनाराम)

का भी सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची प्रस्तुत है।

(ख) जी हां।

१. जोधपुर से नीमाज सड़क वाया बिलाड़ा जैतारण।

२. जोधपुर से जालोर वाया आहोर।

३. पाली सुमेरपुर रोड।

४. सुमेरपुर से आहोर मील १४ से ३० तक।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

शहरों व कस्बों के विकास के लिये लोन व सहायता के लिये दी गई धन-राशि

६२२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** : (उनियारा) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान बनने के बाद अब तक शहरों और कस्बों के इम्प्रूवमेंट के लिये लोन व सहायता के रूप में किस-किस शहर व कस्बे के लिये कितना धन दिया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उनियारा नगरपालिका ने भी कस्बा की उन्नति के लिये धन की मांग की थी ?

(ग) टौंक डिस्ट्रिक्ट में किस-किस जगह कितनी-कितनी रकम दी गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (क) सूची (अ) व (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नहीं मिली।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेज दी है सारे राजस्थान की।

(ख) जी हां।

(ग) सदन की मेज पर रखी हुई सूची में यह सूचना भी अंकित कर दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह : उणियारा म्युनिसिपेलिटी ने मांग की थी वह पूरी हुई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके लिये कई बार निवेदन किया है कि जल्दी ही विचार किया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जल्दी विचार करते हुए ३ साल हो गये। पिछले बजट के समय कहा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो कार्य-काल के ५ साल बाकी है।

दौसा में जलकष्ट निवारण की व्यवस्था

६२३. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या वाटर वर्क्स मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कस्बा दौसा में पानी की कमी की जटिल समस्या है ?

(ख) यदि हां, तो उसका निदान कब तक होगा ?

Page No.5

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। दौसा में जल का अभाव है।

(ख) हां, आशा है आगामी वर्ष तक।

श्री रामधन : एक वर्ष तक क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : इन्तजारी होगी।

आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर

९२४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक कालेज जयपुर की वर्तमान बिल्डिंग में विद्यार्थियों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है ?

(२) क्या उपरोक्त कालेज को भवन निर्माण के लिये ५ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि यहां विद्यार्थियों के आवास के लिये कोई छात्रावास भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में भी कोई योजना बनाई है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां। भवन निर्माण के लिये जन-निर्माण विभाग को शीघ्र चालू करने के लिये लिख दिया गया है।

(३) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ९२५

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

वायरलैस सैट की खरीद

९२६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, गृह विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या फरवरी १९५३ में पुलिस विभाग ने लगभग दो लाख की कीमत के वायरलैस सैट खरीदे थे ?

(२) सरकार ने इस खरीद की स्वीकृति कब दी ?

(३) क्या इस विषय में टैन्डर मांगे गये थे अथवा कोटेशन भी किसी से लिये गये थे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में)।

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : मैं आपका ध्यान पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट (पार्ट फोर्थ) पेज २१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है :

"In connection with the purchase of wireless transmittor sets and the other equipment at a total cost of 1,62,520/- in February, 1953 the audit has pointed out that neither any tenders invited nor any quotations were obtained......

यह गलत है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not for wireless sets and for other equipment. Perhaps some other generator sets वगैरह के लिये है not for wireless sets. Wireless sets were

Page No.6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

purchased direct from Goverment of india and not from other firms.

श्री तनसिंह : वायरलैस सैट्स और अदर इम्पलीमेन्ट्स फरवरी ५३ में खरीदे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल है सिर्फ वायरलैस सैट्स के लिये। सवाल में लिखा है, "क्या फरवरी १९५३ में पुलिस विभाग ने लगभग दो लाख की कीमत के वायरलैस सेट्स खरीदे थे।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये वायरलैस सैट्स हैं या नहीं ! पी. ए. सी. की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि खरीदे गये इम्प्लीमेंट्स वगैरह। अब मान लीजिये कि वायरलैस सेट्स नहीं खरीदे गये और इम्पलीमैन्ट्स खरीदे गए, तब भी टैक्निकली आपको सूचना देने में क्या आपत्ति है !

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पूरी इन्फॉर्मेशन मांगिये, मैं दूंगा। आपने वायरलैस सैट के लिये पूछा उसका जवाब दे दिया गया।

श्री तनसिंह : आपने इम्पलीमेंट्स फरवरी ५३ में मांगे या नहीं ! इसके लिये टैन्डर कॉल किये थे या नहीं !

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अलग सवाल पूछिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सन् ५३ में कोई वायरलैस सैट्स नहीं खरीदे !

श्री दामोदरलाल व्यास : डाइरेक्टर जनरल ऑफ डिस्पोज़ल एण्ड सप्लाई से मंगवाये थे।

श्री तनसिंह : क्या यह माना जाय कि फरवरी ५३ में कोई नहीं खरीदे !

श्री दामोदरलाल व्यास : No wireless sets were purchased in 1953 or afterwards from any private firm. They were only taken from Goverment of India, Disposals Department.

श्री तनसिंह : किसी से भी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के किसी डिपार्टमेंट से हो। मैंने यह थोड़े ही पूछा है कि प्राइवेट पार्टी से टैन्डर मांगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि टैन्डर का कोई सवाल नहीं है।

श्री तनसिंह : सैंक्शन कब दी गई और खरीदे कब गये, यह प्रश्न के भाग (३) में पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के डाइरेक्टोरेट ऑफ सप्लाईज़ एण्ड डिस्पोज़ल से पुलिस वायरलैस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स के मारफत खरीदे गये।

श्री तनसिंह : सैंक्शन कब दी गई !

श्री दामोदरलाल व्यास : कैसी सैंक्शन !

श्री तनसिंह : एक्सपैन्डीचर की। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सारे सेट्स जयपुर में खरीदे गये लेकिन मिनिस्टर साहब बिल्कुल इवेसिव रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल डेफिनिट जवाब दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था, "Purchased from Government of India."

Page No.7

नगरपालिका, नैनुआ

६२७ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नैनुआ नगरपालिका की चुनाव-अवधि कब समाप्त हुई व वहां फिर से चुनाव किस तारीख को हो रहे हैं ?

(ख) इस अर्से के बीच वहां कौन कार्य कर रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : नैनुआ नगरपालिका की अवधि ३१-१-५८ को समाप्त हुई । जिलाधीश, बूंदी से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार चुनाव दिनांक १४-३-५८ के लिये निश्चित किये गये हैं ।

(ख) सब डिवीजनल ऑफिसर, नैनुआ, प्रशासक के रूप में नैनुआ नगरपालिका का कार्य कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ये चुनाव हो जाने के बाद अब भी वे कार्य कर रहे हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन का इलेक्शन होना बाकी है, चेयरमैन का इलेक्शन होने के बाद नहीं करेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : चुनाव का क्या नतीजा हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जीत गये वे चुने गये ।

श्री मुरलीधर व्यास : चुनाव में जो खड़े हुए उनमें से जीतने वाले ही हैं । नतीजा आपके डिपार्टमेन्ट का क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नतीजा किस लिहाज से ? पार्टीज के लिहाज से क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विभाग की ओर से चुनाव का आदेश दिया गया वह संपन्न हो गया है । अब चेयरमैन का चुनाव होने वाला है ।

प्रश्न संख्या ६२८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

नगरपालिका, किशनगढ़

६२९. **श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नगरपालिका, किशनगढ़ ने यज्ञनारायण हॉस्पिटल के पास जो जमीन खाली पड़ी है उसे सार्वजनिक बगीचा लगाने के लिये सरकार से मांगा है ?

(ख) अगर हां, तो क्या उक्त जमीन सरकार ने नगरपालिका को देना मंजूर कर लिया है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) विचाराधीन है ।

(ग) नामंजूर नहीं हुआ है, विचाराधीन है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या जवाब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नामंजूर नहीं हुआ विचाराधीन है। यह जमीन ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की है, उनसे लिखा-पढ़ी की जा रही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह जमीन आपके सुपुर्द है, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का ताल्लुक नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी सूचना है कि यह जमीन ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की है, अगर लोकल सेल्फ की है तो म्यूनीसिपैलिटी काममें ले सकती है। अगर गवर्नमेन्ट की लेंड है जो म्यूनीसिपैलिटी को अख्तियार दिया हुआ है, वह उसको काम में ले सकती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : म्यूनीसिपल कमेटी काम में लेने लगी, तो इन्कार कर दिया आपके डाइरेक्टर साहब ने।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे कागज आये हुए हैं, उनसे मैंने जानकारी की है कि यह ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की जमीन है, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है। मैं फिर देखूंगा।

श्री पुरुषोत्ताम लाल शर्मा : इस जमीन का ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक नहीं है, हैल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

वन लगाने सम्बन्धी योजना, हनुमानगढ़

६३०. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ के जंगल को कटवा कर दूसरी बारानी जगह में जंगल लगाने की स्कीम है ? अगर हां, तो कितने हजार बीघा में जंगल काटा गया और दूसरी जगह कितने हजार बीघा में जंगल लगाया जा रहा है ?

वन मंत्री श्री : (नाथूराम मिर्धा) जी हां, करीब १०,३७५ बीघा जमीन में से पेड़ काटे गये। ७८,४० बीघा (४६००) एकड़ जमीन में जंगल लगाने की स्कीम है।

श्री श्योपतसिंह : इसमें कौनसी बात सही है, रेवेन्यु मिनिस्टर ने कहा कि इस फॉरेस्ट के लिए ६ हजार बीघा जमीन ली है और आप कह रहे हैं कि सात हजार बीघा जमीन ली जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्कीम इतने बीघा जमीन में पेड़ लगाने की है। वैसे ६,३१३ बीघा (५३१३ एकड़) जमीन है।

श्री श्योपतसिंह : इस जंगल को काट कर, जो सैकड़ों साल से था, दूसरी जगह जंगल लगाने में क्या स्वार्थ था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिसको जंगल कहना चाहिए, वह जंगल नहीं था। एक बीड़ था, उस बीड़ की जमीन बहुत अच्छी थी, उसको पेडी कल्टीवेशन के लिए तैयार किया गया है और दूसरी जगह जमीन ली है, जहां एक कॉमर्शियल टाइप का फॉरिस्ट लगावेंगे। मलवरी, शीशम जैसे कीमती पेड़ उसमें लगायेंगे।

श्री श्योपतसिंह : क्या कीमती पेड़ के लिए कीमती जमीन नहीं चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन कीमती है, इसीलिए वहां पेडी कल्टीवेशन करेंगे और दूसरी जगह जमीन फॉरेस्ट के लिए ली है।

श्री श्योपतसिंह : आपकी क्या यह राय है कि उपजाऊ जमीन में जंगल न लगा कर रद्दी जमीन पर जंगल लगाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन पड़ी रहने से कीमती और उपजाऊ बन जाती है ।

श्री श्योपतसिंह : कीमती और उपजाऊ जमीन है उसको बहुत दिनों तक खाली रखेंगे और दूसरी को उपजाऊ बनायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर दरख्त लगाना शुरू कर दिया गया है । वह जमीन अच्छी बनती जा रही है और जो जमीन अच्छी बनी हुई है वहां चावल काश्त होगा ।

श्री श्योपतसिंह : आपको कहां से रिपोर्ट मिली है कि वहां ज्यादा दरख्त नहीं हैं । मैं आपको बताऊं कि यह गहरा जंगल है । मैंने खुद ने देखा है । आप किस बेसिस पर कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका देखा हुआ होगा । आप जिसको जंगल कहते हैं, वह जंगल नहीं है । आप जंगल डेजर्ट इलाके को भी कह सकते हैं । आप उसको ठीक समझ सकते हैं ।

श्री श्योपतसिंह : यह डेजर्ट एरिया में नहीं है । मेरी रिपोर्ट है कि यह जमीन बहुत फर्टाइल जमीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको आप कुछ भी कहें । आपका जंगल का आइडिया कुछ और हो सकता है । जंगल जिसे कहते हैं वह कुछ और होता हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने किससे जानकारी करवाई कि दूसरी जगह जंगल बहुत अच्छा बनेगा । कौन टेक्नीकल एडवाइज़र था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग के चीफ कन्जर्वेटर एक्सपीरियेन्सड हैं, वे जानकारी करते हैं और स्कीम बनाने का उनका काम है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उन्होंने यह जानकारी दी है कि उस जगह अच्छा जंगल बन जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं तो, मैं फिर कहां से जवाब दे रहा हूं । उनकी जानकारी लिये बिना कहां से जानकारी दे रहा हूं ।

श्री श्योपतसिंह : ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है कि वहां जंगल अच्छा बनेगा ; यह गलत हैं, मैं चेलेंज देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : फिर भी जिम्मेदारी इनकी है ।

प्रश्न संख्या ६३१

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द मोहिल ।

वृक्षारोपण

६३२. **श्री जयचन्द मोहिल** : (कपासन) क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५६-५७ में वन विभाग द्वारा कहां-कहां व कितने बीघा भूमि पर नये वन लगाये गये ?

(ख) उक्त वर्ष में काश्त हेतु वन विभाग से रेवेन्यु विभाग को किस-किस जिले में कितनी कितनी भूमि दी गई ?

[नोट : प्रश्न सूची में जो प्रश्न दिया गया है, वह उपर्युक्त है, किन्तु माननीय मंत्री

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

महोदय द्वारा प्रश्न के चार भागों का उत्तर दिया गया है, जो निम्नलिखित है :—]

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क)	१९५६	४,२३६ एकड़
	१९५७	७,८६८ एकड़

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग)	२०५९	२ एकड़
(घ)	कोटा	७४० एकड़
	टोंक	३१३ एकड़
	जयपुर	२७६.६ एकड़
	भरतपुर	५८१ एकड़
	चित्तौड़	१४६.६ एकड़
	योग	२०५९.२ एकड़

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयचन्द मोहिल : ये वन किस भूमि में लगाये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ये वन किस भूमि पर लगाये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस जगह जंगल बनाये जा सकते हैं वहां लगाये गये हैं, बारानी जमीन है।

श्री जयचन्द मोहिल : इनमें सफलता मिलती है या नहीं ?

श्री नाथूराममिर्धा : बहुत अच्छी सफलता मिलती है।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

नगरपालिकाओं द्वारा की गई नियुक्तियां, जिला सवाई माधोपुर

९३३. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) म्युनिसिपल बोर्डों में (लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा) पास ही क्लर्क नौकरी में लिये जाने के आदेश के बावजूद जून सन् ५६ के पश्चात् सवाई माधोपुर जिले के किन किन म्यु० बोर्डों में बिना एल. एस. जी. डी. योग्यता के सेक्रेटरी पद पर तकररी की गई ?

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों की शिक्षा कहां तक है ?

(ग) उनको किस ग्रेड से भर्ती किया गया और स्टार्ट में क्या वेतन दिया गया ?

(घ) उनकी तनख्वाह के स्टार्ट के बारे में क्या कोई ऑडिट एतराज हुआ ? अगर हुआ तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(ङ) बिना एल. एस. जी. डी पास व्यक्तियों को हटा कर उनके स्थान पर एल. एस. जी. डी. पास व्यक्ति लिये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (क) गंगापुर और टोडा भीम नगरपालिकाओं में।

(ख) दोनों मैट्रिक पास हैं।

श्री सतीशचन्द्र : साफ समझ में नहीं आता है साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (ग) १. श्री गोपालराम गंगापुर को ७५-४-९५ ई. बी ५-१५० की ग्रेड में ९५ रु० माहवार, २ श्री हरिशंकर टोडा भीम को ६०-३-९० ई. बी. ५-१२० के ग्रेड में ६० रु० माहवार वेतन दिया गया।

(घ) जी हां, गोपालराम के विषय में

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ऑडिट एतराज अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) जो सेक्रेटरी एल. एस. जी. डी. पास नहीं हैं उनको एल एस. जी. डी. पास करने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : इनको अपॉइन्ट किया गया, क्या ऐसे व्यक्ति नहीं थे लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट के डिप्लोमा होल्डर हों, क्या ऐसे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपॉइन्ट किया गया

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कहीं म्युनिसिपैलिटी अपने आदमियों को उपयुक्त समझती है, उनके कहने पर ऐसा कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर

६३४. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर की स्थापना कब हुई थी और इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा सेक्रेटरी कौन थे ?

(ख) क्या यह सच है कि मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सेक्रेटरी ने अपनी जिम्मेदारी से ७२,००० रु० का नाज सरकार से लिया और इसका आज तक कोई हिसाब नहीं है ?

(ग) उपरोक्त रकम में से जो रकम गबन हुई है वह कितनी है और सरकार उसे कब तक तथा किस किस से वसूल करेगी ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) दिनांक २४. ३. ४६ को। समिति के मैनेजिंग डाइरेक्टर व मंत्री समिति के बनने से भंग होने तक श्री पन्नालाल पंचोली व श्री हीरालाल जैन क्रमशः रहे।

(ख) समिति के उपलब्ध रेकॉर्ड से ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(ग) इन्क्वायरी रिपोर्ट के अनुसार समिति में गबन होना प्रतीत नहीं होता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : नाज की खरीद समिति ने रिज़ोल्युशन पास करके की थी या व्यक्तिगत की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समिति की कार्य-समिति ने की है, उसको ऐसा करने का अख्तियारात थे।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह समिति लिक्विडेशन स्टेज में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसकी असेट्स और लाएबिलिटीज़ कितनी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों बराबर हैं, ६,८७० रु० १२ आ० १ पा० की लाएबिलिटी है और इतने के ही असेट्स हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात : कितने साल से कार्यवाही चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९५४ के बाद शुरू हुई है।

श्री लक्ष्मण हीरात : अब कब तक चलती रहेगी ?

Page No.12

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित तारीख नहीं बता सकता क्योंकि लिक्विडेशन का प्रोसीजर काफी लम्बा-चौड़ा है और उसके पूरे करने में जो वाजिब समय लगना चाहिए वह लगेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने ६ हजार की लाएबिलिटी बताई, इसमें सरकार जो नाज की कीमत दे रही है वह भी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां है। सिविल सप्लाई जो रुपया दे रहा है, वह इसमें मौजूद है और वह है, २,४०१ रु० १३ आ० ३ पाई।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सिविल सप्लाई के महकमे ने इसके बारे में कमीशन मुकर्रर किया था उसने ४३ हजार निकाले हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : सोसाइटी की लाएबिलिटी है, उसमें इतना है।

श्री जनार्दनराय नागर : आरम्भ में नाज कितने का खरीदा गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : शायद ७४ हजार का था।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें से कितनी रकम चुका दी गई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : ७२ हजार का नाज खरीदा था।

श्री सोहनलाल भटनागर : इस रिज़ोल्युशन को किस दिन पास किया था, सोसाइटी की कार्य समिति ने किस दिन पास किया था?

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द मोहिल। (विराम) वे कह रहे हैं कि १९५४से कार्यवाही चल रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह नहीं है, जो रिज़ोल्युशन पास किया गया था।

There was no resolution of the Samiti.

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा हुआ था कि जो समिति का उपलब्ध रेकॉर्ड है, उसमें है कि डाइरेक्टर और सेक्रेटरी स्वयं ने अपनी जिम्मेदारी से ७२,००० रु० का अनाज खरीदा (अश्रव्य) उपरोक्त व्यक्तियों ने समिति की ओर से अनाज खरीदा था, उसका अधिकार समिति की ओर से दिया गया था, जिसका रिकॉर्ड चोरी हो जाने से उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त सूचना पेश की है, वह इन्क्वायरी ऑफिसर ने रसद विभाग से प्राप्त की है।

श्री जनार्दनराय नागर : चोरी किन-किन स्थितियों में हुई और क्यों हुई, इसकी जानकारी दें?

श्री नाथूराम मिर्धा : चोरी कैसे हुई, यह नहीं बता सकता।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, एक इम्पॉर्टेन्ट क्वेश्चन और पूछना है। एक दफा तो यह कहा गया कि घाटा हो गया और एक बार यह कहा गया कि रिज़ोल्युशन से........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयचन्द मोहिल।

डाकुओं द्वारा व्यक्तियों का अपहरण

९३५. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासन) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५५-५६ और सन् ५६-५७ में कितने-कितने व्यक्तियों का डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया?

(श्री जयचन्द मोहिल)

(२) उन व्यक्तियों में से पुलिस अधिकारियों द्वारा कितने व्यक्ति छुड़ाये गये और डाकुओं को रुपए देकर कितने तथा कौन कौन व्यक्ति छूट कर आये ?

(३) अपहरण किए गए व्यक्तियों में से किनको डाकुओं ने मार दिया ?

(४) ऐसे कौन-कौन व्यक्ति हैं जो अभी तक लापता हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) (१) सन् १९५५ में २५, १९५६ में १३ तथा १९५७ में भी १३ इस तरह कुल ५१ व्यक्तियों का डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया।

(२) पुलिस द्वारा २० व्यक्ति छुड़ाये गये। रैन्सम देने के बाद २९ आदमी छोड़े गये जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

१. पुखराज
२. फूला बिसनोई
३. अजहिया
४. सावन
५. अलाबख्श
६. जीवन
७. जमाल
८. पन्जू
९. बालू
१०. नबीबख्श
११. लाला
१२. जवाया
१३. उमर
१४. सोजला
१५. अमरा
१६. काना
१७. प्रतापा
१८. पाबू
१९. बसता
२० भाकसा
२१. जमाल
२२. मौजअली
२३. भूरसिंह
२४. भोजराजसिंह
२५ रामरतन
२६. रामा
२७. हाथीराम
२८. रानाराम
२९ खींवराज

इस आदमी ने रुपया दिया ऐसी अफवाह है, किन्तु स्वयं ने इस अफवाह का खण्डन किया है।

एक व्यक्ति डाकुओं के सोते समय भाग आया तथा एक व्यक्ति को डाकुओं के रुपया पाने के प्रयास असफल होने पर नाक काट कर छोड़ दिया गया।

(३) डाकुओं द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।

(४) एक भी नहीं।

श्री बहादुरसिंह : क्या पुलिस का मुखबिर भी है जो मारा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा न कि मारा कोई नहीं गया।

श्री जयचन्द मोहिल : उनमें से पुलिस ने कितनों को डाकुओं से छुड़ाया और कितने रैन्सम देकर छूट कर आये ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा पुलिस द्वारा २० और २६ रैन्सम देकर छूट कर आये ।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

नगरपालिकाओं में प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम का लागू किया जाना

६३६. **श्री रिद्धिचन्द पालीवाल** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि म्यु० बोर्डों के क्लर्क तथा सेक्रेट्रियों के लिए प्रोविडेन्ट फन्ड स्कीम चालू करदी गई है लेकिन चतुर्थ/श्रेणी के कर्मचारी तथा हरिजनों के लिए लागू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) अब यह स्कीम निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कब तक चालू कर दी जावेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (बद्रीप्रसादगुप्ता) :

(१) जी हां । नगरपालिकाओं की वित्तीय हालत सुदृढ़ न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर प्रोविडेन्ट फन्ड स्कीम लागू नहीं की गई है ।

(२) इस सम्बन्ध में नगरपालिका से राय मांगी है कि यदि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर प्रोविडेन्ट फन्ड स्कीम लागू करें तो क्या नगरपालिकाएं इस व्यय को सहन कर सकती है ? उत्तर प्राप्त होने पर नियमों में संशोधन इत्यादि की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत ।

आयुर्वेदिक औषधालय, जिला पाली

६३८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं और वे कहां-कहां पर ?

(२) क्या इन औषधालयों को सरकार सहायता देती है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

(३) उपरोक्त औषधालयों में क्या क्या स्टाफ रखे जाने का प्रावधान है?

(४) क्या यह सही है कि उक्त औषधालयों में सब स्थानों पर पूरा स्टाफ नहीं है ?

(५) यदि हां, तो किस किस स्थान पर क्या क्या स्टाफ की कमी कब से है और क्यों ?

(६) उपरोक्त रिक्त स्थान कब तक भरे जाने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) पाली जिले में कुल ३३ सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय हैं । ये औषधालय निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

१. पाली २. गून्दोज ३. गुड़ा एन्दला ४. खेरवा ५. रास ६. फलना ७. मन्डारा ८ सेवाड़ी ९. बिजापुर १०. नाणा ११. लूनवा १२. सुमेरपुर १३. खिवान्दी १४. पालड़ी १५. बगड़ी १६. विजवा १७. नारलाई १८. सोड़

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

१६. नाडाल २०. गनेडी २१. घानेराव २२. सोजतरोड़ २३. आऊवा २४. जोजावर २५. मारवाड़ जंक्शन २६. रानावास २७. बराटिया खुर्द २८ बर २६. गिरी ३० खिवाडा ३१. आनंदपुर कालू ३२. कुशलपुर व ३३. कंटालिया।

इसके अतिरिक्त एक श्री रामदेव शर्मा नामक राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सक भी राजपुरा में है।

(२) उपर्युक्त ३३ औषधालयों के व्यय का पूरा भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राजपुरा के लिये ५० रुपया मासिक की सहायता वैद्य को दी जाती है।

(३) प्राचीन सरकारी औषधालयों में प्रत्येक में एक वैद्य व एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी रखे जाने का प्रावधान है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले नवीन औषधालयों में एक वैद्य, एक उप वैद्य एवं एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दिये जाने का प्रावधान है।

(४) जी हां।

(५) इन औषधालयों में पाली, रास व आउवा को छोड़ कर सभी स्थानों पर एक एक उपवैद्य की कमी है और यह कमी एकीकरण के समय से ही अर्थाभाव के कारण चली आ रही है।

(६) शनैः शनैः द्वितीय पंच वर्षीय योजनान्तर्गत अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत होने पर इसकी पूर्ति करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास!

कृषि विभाग के कर्मचारियों का एकीकरण

६३६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के कृषि विभाग में एकीकरण किस आधार पर किया गया?

(ख) क्या कृषि विभाग के समस्त कर्मचारियों का एकीकरण हो चुका है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) एकीकरण विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर कृषि विभाग का एकीकरण हुआ है।

(ख) कृषि विभाग के पुराने समस्त कर्मचारियों का एकीकरण हो चुका है व अजमेर, आबू और सुनेलटप्पा के कर्मचारियों का अभी अस्थाई रूप से एकीकरण हुआ है।

प्रश्न संख्या ६४०

श्री अध्यक्ष (श्री रामनारायण वर्मा) :

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल।

नावां रूपनगढ़ सड़क का निर्माण

६४१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या रूपनगढ़ तहसील की जनता की आवागमन की सुविधा व इस इलाके की उन्नति के लिये नावे से रूपनगढ़ तक सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी कोई विचार नहीं है।

पुलिस कर्मचारी संघ

६४२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है जब कि आई० पी० एस० आर० पी० एस० की यूनियन सरकार द्वारा मान्य है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इसी बात को लेकर जनवरी ५८ में पुलिस कर्मचारियों ने एक दिन भूख हड़ताल रखी थी ?

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री) : (गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) ।

(क) आइ. पी. एस. एसोसियेशन को सरकारी मान्यता मिल चुकी है। नोन गजटेड पुलिस कर्मचारी एसोसियेशन के बनने और सरकारी मान्यता मिलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या गत जनवरी को पुलिस ने भूख हड़ताल की थी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने जवाब दिया, 'जी नहीं'।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस बात की जानकारी सरकार को नहीं है कि पुलिस कर्मचारियों ने इस प्रकार की भूख हड़ताल की थी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि कुछ लोगों ने खाना बन्द किया था, पर तुरन्त ही फिर शुरू कर दिया। भूख हड़ताल जैसी बात नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि उन लोगों ने २४ घंटे खाना नहीं खाया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने समय के लिये बन्द किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ घण्टे नहीं खाया था। उसी दिन खा लिया।

श्री तनसिंह : भूख हड़ताल करने में और खाना बन्द करने में क्या फर्क है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As a protest. भूख हड़ताल नहीं की थी।

(कई माननीय सदस्यों ने एक साथ प्रश्न शुरू किये)

श्री दामोदरलाल व्यास : I can reply only one question at a time.

श्री चन्दनमल वेद : कितनों ने खाना नहीं खाया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, कुछ घंटे खाना नहीं खाया, फिर तुरन्त खा लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारियों ने सरकार को नोटिस दिया था कि अगर उनके पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता नहीं दी तो भूख हड़ताल कर दी जायगी ?

Page No.17

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि चार पांच हजार पुलिस के कर्मचारियों ने जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा की पुलिस लाइन्स में खाना नहीं खाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी यह सही नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ ने खाना खाया नहीं थोड़े समय के लिये, यह किस प्रकार से पता चला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पता तो इस लिये चला कि देर से खाया ?

श्री मुरलीधर व्यास : कैसे पता चला कोई रिपोर्ट आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मालूमात की गई।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि उस दिन के बाद सरकार ने पुलिस कर्मचारी संघ के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी को, एक को जैसलमेर और दूसरे को बाड़मेर ट्रान्सफर कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। डॉ० बहादुरसिंह।

नगरपालिका-राजाखेड़ा

६४३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सलाहकार समिति राजाखेड़ा ब्लॉक ने नगरपालिका के स्थान पर ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है ? यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

(ख) राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कितने ग्राम हैं ? उसका क्षेत्रफल, आबादी व आय क्या है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :(क) जी हां सलाहकार समिति ने यह निर्देशक प्रस्ताव स्थानीय निकाय के पास भेजा था। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर उस पर निर्णय किया जायेगा।

(ख) छोटे-छोटे दो गांव और उनके ८ पुरा (दानियां) हैं। क्षेत्रफल ३ वर्गमील, आबादी १२ हजार और आय १६,७३० रु० वार्षिक है।

श्री बहादुरसिंह : संख्या की इन्फार्मेशन जो आपके पास आई है वह गलत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं दुबारा देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

जंगलों का मुआवजा

६४४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रायपुर तहसील, जिला पाली के जंगलों का मुआवजा संबन्धित व्यक्तियों को गत कितने वर्षों से नहीं दिया जा रहा है ?

(ख) मुआवजे में कितना रुपया दिया जायेगा और यह रुपया कब तक बांट दिया जायगा ?

(ग) इस रकम को इतने वर्ष सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) इस रकम को बांटने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीका निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) सन् १९४६-४७ से आज तक नहीं दिया गया है।

(ख) कुल रकम ६८,८२०) दी जावेगी। १९५०-५१ तक की रकम इसी वर्ष बांटने का प्रबन्ध किया जा रहा है। १९५१-५२ से १९५५-५६ तक की रकम बाद में बांटी जावेगी।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन था। सरकार लीगल व फाइनेन्शियल एस्पेक्ट्स पर विचार कर रही थी।

(घ) यह रकम वन विभाग और माल विभाग के शामलात में बांटी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तोपखाना देश रोड, म्युंनिसिपल एरिया जयपुर

९४५. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर म्युनिसिपल एरिया के अन्तर्गत तोपखाना देश रोड की हालत बहुत खराब है तथा आवागमन में काफी असुविधायें होती हैं ?

(ख) उक्त सड़क की मरम्मत किस सन् में हुई थी तथा अब इस सड़क को कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं। मरम्मत की जरूर आवश्यकता है। सड़क पर जो मिट्टी एकत्रित हो जाती है, जिससे जनता के आवागमन में असुविधा होती है वह समय समय पर हटा दी जाती है।

(ख) नहीं कहा जा सकता। नगरपालिका का कहना है कि जैसे जैसे आर्थिक सुविधा होगी नगर सुधार के कार्य प्रायोरिटी के अनुरूप एक के बाद एक शुरू किये जावेंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि सड़क पर काफी मिट्टी आई हुई है और पैदल चलने में भी काफी असुविधा होती है ? क्या माननीय मंत्री महोदय इस सड़क से गुजरे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी दिक्कत होती है। मिट्टी ज्यादा आ जाती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आजकल स्थिति क्या है ? क्या आपने वहां जा कर देखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने कहा कि जाकर देखा है तो मैं कह सकता हूं कि स्थिति खराब भी है तो और अच्छी भी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

यातायात ओपरेटर गंगानगर

श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १७ व १८ जनवरी, १९५८ को जो जोधपुर में रीजनल यातायात अधिकार समिति की बैठक हुई थी उसमें गंगानगर जिले के कितने यातायात ऑपरेटर बुलाये गये थे ? क्या यह सत्य है कि १७ जनवरी को उन्हें यह यकीन दिलाये जाने पर भी कि १८ जनवरी को उनकी सुनाई होगी, उनकी सुनाई नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्रीमती सतवन्तकौर)

(ख) इस सम्बन्ध में ओपरेटरों को हुए नुकसान की जुम्मेवारी किस पर है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हनुमानगढ़ अभोर रूट, जो बीकानेर डिविजन के अन्तर्गत है, पर बस परमिटों के लिए प्राप्त हुई १६७ अर्जियों पर ताः १७ व १८ जनवरी, १६५८ की मीटिंग में विचार किया जाना निश्चित हुआ था किन्तु ता० १६-१-५८ से सरकार ने बीकानेर डिविजन के लिए एक अलग आर.टी. ए. कायम कर दीं। अतः आर. टी. ए. जोधपुर द्वारा उन प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाना नियम विरुद्ध था।

(ख) क्योंकि मीटिंग की कार्यवाही स्थगित करना नियमानुसार था अतः नुकसान की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि स्थाई परमिट जिन व्यक्तियों के थे उनके कहने से यह मीटिंग नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मीटिंग नहीं करने के लिये किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब सरकार ने बीकानेर डिवीजन के लिये एक अलग आर. टी. ए. कायम करदी तो यहां पर विचार करना नियम विरुद्ध था।

श्री श्योपतसिंह : १६ तारीख को ही क्यों फैसला किया गया ? हजारों रुपयों का खर्च करने से पहले ही उन लोगों को इत्तिला दी जा सकती थी कि यह मीटिंग जोधपुर में नहीं होगी बीकानेर में होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : १६ तारीख को गजट निकला था और १८ तारीख को मीटिंग होने वाली थी। दो दिन में सब को इत्तिला मिलना नामुमकिन था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीकानेर डिविजन के लिए अलग आर. टी. ए. का निर्णय किस तारीख को लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गजट में आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जिस दिन यह आदेश हुआ वह तारीख पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांच या सात रोज पहले हुआ होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस प्रकार का आदेश होने के बाद उनको सूचना दे दी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कानून के जानने वाले हैं। ऐसी इत्तिला किस प्रकार दी जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रावल : जब ऑर्डर हो गये तो इत्तिला दे सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाल सकती है। यदि कोई कानून का माहिर नहीं होता और यह दलील देता तो उसका उत्तर देता।

श्री श्योपतसिंह : क्या पहले यह गजट में आया हुआ था कि १७ और १८ तारीख को मीटिंग होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मीटिंग गजट में आया थोड़े होती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गांव खोड (देसूरी) के समीप नदी के कच्चे घेरे को पक्का बनाना

६४७. शंकरलाल (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गांव खोड तहसील देसूरी के समीप नदी के कच्चे घेरे को पक्का बांध कर गांव को खतरे से बचाने व सिंचाई के लिये पानी का सदुपयोग करने के लिए जनता की तरफ से कितने वर्षों से मांग की जा रही है ?

(ख) क्या उक्त योजना का तखमीना सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया है ?

(ग) उक्त योजना में सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किया जाने का अनुमान है और कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

(घ) उक्त योजना कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जनता द्वारा ऐसी कोई मांग अभी तक सिंचाई विभाग से नहीं की गई।

(ख) सिंचाई योजना के लिये सर्वेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा जारी है तकमीना सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बनाया जायगा।

(ग) उक्त योजना ठीक मालूम होने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की जावेगी और उस पर भारत सरकार की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जायेगा।

(घ) उक्त योजना पर करीब १२ लाख रुपये की लागत का अनुमान है और करीब ४८०० एकड़ भूमि में सिंचाई की संभावना है।

श्री शंकरलाल : यह तकमीने का काम कितने समय में शुरू हो जावेगा ?

श्री भीखाभाई : लगभग ६ महीनों में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नाथूराम।

सिंचाई योजना बांसवाड़ा

६४८. श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बांसवाड़ा जिले में कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

(२) इनमें से किस किस की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है ?

(३) लघु, मध्यम एवं वृहत् योजना की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा की जावे ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(१) माही नदी पर बांसवाड़ा के पास माही प्रोजेक्ट नामक वृहत् योजना विचाराधीन है। इसके अलावा अन्य छोटी योजनाओं के लिए अन्वेषण जारी है।

(२) माही योजना अभी भारत सरकार के योजना आयोग के विचाराधीन है।

(३) बांसवाड़ा जिले की लघु, मध्यम एवं वृहत् योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री नाथूराम मिर्धा : अड़ाव तालाब है उसके कागज पेश हुए हैं या अब तक नहीं हुए ?

श्री भीखाभाई : इसके कागजात अभी सरकार के पास आये नहीं हैं। यदि इस संबंध में और जानकारी चाहेंगे तो सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से पूछी जा सकती है।

Page No.21

प्रश्न संख्या ६४६

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल ।

लघु सिंचाई

६५०. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) लघु सिंचाई के कार्यों की स्वीकृति के लिए कितने रिटर्न की आवश्यकता रहती है ?

(ख) रिटर्न का हिसाब देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) कम से कम २॥ प्रतिशत ।

(ख) रिटर्न का हिसाब देखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है :

(१) कितनी भूमि पीवल होगी ।

(२) उस भूमि पर क्या क्या फसल होगी और कितनी कितनी भूमि पर ?

(३) इस प्रकार हर सिंचाई कार्य से क्या आमदनी होगी ?

(४) उस कार्य पर मेन्टीनेन्स चार्जेज़ क्या होंगे ?

श्री सोहनलाल भटनागर : २॥ प्रतिशत का निर्णय कब लिया गया ?

श्री भीखाभाई : हाल ही में दो तीन महीने हुए ।

श्री सोहनलाल भटनागर : इन्डाइरेक्ट रिटर्न को क्यों नहीं आंका जाता ?

श्री भीखाभाई : ये तो प्लानिंग कमिश्नर के आदेश हैं, उनके अनुसार होता है । कम से कम डाइरेक्ट एडवान्टेजेज़ होते हैं उनको रखा जावे ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इन्डाइरेक्ट रिटर्न को ध्यान में नहीं रखने से रकम लैप्स होती है ?

श्री भीखाभाई : यह नहीं है कि इसी कारण से लैप्स होती हो । लिखत-पढ़त में काफी समय लग जाता है इस कारण से ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तनसिंह ।

भारत सरकार द्वारा नागरिक रसद विभाग को घाटे की पूर्ति के लिये दी गई सहायता

६५१. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मंत्री वित्त विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नागरिक रसद विभाग के स्टॉक से धान और बोरियां १-१०-४६ से अब तक कितने रुपये की कम पड़ रही हैं ?

(२) इसमें कितना रुपया भारत सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिये सहायता के रूप में दिया है ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) रसद विभाग के स्टॉक से १-१०-४६ से ७०,२१,२२२ रुपये का अनाज और ७२,१६६ रुपयों की बोरियां कम पड़ी हैं ।

(२) अनाज के घाटे के लिये भारत सरकार ने १२,६६,७११ रुपयों की सहायता दी है ।

Page No.22

श्री तनसिंह : यह जो आपने ७ लाख और २६ हजार बताया, आपके हिसाब में बिन्दी गायब हो गई है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो कीमत होती है वह करीबन ७ लाख की है आप ही गलती कर रहे हैं। मेरे पास फिगर्स हैं वे सही हैं।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने ५७ लाख बोनस आदि के कारण रुपये दिये हैं उनमें पहले ही कम किया जा चुका है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बोनस वगैरह के बारे में, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो रकम भारत सरकार ने दी है वह सब्सिडी के रूप में दी है और वह १२,६६,-७११ रु० है।

श्री तनसिंह : यह कैसे पता कि भारत सरकार ने इसके लिए रुपया दिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अनाज की कमी में सब्सिडी के रूप में दिया है।

श्री तनसिंह : क्या सरकार ने यह दरियाफ्त किया है कि वह चोरी और गोलमाल के कारण से हुआ है या वास्तव में कमी हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह कहूँगा कि जितनी भी कमी हुई है वह नाज को एक जगह से दूसरी जगह रेल द्वारा ले जाने में हुई है। बाज बाज ऐसा हुआ कि ट्रांसपोर्ट में बोरियों में कुछ कमी हुई और उसमें से कुछ नाज निकल गया और इधर उधर जाने में छीजत हुई।

श्री तनसिंह : यह वेल्युएशन किस भाव से किया गया ? शुरू के भाव से किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो कुल जो बेचा है उसका घाटा है। इसके बाद में अगर आप आंकड़े चाहेंगे तो वे भी दे दिये जा सकते हैं ?

श्री तनसिंह : आपके यहां स्टॉक एकाउन्ट रखा जाता है तो क्या यह नुकसान जिस भाव से खरीदा था उस भाव से लगाया गया या जिस भाव से बेचा उससे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह इस तरह से है कि राजस्थान बनने से पहले विभिन्न राज्यों में प्राइस कन्ट्रोल था और स्टोर थे। उनमें जो छीजत हुई वे भी इसमें शामिल है, क्योंकि हमने उनसे भी एकाउन्ट लिये और वह सब उनके बुक एकाउन्ट से लिया गया। माल खरीदा गया और बेचा गया उसकी वजह से है। कितने रुपयों का अनाज खरीदा गया ये सब आंकड़े मौजूद हैं।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। Public Accounts Committee, 4th Report :—

"The Finance Secretary who appeared before the Committee said that from 1-10-49. to date the shortage of food grains was of the value of Rs. 1,36,00 000/—"

जब कि आप बता रहे हैं सिर्फ ७ लाख। आप उसको कान्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो इन्फोर्मेशन फाइनेन्स सेक्रेटरी ने दी है, वह गलत है और आप जो इन्फोर्मेशन दे रहे हैं वह सही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सन् ४६ से लेकर अब तक का यह जवाब है।

श्री तनसिंह : मैंने भी अपने प्रश्न में १-१०-४६ से लेकर अब तक के लिए पूछा था और आपने भी अपने जवाब में १-१०-४६ से लेकर अब तक का जो घाटा हुआ वह बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कौनसी रिपोर्ट है ?

श्री तनसिंह : पी० एस० सी० की फोर्थ रिपोर्ट। २८-८-५६ को उनका एक्ज़ामिनेशन हुआ और उन्होंने खुद ने कहा था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने बताया उसके बारे में निश्चित तौर पर मालूम करके बता दूंगा कि यह फर्क कैसे आया ?

श्री तनसिंह : हमारे बिना नोटिस दिये आप स्वयम् आयन्दा इन्फोर्मेशन लेकर बता देंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा माननीय सदस्य पूछें तो पी० एस० सी० की रिपोर्ट जरूर देख लें।

श्री अनोपसिंह : जब ७ लाख का घाटा है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने १२ लाख की सब्सिडी दे दी ?

श्री अध्यक्ष : वे वापिस देख कर बतावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो इन्फोर्मेशन सदन में दी है और आपने आदेश दिया है कि आयन्दा पी० एस० सी० की रिपोर्ट भी देख लिया करें, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि जिस अधिकारी ने इस प्रकार की सूचना दी है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको गलत नहीं माना जा सकता। पी० एस० सी० को मालूम है कि पहले-पहले १ करोड़ का रिकॉन्सिलियेशन नहीं हो रहा था। पिछली बार से इस बारे में काफी जोर दिया गया और हर जिले के हिसाबात का रिकॉन्सिलियेशन कराया गया। जो फीगर्स बताये हैं, उसके बाद वे घाटे के हैं, जो छीजत हुई उसके आंकड़े दिये गये हैं, मेरी जहां तक जानकारी है वे (आंकड़े) ठीक हैं।

श्री तनसिंह : या तो आप अपना जवाब के रूप में दें ताकि हम भी सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

अस्थायी परमिट यातायात

६५२. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) माह जनवरी १९५८ में अजमेर के उर्स मेले में मोटर बसें चलाने हेतु टेम्पोरेरी परमिट्स कितने लोगों को दिये गये ?

(ख) इतने परमिट्स में क्या किसी दलित-जाति के व्यक्ति को भी कोई परमिट दिया गया ? यदि हां, तो कृपया किसको ? यदि नहीं तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इन परमिट्स में कुछ परमिट किसी एक्स एम. एल. ए. को भी दिये गये थे ? यदि हां, तो किसको ?

Page No.24

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कुल ८८ परमिट दिये गये ।

(ख) किसी भी दलित जाति के व्यक्ति ने आवेदन-पत्र नहीं दिया, अतः परमिट देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ये बसें अभी भी चल रही हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मुझे यह पता नहीं कि अभी चल रही हैं या नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन परमिट्स का समय समाप्त हो चुका है और एक्सटेन्शन के लिए आवेदन दिये गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई एक्सटेन्शन के लिए आवेदन नहीं दिये गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेम्पोरेरी परमिट्स का समय कब खत्म हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे २८ फरवरी मालूम पड़ता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपके विभाग से कोई एक्सटेन्शन इन परमिट्स का नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी में नहीं दिया गया था ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : कितनी दरख्वास्तें आयी थीं और कितने परमिट्स दिये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर. टी. ओ. के पास जितनी दरख्वास्तें आयीं उनमें मोडल वगैरह का कोई याद नहीं पड़ता है । कुछ ने दी हैं । ५० जयपुर, २४ जोधपुर और १४ उदयपुर रीजन ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इन दरख्वास्तों में दलित जाति के किसी व्यक्ति की भी दरख्वास्तें थीं ? क्या यह आपने मालूम किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मालूम करके ही कह रहा हूं कि उनकी एक भी दरख्वास्त नहीं थी ।

प्रश्न संख्या ६५३

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६५४

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम ।

लूनी नदी पर खेतड़ी का पट्टा बंधवाने सम्बन्धी योजना

६५५. श्री रावतराम : (चूरू) क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बालोतरा में लूनी नदी पर खेतड़ी का पट्टा बंधाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) हां ।

(श्री भीखाभाई)

(२) योजना स्वीकृति के बाद शीघ्र कार्यान्वित की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

बेकारों की गणना व उनको काम दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था

६५६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बसे हुए बेकारों की गणना कराई है ?

(ख) यदि हां, तो यहां शिक्षित एवं अशिक्षित बेकारों की पृथक २ क्या संख्या है ?

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था करने की सोच रही है तथा यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

(घ) क्या सरकार ने भिन्न २ श्रेणी के बेकार लोगों को काम देने की योजना बनाई है ?

(च) यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) नहीं ।

(ख) ऐसी कोई गणना राजस्थान में नहीं हुई है । किन्तु राज्य में कार्य कर रही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा रखे हुए लाइव रजिस्टर में जो आवेदन पंजीगत (रजिस्टर्ड) हैं उससे बेकारी का कुछ आभास प्राप्त हो सकता है । कार्य प्राप्त करने हेतु सहायता की प्रार्थना करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या दिनांक ३१ दिसम्बर १९५७ को १९,२६१ थी । उनमें से १२० व्यक्ति औद्योगिक सेवाओं के लिये, ८९४ स्किल्ड और सेमीस्किल्ड सेवाओं के लिए ४५०७ लिपिक सेवाओं के लिए, २९६५ शैक्षणिक सेवाओं के लिए, ७८० घरेलू सेवाओं के लिए और ८४५४ अदक्ष (अनस्किल्ड) सेवाओं के लिए और १५७१ अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए प्रार्थी थे । उपर्युक्त श्रेणियों में से प्रथम चार श्रेणियां शिक्षित बेकारों के वर्ग में आती है ।

(ग) अभी ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती ।

(ङ) पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य बेकारी को दूर करना है ।

(च) पंचवर्षीय योजनाएं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने 'क' का उत्तर 'नहीं' में दिया । तो क्या राष्ट्रीय आयोजन की तैयारी में इस प्रकार की गणना करना आवश्यक नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसे कोई आदेश तो नहीं दिये गए हैं कि उनकी गणना की जाय ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : किसी देश में कोई प्लानिंग होता है तो इस प्रकार की कार्यवाही पहिले की जाती है कि देश में कितने शिक्षित और अशिक्षित बेकार हैं, क्या क्या काम उन्हें देने चाहिये । यह पंचवर्षीय योजना में है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी भारत सरकार ने भी नहीं कराई है । यह लेबर डिपार्टमेंन्ट से सम्बन्धित नहीं है किन्तु इसको जी. ए. डी. डील करता है । इसके लिए

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अलग विभाग कायम किया गया है और कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने ये किस आधार पर फीगर्स रखे हैं ? क्या किसी एक क्षेत्र का सर्वे कराके ये फीगर्स रखे गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज कायम हैं और उनसे फिगर्स जो उन्होंने दर्ज किये थे इकट्ठे किये हैं। उनके हिसाब से १६.२६१ हैं। बेकारों की इतनी दर्ख्वास्तें पेश हुई थीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनमें से कितनों को काम दिलाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी तो इस समय नहीं है, लेकिन काफी आदमियों को काम दिलाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : बेकारी की स्थिति है तो आखिर आपने आधार क्या माना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हैं और वहां दर्ख्वास्तें रजिस्टर होती हैं उसी आधार पर।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल।

नगरपालिका गंगापुर सवाई माधोपुर के भवनों का लिया जाने वाला किराया

६५७. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) म्युनिसिपल बोर्ड गंगापुर तथा म्युनिसिपल बोर्ड सवाई माधोपुर से किराये के रूप में कितना रुपया सालाना वसूल किया जा रहा है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनक निर्माण मन्त्री (श्री नाथराम मिर्धा) : (१) जी, कुछ नहीं।

(२) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाने सम्बन्धी व्यवस्था

६५८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते ?

(ख) क्या इसमें योग्यता का प्रश्न निहित है ? यदि हां, तो फिर उनकी नियुक्तियों के समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता ?

(ग) क्या यू. पी. सी. पी. में नायब तहसीलदारों व तहसीलदारों की नियुक्तियां इसी प्रकार होती हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो फिर उनकी नियुक्ति में यह बाधा क्यों है ?

(ङ) क्या सरकार उनको उक्त अधिकार जनता को प्रतिदिन होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देने का विचार रखती है ?

उप विधि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) राजस्थान में समस्त तहसीलदार अपने

(श्री सम्पतराम)

पदानुसार तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं और योग्यता के आधार पर जिलाधीश और कमिश्नर की सिफारिश पर उन्हें उनके नाम से द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाते हैं। नियमानुसार जिलाधीश तहसीलदार के फैसले किये हुए मुकदमों की जांच करके ऊंचे अधिकार देने की सिफारिश सरकार के पास करते हैं। जो तहसीलदार लॉ ग्रेजुएट होते हैं उन्हें भी द्वितीय श्रेणी के अधिकार दे दिये जाते हैं। इस प्रकार कतिपय तहसीलदारों को उनके नाम से द्वितीय श्रेणी के अधिकार प्रदान हो चुके हैं। सरकार का ध्येय यह है कि तहसीलदारों को आम तौर पर द्वितीय श्रेणी के अधिकार प्राप्त हों और इसलिए तहसीलदारों के लिए विभागीय कानूनी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जो तहसीलदार ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको द्वितीय श्रेणी के अधिकार बिना किसी रुकावट के दिए जावेंगे।

नायब तहसीलदार जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उन्हें भी तृतीय श्रेणी के अधिकार उनके नाम से दे दिए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के अधिकार किसी नायब तहसीलदार को नहीं दिए जाते हैं। नायब तहसीलदारों को द्वितीय श्रेणी के अधिकार देना उनके अधिकारीय स्थिति (official status) के ख्याल से उचित नहीं समझा जाता और नायब तहसीलदारों को तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार खास तौर पर उनके नाम दिए जाते हैं।

(२) तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में नियम बन चुके हैं। नई नियुक्तियां उन्हीं नियमों के अनुसार होती हैं, किन्तु राजस्थान में कॉन्विनेन्टिंग स्टेट के बहुत से तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं जिनकी पढ़ाई बहुत कम है जिन्होंने कोई विभागीय कानूनी परीक्षा भी नहीं पास की है उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मजिस्ट्रेटी के अधिकार देते समय उनकी योग्यता की पूर्ण जांच कर ली जावे। इसके अतिरिक्त तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के पद पर नियुक्ति के लिये कानून की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं रखा गया है। इसलिए जो लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं, उनके लिए विभागीय कानूनी परीक्षा पास करना जरूरी हो जाता है। जैसा ऊपर कहा गया है ऐसी विभागीय परीक्षा हर साल होने का आयोजन किया गया है।

(३) उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदारों को मजिस्ट्रेटी के अधिकार नहीं दिये जाते। यू. पी. में तहसीलदारों को विभागीय कानूनी परीक्षा पास करनी पड़ती है और उसके बाद उनको द्वितीय श्रेणी के अधिकार दिये जाते है। आन्ध्र प्रदेश में इसके बारे में क्या प्रेक्टिस है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता।

(५) यह प्रश्न नहीं उठता।

वास्तव में तहसीलदारों को मजिस्टीरियल शक्तियां दन्डाभियोगों पर वैधिक विचार के अभिप्राय से उतनी नहीं प्रदान की जाती कि दण्ड प्रक्रिया संहिता सी. आर. पी. सी. के अधीन अधिशासी कार्य के क्रम में प्रयोग के निमित्त प्रधानतः तहसीलदार राजस्व तथा अधिशासी अधिकारी है और उनको दन्डाभियोगों पर वैधिक विचार में समुचित सावधानी रखना बहुत कठिन है। उनके शासन सम्बन्धी विविध कर्तव्यों के कारण उनको इस प्रकार के कार्यों के लिये मेज से बन्धे रखना उपयुक्त नहीं होगा। निसन्देह यह वांछित है कि समस्त तहसील-

Page No.28

(श्री सम्पतराम)

दार अपने पदानुसार द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करें, क्योंकि दण्ड प्रक्रिया की संहिता सी० आर० पी० सी० के अधीन केवल द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को ही पुलिस द्वारा अन्वेषण के काल में पुलिस के संरक्षण में रखने की आज्ञा प्रदान करने, कथन तथा पाप स्वीकरण के अभिलेख करने को अधिकृत किया जा सकता है। सरकार का यह उद्देश्य है कि राजस्थान में समस्त तहसीलदारों को द्वितीय श्रेणी के दण्डाधीश की शक्तियां प्रदान की जावे और इस ही ध्येय को दृष्टि में रख कर नियमों द्वारा दण्ड विधि एवं प्रक्रिया को विभागीय परीक्षाओं का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान किये जाने के लिये योग्य पात्र बनेंगे। यह भी प्रगट कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारत के संविधान की धारा ५० के अनुसार जब न्यायाधिकरण को शासनाधिकरण से पृथक करने के लिये नैदेशिक सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत किया जावेगा, तब तहसीलदारों को दन्डाभियोगों पर वैधिक विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।

जयपुर-गंगापुर रूट

६५६. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या सरकार को मालूम है कि गंगापुर से जयपुर तथा जयपुर से गंगापुर मोटर सात घण्टे में पहुंचती है जब कि शिड्यूल टाइम पहुंचने का चार घंटे ही है ?

(२) क्या सरकार समय पर बसों को चलाने व पहुँचने के लिये उचित कदम उठायेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) केवल वर्षा ऋतु में ही रास्ता खराब होने की वजह से अधिक समय लग जाता है।

(२) इस सम्बन्ध में ऑपरेटर्स को आदेश दे दिया गया है।

श्री पृथ्वीराज : क्या सरकार को पता है कि ये बसेज दौसा लालसोट में एक-एक रात पड़ी रहती हैं, मुसाफिरों को बहुत परेशानी होती है, रास्ते में उतरना पड़ता है, क्या इसके लिये कोई इन्तजाम करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : इनका विशेष ख्याल रखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : विशेष ख्याल रखेंगे।

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों के प्रश्न नहीं पूछे गये उनको अब पूछे जाने की इजाजत दी जाय। श्री रावतराम अभी हाजिर नहीं थे. उनका प्रश्न संख्या ६५५ है जिसका उत्तर नहीं दिया गया वह दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है।

१२. १ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री लक्ष्मीचन्द ने दिनांक

(श्री अध्यक्ष)

२७-३-५८ से २-४-५८ तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.२ म० प०

श्री जगदीश प्रसाद माथुर को उदयपुर में बन्दी बनाने सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि श्री जगदीश प्रसाद माथुर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के लिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कैम्प उदयपुरवाटी की ओर से एक सन्देश प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है :

"Shri Jagdish prasad Mathur, resident of Sikar, M. L. A., was arrested at 10 P. M. last night at Udaipur in case F. I. R. No 10 datde 23.3.58. under Sections 353, 332, 148, 149, 307 I. P. C., P. S. Udaipur.

मांग संख्या २१ पर बहस हो रही थी उसका उत्तर माननीय उप मंत्री महोदय देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यह मेसेज कब प्राप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष : २४ तारीख को।

श्री अनोपसिंह : क्या उन माननीय सदस्य का कोई डाक्टरी मुआयना भी किया गया?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

१२.४ म० प०

अनुदान की मांगों पर मतदान
मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय (पूर्व क्रम से)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री, उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २१ पर कल जो वाद-विवाद हुआ और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और सुझाव रखे, उनका मैं बड़ा आभारी हूं। प्रथम तो यह कहा गया कि राजस्थान सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। मैं इस विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की कोई अलग औद्योगिक नीति नहीं हो सकती, जो भारत सरकार की नीति से भिन्न हो। भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति है वही राजस्थान सरकार की भी है और उन्हीं के अनुसार राजस्थान सरकार अपना कार्यक्रम बनाती है और उसी के अनुसार अपनी औद्योगिक नीति का पालन करती है, इसलिये यह कहना कि राजस्थान सरकार की कोई अलग नीति हो, मैं यह समझता हूं उचित नहीं होगा।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्यों को भारत सरकार ने सन् १९४८ में जो औद्योगिक नीति बतलायी थी उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसको देखने से आपको प्रतीत होगा कि जो भारत की औद्योगिक नीति होनी चाहिये उसका स्पष्टतया उसमें निरूपण किया गया है। इस संबंध में मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, उनको बतलाने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान ने किस प्रकार इस औद्योगिक नीति का अनुसरण किया है।

Page No.30

(श्री शिखरचन्द धारीवाल)

The resolution emphasizred the importance to the economy of securing continuous increase in production and its equitable distribution, and pointed out that the States must play a progressive role in the development of the industry"

इसके बाद है:

"At the same time as an agency for planned national development in the context of country's expanding economy, the private sector will hav eopportunity to develop and expand all industries of basic and stratagic importance or in the nature of public utility services should be in the public Sector. Other industries which are essential and require investment on a scale which only State in the present circumstances could provide, have also to be in the public sector. There are limiting factors which make it necessary at this stage for the State to define the field in which it will undertake sole responsibility for further development and to make a selection of industries in the development of which it will play a dominant part. The Government of India have dicided to classify these industries in to three categories. The first category will be the industries, the future development of which will be exclusive responsibility of the State, the second category will consist of industries which will be progressively State-owned and in which State will, therofore, generally take the initiative in establishing new undertaking but in which private enterprise will also be expected to supplement the efforts of the state, and third category will include all the remaining industries and their future development......"

श्री पी० के० चौधरी : You are reading the planning Commission Report.

श्री धारीवाल : This is not planning Commission Report. This is an extract from the resolution-industrial resolution...इसी के अनुसार मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके बाद में कुछ अर्से पहले भारत सरकार ने इसी पोलिसी को री-इन्सटेट किया है और यह बतलाया है कि इन्डस्ट्रीज़ की कौन कौन सी केटेगरीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर में होंगी और वह पब्लिक सेक्टर में जो कि भारत सरकार लेगी या वह पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि कुछ राज्य भी ले सकेंगे । दूसरी केटेगरी जो बतलाई गई वह यह है कि वह मिक्स्ड इकॉनामी होगी, पब्लिक एण्ड प्राइवेट सेक्टर की उसमें स्टेट भी पार्टीसिपेट कर सकती है और तीसरी केटेगरी बताई है, वह एक्सक्लूज़िवली प्राइवेट सेक्टर में है । इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सेकिन्ड फाईव ईयर प्लान में अलग अलग तौर पर यह बताया गया है कि भारत सरकार किन किन इन्डस्ट्रीज़ को लेगी । इसी के अनुसार स्टेट किन किन इन्डस्ट्रीज़ को लेगी इसका प्रोग्राम भी दिया हुआ है और इसी प्रकार से हम हमारा इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट करना चाहते हैं । तो मैंने यह निवेदन किया और इसके साथ ही साथ मैं

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

यह निवेदन करना कर दूं कि भारत सरकार के इन्डस्ट्रियल रिजोल्युशन में यह भी बताया गया इन इन्डस्ट्रीज़ के अलावा जो रूरल और विलेज इन्डस्ट्रीज़ हैं, खादी इत्यादी जो इन्डस्ट्रीज हैं उन सब का भी पूरी तौर से ध्यान रखा जायेगा। इनमें किस प्रकार टेक्नीकल एज्यूकेशन करनी होगी और किस प्रकार से उनमें फाइनेन्शियल असिस्टेन्स देनी होगी इत्यादि सब बातें बताई गई हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उसी पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकार की भी नीति चल रही है और हमारा राजस्थान भी उसी पॉलिसी का अनुसरण कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल वाद-विवाद के दौरान में यह भी बताया गया कि राजस्थान की जो औद्योगिक पॉलिसी है वह साफ नहीं है और उससे कुछ पता नहीं चलता है कि राजस्थान क्या करना चाहता है और उसका उदाहरण इस प्रकार से दिया गया कि खास सूरत में वह एक सीमेंट फैक्टरी जो कि जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से है और जिसको ६० लाख रुपया दिया गया है उसको लेकर यह कहा गया कि सरकार बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज़ को रुपया कर्ज देती है और दूसरी ओर सरकार लघु उद्योगों को या कुटीर उद्योगों को या ग्रामोद्योगों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करती और न उनके बारे में बात करती है। जो मैं यह निवेदन करूंगा और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि वह माननीय सदस्य जो कि इस सीमेन्ट फैक्ट्री का बार-बार इस सदन में जिक्र करते हैं और यह कहते हैं कि राज्य सरकार ने जो ६० लाख रुपया उसको दिया है और ऐसी दशा में जरूर गलत राज्य सरकार ने की है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्य जो कि इसके बारे में उत्सुक हैं उसको जाकर देखें और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान को गर्व होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में एक ऐसी सीमेंट फैक्ट्री है जो कि एशिया में सबसे बड़ी फैक्टरी होगी। यह फैक्टरी जयपुर राज्य के ही टाइम में चालू करदी गई थी और ७५ लाख रुपया इसमें राज्य सरकार का इनवेस्ट किया हुआ है और इसके बाद में ६० लाख रुपया कर्ज दिया गया है। इसका जो प्रॉडक्शन होगा वह करीब २,७०० टन प्रतिदिन का होगा और इस समय १२या १३ सौ टन प्रतिदिन का है। इस प्रकार से उसका बराबर एक्सटेन्शन हो रहा और मैं समझता हूं कि पूरा एक्सटेन्शन हो जाने के बाद में यह ऐसी फैक्टरी होगी जो सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ी होगी। ऐसी दशा में यह कह देना कि राज्य सरकार का ६० लाख रुपया इस उद्योग को देकर किसी भी प्रकार से वापिस वसूल नहीं होगा यह ठीक नहीं है। यह भी कहा गया है कि यह रुपया इसलिये दिया गया है कि बड़े उद्योग पनपें। साथ ही कहा गया कि यह रुपया देकर कांग्रेस ने चन्दा लिया है। मैं कहता हूं कि इससे तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले भी सदन के नेता ने कहा है कि कांग्रेस को बहुत से लोग चन्दा देते हैं, लेकिन उसका उक्त रकम देने से ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो कुछ सरकार ने इन्वेस्टमेन्ट किया है वह सोच समझ कर किया है और उसमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए आप एक मिसाल लेकर नहीं कह सकते कि रूरल इन्डस्ट्रीज़ की तरफ या छोटे उद्योगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

के लिए, खादी के लिए और दूसरे ग्राम कुटीर उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या किया है और क्या-क्या कर रही है उससे आपको स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि राजस्थान सरकार की एक निश्चित नीति है और उसके अनुसार जो हमारा प्लान है, जो हमारा प्रोग्राम है उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं; मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ या खादी या विलेज इन्डस्ट्रीज़ के बारे में भी हमारे राजस्थान में जैसे सारे हिन्दुस्तान में बोर्ड्स बने हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे यहां भी बोर्ड्स बने हुए हैं। स्मॉल सेविंग्स इन्डस्ट्रीज़ एण्ड हैंडी क्राफ्ट्स बोर्ड हैं जो कि स्मॉल सेविंग्ज़ इन्डस्ट्रीज़ के बारे में और हैंडी क्राफ्ट्स की चीजें हैं, उसके बारे में विचार करता है और स्कीमो को कार्यान्वित करता है हमारे यहां ऑल इन्डिया स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड से स्कीमें आती हैं और उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी प्रकार से हमारा हैंडलूम बोर्ड है और जो कि ऑल इण्डिया हैंडलूम बोर्ड है उससे स्कीमें आती है और इसमें जो सहायता मिलती है उनको इम्प्लीमेन्ट करता हैं और इसी प्रकार से हमारे यहां खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है। ऑल इण्डिया खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और उससे जो सहायता मिलती है और जो स्कीमें होती हैं उनको हम बराबर देखते हैं और उनको इम्पलीमेन्ट करते हैं। तो आज के वक्त में यह कहना कि राजस्थान सरकार की उद्योगों के बारे में कोई विभिन्न नीति है यह बात नहीं है। भारत सरकार की नीति को सही माने में इम्पलीमेन्ट हमें करना है, यह बात तो कही जा सकती है। इस दिशा में इससे पहिले मैं दो एक बातों के विषय में निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, और सदन को जानकारी इस विषय में देना चाहता हूं कि जिससे यह मालूम हो कि हमारी क्या-क्या स्कीमें हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। हम उद्योगों को पनपाने के लिए छोटे उद्योगों को और दूसरे उद्योगों को पनपाने के लिए सरकार क्या कर रही है इस दिशा में मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ बातें रखूं तो उचित होगा। इस दिशा में जो हमारा काम करने का तरीका है और भारत सरकार की तरफ से जो प्रोग्राम होते हैं और स्कीमें होती हैं उनको इम्पलीमेन्ट करने के लिए किस प्रकार से कार्यवाही की जाती है, इनके लिए निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है कि उत्पादन के जो तरीके हैं उनको अच्छी तरह से चलाने के लिए हम छोटे-छोटे लघु उद्योगों के अन्दर और इसके उद्योगों के अन्दर अच्छे औजारों का वितरण करते हैं। उनमें जो स्किल है यानी जो काम करने का तरीका है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेन्ड परसोनल है जो कि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अमुक काम के अन्दर या अमुक उद्योगों के अन्दर क्या टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए किस प्रकार की होनी चाहिये वह उनको दी जाती है।

लघु उद्योग में लगाने के लिए या कुटीर उद्योगों में लगाने के लिए मशीन की जरूरत है, जिन लोगों को मशीन की जरूरत है उनको उपलब्ध करने में मदद देते है और फिर इसके बाद में टेक्निकल गाइडेन्स भी देते हैं। यह मालूम कराने के लिए कि किस प्रकार की किस जगह पर कोई चीज़ मुहैया हो सकती है, कहां रॉ मेटिरियल मिल सकता है, किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस तरह की बिल्डिंग बनानी चाहिए, कैसे उनके अपने उस उद्योग में प्रगति की जा सकती है, ये सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं, उन चीजों को बताते हैं। उसका ऐसा प्रावधान किया गया है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऋण के रूप में रुपया देते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे सब से बड़े उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं उनका रुपया देने के लिए राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन की इन्स्टीट्युशन फाइनेन्स करती है, जिसके जरिये वहां पर दरख्वास्त देने पर रुपया उधार दिया जाता है। वहां पर स्कीम्स देखी जाती हैं कि यह इन्डस्ट्री वहां पर ठीक प्रकार से चल सकती है तो वह रुपया वहां पर दिया जाता है। इसके बाद में स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिए रुपया देने के लिए लोन कमेटी बनी हुई है। वह दो, ढाई, तीन महीने में अपनी मीटिंग करती है और उनके पास में दरख्वास्तें आती हैं, छोटे-छोटे लोन लेने वाले हैं, छोटे उद्योगों को चलाने के लिए जो लोन लेना चाहते हैं उनकी दरख्वास्तें आती हैं। उनको देखकर उनको रुपया दिया जाता है।

इसी तरह से हैण्डलूम बोर्ड के अन्दर जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का सेस फन्ड है उसमें से हमको रुपया मिलता है। उससे हम हैण्डलूम वालों को रुपया उधार देते हैं, उनको शेयर केपिटल के लिए रुपया देते हैं, उनको वर्किंग केपिटल के लिए रुपया देते हैं, उनको अच्छे करघे, अच्छे औजार के लिए रुपया दिया जाता है। तो इस प्रकार से फाइनेन्स करते हैं, उनको मशीनरी, रॉ मेटिरियल या और इक्विपमेंट लेने के लिए रुपया देते हैं और उसके बाद में छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटीज़ बनाई जाती है। उन इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव के जरिये जो वह शेयर केपिटल होती हैं, उससे आठ या सात गुना के करीब रुपया दिया जाता है, और इस प्रकार से इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव्ज़ बनती हैं और फिर उसके बाद में इन सब बातों की, कि किस प्रकार कैसी मशीन होनी चाहिए, कैसी मशीन खरीदना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, क्या २ स्कीम्स हैं, क्या प्रोग्राम्स है, इन सब बातों का पूरे प्रकार से पब्लिसिटी करते हैं, उसका प्रोपेगेण्डा करते है, लोगों को बतलाते हैं, सेमीनार करते हैं, वीक्स मनाते हैं और पेम्फलेट्स वगैरह, किताबें वगैरह छाप कर हमारी पूरी स्कीम बतलाते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपके सामने निवेदन किया कि यह जो हमारे अच्छे २ औज़ार हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करें, इसके लिए मोबाइल डिमोन्शट्रेशन युनिट के द्वारा जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रियल सर्विसेज़ इन्स्टीट्यूट 'दिल्ली' से आई हैं, वह जगह २ जाती है और वह बतलाती है कि कैसे औजार इस्तेमाल करने चाहिए।

इसके बाद हैण्डलूम सेक्टर के अन्दर हमने अच्छे २ औजार बांटने के लिए करीब करीब एक लाख रुपया खर्च किया और उनको वे चीजें बांट दी गई।

इसी तरह से अलग अलग जगह प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर्स चलते हैं, जिसके अन्दर माल का उत्पादन भी होता है और टेक्निकल एज्युकेशन भी दी जाती है; जैसे, ब्लेकस्मिथ को ले लीजिये, कारपेन्ट्री को ले लें। इसी प्रकार से दूसरे छोटे २ उद्योगों को सिखाने के लिए, प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर्स राजस्थान में कम से कम ५५ खोल रखे हैं। ये विभिन्न दिशाओं के अन्दर, जैसे ट्वाय मेकिंग, ब्लेकस्मिथ कारपेन्ट्री, फुट वियर, आदि का इसके अन्दर काम करते हैं। अब इस प्रकार से इसमें जो काम करने वाले हैं, उनको काम करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

उत्पादन भी होता है। इन्डस्ट्रियल वर्कशॉप कामन फेसिलिटी सेन्टर्स हम लोगों ने अलग अलग जगह पर कायम कर रखे हैं; जैसे नागोर, बीकानेर, सिरोही और सोजत के अन्दर, और वहां पर वर्कशॉप के अन्दर किस प्रकार से मशीनों को हेन्डल करें और कैसे काम करें, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। इस तरह से ट्रेन्ड परसोनल के बारे में यह है कि ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर्स में से जो विभिन्न प्रकार के ट्रेनीज़ निकलते हैं, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग प्राप्त की है उनको सीख कर विभिन्न इन्स्टीट्यूशन में काम करने के अलावा अलग अपने कार्यों के अन्दर और अलग-अलग कामों के अन्दर लगे हुए हैं: जैसे रेडिओ रिपेअरिंग, ऑटोमोबाइल के अन्दर हैं।

इसके बाद में हमें कई ऐसे लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों को बनाने के लिए, अगर किसी किस्म की मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेशन है, जो स्माल स्केल इन्डस्ट्री कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का है, उनसे मशीनरी हायर-पर्चेज़ सिस्टम पर उनको दिलाते हैं और वहां से मशीनरी खरीद कर उनको दी जाती है।

इसी प्रकार से आप यह देखेंगे कि टेक्नीकल गाइडेन्स देने के लिए एक मेजर इन्स्टीट्यूट जयपुर में मौजूद है। इस मेजर इन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर मि० पी. बी. राय ने टेक ओवर कर लिया है और यह काम कर रही है। इस प्रकार के टेक्निकल गाइडेन्स देने के लिए भी हम गाइड करते हैं कि किस प्रकार की मशीनरी लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उनकी क्या डिफिकल्टीज़ हैं, ये सब बातें कुटीर उद्योगों को या छोटे उद्योगों के प्रति जो भी डिफिकल्टीज़ होती हैं उनको बताते हैं।

इसी प्रकार जो माल तैयार होता है, उसके लिए मार्केट मालूम करने के लिए उनको मदद दी जाती है। उनको कहा जाता है कि जो माल तैयार होता है उसमें कुछ माल तो ऐसा है कि जो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के डाइरेक्टर जनरल ऑफ परचेजेज़ एन्ड डिसपोज़ल्स खरीद लेते हैं और बाकी के माल के लिए उनको मार्केट की फैसिलिटी देने के लिए, कि कैसा माल किस जगह पर जा सकता है, किस जगह किस माल की खपत हो सकती है, इस बात की उनको आवश्यक इन्फॉर्मेशन दी जाती है।

इन सब बातों के बाद में जो खास बात है, उसके लिए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा कि माल के खरीदने के लिए, मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के खरीदने के लिए जो रुपया देते हैं, लोन देते हैं वह भी स्माल स्केल इन्डस्ट्री बोर्ड के अनुसार उस ऋण देने के तरीके को काफी सुलभ बना दिया है और लोन्स को प्राप्त करने के लिए किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती है; पहले हुआ करती थी, मैं इस बात को मानता हूँ। आपको इन आंकड़ों से मालूम होगा कि सन् ५४–५५ में १,३०,५००) रु० दिया और हाथ कर्घे के लिए २,५१,६५२ रु० दिया गया। ५५–५६ में ६,५३,५००) रु० छोटे उद्योगों के लिए और ३,१३,४५०) रु० हैण्डलूम्स के लिए। ५६–५७ में छोटे उद्योगों के लिए १२,३८,६५०) रु० और हैण्डलूम के लिए २,६८,४२०) रु० और ५७–५८ के साल के अन्दर हमने लघु उद्योगों को १७,२२,३५०) रु० और हैण्डलूम के अन्दर ६,३३,२६६) रु० दिया है। इन आकड़ों से मालूम हो सकता है कि कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों

Page No.35

(श्री शिवचन्द धारीवाल)

के लिए तथा हैण्डलूम को देने के लिए अधिक से अधिक रकम जितनी उपलब्ध हो सकती है लेकर दे दी है, वह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सैंक्शन ही नहीं हुई है। बल्कि इसमें से मुश्किल से ३०, ४० हजार रुपयों के बारे में मैं नहीं कह सकता, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हो, लेकिन करीब-करीब सारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इससे साफ पता चलता है कि हम हर साल इस तरह से प्रगति करते चले आ रहे हैं। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग हैं, उनमें इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का खादी बोर्ड है, जैसा कि माननीय सदस्यों में से कुछ ने यह कहा कि खादी हैंडलूम एक तरफ चलते हैं, मिल एक तरफ चलते हैं, छोटी-छोटी धाणियां तेलों की एक तरफ चलती है तो ऑइल मिल्स दूसरी तरफ चलते हैं। इनमें कोई समन्वय नहीं है।

१२ ३० म० प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि खादी में जरूर प्रगति हुई है, उसका उत्पादन भी बढ़ा है और कुछ और भी प्रगति हुई है और यह भी कहा गया कि उनको इस तरह की सबसिडी दी गई और तीन आना और एक आना हुंडी पर देते हैं वह कब तक चलता रहेगा। खादी-बोर्ड और उसकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको और खादी ग्रामोद्योग को करीब करीब ३० लाख रुपये दिए गए हैं। मैं अभी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि खादी के अतिरिक्त ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तथ्य के विपरीत बात है और सही नहीं है। आज अधिक से अधिक जोर इन्हीं बातों पर दिया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में अभी तक वह वातावरण कायम नहीं कर सके हैं जो बड़ी २ इन्डस्ट्रीज़ खोलने के लिए उपयुक्त हो; जैसे बिजली। बिजली जो कि बहुत चीप होनी चाहिए वह जब तक बड़े बड़े उद्योगों को नहीं दे देंगे तब तक वे पनप नहीं सकते। इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हो सकती हैं, इसी तरह से वाटर की फेसिलिटी भी देनी पड़ेगी। जब तक ये मेन चीजें सुलभ नहीं हो जाती हैं तब तक बड़े २ उद्योग पनपने संभव नहीं हैं। इसलिए जो छोटे २ उद्योग हैं उन पर ज्यादा जोर दिया गया है और उनको ज्यादा रुपए दिए हैं। यदि आप बजट देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी ज्यादा रकम इन्हीं सब पर खर्च होती है। कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग आदि पर ही सारा हमारा खर्चा है।

तो मैंने अभी आपके सामने यह निवेदन किया कि इस प्रकार से जिन माननीय सदस्यों ने अपने भिन्न २। क्षेत्रों में जो अभाव और अभियोग के बारे में जिक्र किया उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार की एक बात उपाध्यक्ष महोदय, डा. चन्द्रकला ने कही कि केन्द्रीय सरकार ने करीब ६ करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को सीमेन्ट फैक्ट्री...

डॉ० चन्द्रकला : मैंने सीमेंट फैक्ट्री के बारे में नहीं कहा। मैंने यह कहा कि सीमेन्ट

Page No.36

(डा० चन्द्रकला)

सेविंग स्कीम में से बचत हुई थी उसमें से राजस्थान सरकार उद्योगों के विकास के लिए देना चाहती थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह और बात आपने कही। लेकिन इस प्रकार जो स्टेट ट्रेडिंग कोर्पोरेशन के पास प्रोफिट में बचत हुई थी उस सिलसिले में उद्योगों के विकास के लिए नहीं बल्कि आर्यन ओर्स के लिए या तो रोड्स बनाने के सिलसिले में या उनके डेवलपमेन्ट के बारे में यदि चाहें तो हम मदद कर सकते हैं, यह कहा था। इसके बारे में उनसे बात-चीत की और कहा कि आर्यन ओर्समाइन्स का डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं, इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि ६ करोड़ रुपए लीजिए और लघु उद्योग में लगाइये....

डॉ० चन्द्रकला : मैंने लघु उद्योग का नाम नहीं लिया था। लेकिन क्या आर्यन ओर्स उद्योग में नहीं आता है, खनिज भी एक उद्योग है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (जारी) उन्होंने कहा कि हमारे यहां कुछ बचत हुई है उसमें से हम आपको भी कुछ दे सकते हैं। यह ऑल इंडिया प्रश्न है। आर्यन ओर्स कहां प्रोफिटेबल हो सकता है, कहां माइन्स हो सकती हैं, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और जितनी मदद हम ले सकेंगे जरूर लेंगे। यह बात थोड़े ही है कि हम मदद नहीं लेना चाहते।

इसी तरह उनिबारे से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टोंक में उद्योग नहीं है। आपने कहा कि एक गुप्त गुफा है जिसमें से पेट्रोल निकल सकता है। मैं नहीं समझ सका किस चिराग से उन्होंने देख लिया कि इस गुफा में पेट्रोल है। उसमें कुछ माल छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन पेट्रोल का छिपा रहना समझ में नहीं आया। फिर भी माननीय सदस्य की समझ में पेट्रोल वहां है तो उसकी जानकारी करेंगे....

श्री मुरलीधर व्यास : गुफा में चमगादड़ हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्हीं की संपत्ति हो।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (जारी) चर्म उद्योग, ऑइल फैक्ट्री और गन्ना फैक्ट्री के बारे में भी आपने कुछ कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में हमने ३४०० रुपए दिये हैं। टोंक में दरियें अच्छी बनती हैं उनको बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। चर्म उद्योग, ऑयल मिल्स और गन्ना फैक्ट्री के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि इस प्रकार की कोई बात होगी तो निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वह हर तरह से मदद देने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि कल जितनी बहस हुई उसमें कहा कि सरकार लघु उद्योग के लिये क्यों नहीं प्रयत्न करती है, फलां फैक्ट्री बन्द पड़ी है, उसको सरकार क्यों नहीं चालू कराती है आदि-आदि ! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मदद के रूप में ही कार्य कर सकती है; टेक्निकल नोलेज, टेक्निकल असिस्टेन्स और फाइनेन्शियल हेल्प आदि ही सरकार दे सकती है....

Page No.37

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि उद्योग लगाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान सरकार उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती। सरकार उद्योगों को किसी प्रकार का फायदा दे सकती है, आगे आने वालों को किस किस प्रकार की मदद दे सकती है तो वह असिस्टेन्स के तौर पर ही हो सकती है, सरकार का हेल्पिंग हैंड ही हो सकता है। आज यह वातावरण पैदा किया जाय कि जो कुछ करेगी वह सरकार ही करेगी, सरकार पर ही सारे अवलम्बित हों और सरकार करे तभी उद्योग पनप सकते हैं, यह वातावरण नहीं रहना चाहिये। इन्डिविज्युअल एन्टरप्राइज़ हो, यह कुबूल करना होगा। जो छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग चलाना चाहते हैं उनको सरकार किस प्रकार मदद दे सकती है, उस प्रकार से मदद देती है यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर चलाना चाहते हैं तो सरकार उनको रुपया देती है, उनकी मदद करती है, सरकार का यह हेल्पिंग हैंड हो सकता है। इस दिशा में सरकार पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है।

इसी प्रकार और महानुभावों ने भी बातें कहीं। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहादुरसिंहजी ने ने ग्लास फैक्ट्री के बारे में कहा कि वह ठीक तरह से नहीं चल रही है। मैं निवेदन करूं कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चल रही है। उसकी ओर से कोई शिकायत नहीं आई है और न उसने कभी रुपए मांगे हैं, उल्टा उन पर सरकार का रूपया लेना है। बिजली की रकम है। सरकार का ऐसा नियम है कि २०,००० किलोवाट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले से डेढ़ आना युनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, इससे कम बिजली खर्च करते हैं तो उसकी रेट अलग है।

श्री बहादुरसिंह : मैंने शिकायत नहीं की थी, मैंने यह कहा था कि बिजली सप्लाई नहीं करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : आपने उसके पक्ष में कहा था?

श्री रिखबचंद धारीवाल : (जारी) उनको जहां तक सबसेडाइज़ करने का सवाल है, मदद का सवाल है, नियम के अनुसार मदद देने को तैयार हैं। न तो उनकी कोई शिकायत सरकार के पास आई और न उनको कोई डिफिकल्टी है। उसके बाद यह कहा गया कि उदभयान इन्डस्ट्रीज़ हैं, उसके अन्तर्गत मैच फैक्ट्री वगैरह चलती थी वह बन्द है, सरकार को चलाना चाहिए। उदयभान इन्डस्ट्रीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उस पर मुदकमा हाईकोर्ट में चल रहा है। राज्य सरकार के कस्टम्स के रुपए बाकी थे उनको वसूल करने के बाबत केस हाईकोर्ट में है। उदयभान इन्डस्ट्री है, उसमें ऑइल मिल, शुगर प्लान्ट वगैरह हैं। इस सिलसिले में जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाय, इसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

इसके बाद मैच फैक्ट्री के लिए कहा गया। मैच फैक्ट्री जो धौलपुर की है, वह इकोनोमिक नहीं है, वह आज बड़ी मैच फैक्ट्रीज़ के सामने स्टेण्ड नहीं कर सकती। ऐसी शक्ल में यह नहीं चल सकती। अगर कोई व्यक्ति चलाना चाहे और अगर उसे सरकार

Page No.38

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की ओर से मदद चाहिए, ऋण के रूप में मदद चाहिए, तो सरकार देने को तैयार है। लेकिन यह कह देना कि कोई फैक्ट्री किसी आदमी के नहीं चलाने की वजह से, आपस के झगड़े होने की वजह से नहीं चलती हो तो ऐसी शक्ल में सरकार क्या कर सकती है? सरकार इस विषय में जागरूक जरूर रहना चाहती है और कोई इन्डस्ट्री, सरकार के द्वारा मदद न देने की वजह से बन्द हो जाय, तो हम मदद देने को तैयार हैं। यह नहीं हो सकता कि सरकार एक मैनेजर मुकर्रर कर दे और फैक्ट्री को फौरन चला दे.... ...

श्री बहादुरसिंह : प्रश्न यह था कि मैच फैक्ट्री बन्द है, उसको जो रियायत दे रखी है वह वापस ले लें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने आप से निवेदन किया कि जमीन के बारे में हम विचार कर लेंगे। अगर किन्हीं कठिनाइयों की वजह से वे फैक्ट्री नहीं चलाते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके बारे में देख लेंगे।

इसके बाद बीकानेर की ग्लास फैक्ट्री के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपस के झगड़े से फैक्ट्री न चले और उसका दोष सरकार के ऊपर पड़े तो यह आरोप कहां तक न्यायसंगत हो सकता है? इस फैक्ट्री के पार्टनर कहते हैं कि इस ग्लास फैक्ट्री को नहीं चलाना चाहते हैं इस पर कहा जाता है कि इसमें सरकार का दोष है। अगर वे चलाना चाहें तो चल सकती है। हम चाहते हैं कि वे लोग फैक्ट्री को चलायें। इसमें सरकार क्या कर सकती है? अगर वे सरकार के पास मदद लेने के लिए आवें तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं।

वूल कार्डिंग, स्पिनिंग और फिनिशिंग के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं। इसके बारे में हाउस में सवालात हुए, उस समय भी मैंने निवेदन किया था, इसके सेन्टर की बिल्डिंग में मशीन रखी गई, मशीन चली, उससे बिल्डिंग क्रैक हो गई। इसके लिए एक और शेड बना चुके हैं, वह कम्पलीट हो चुका है, उसमें मशीन फिट करने का काम हो रहा है और आशा की जाती है कि जल्दी से जल्दी, करीब एक महीने के अन्दर, सेन्टर चालू हो जायगा। इस सेन्टर में मशीनों के जरिये वूल की सफाई, फिनिशिंग का काम होगा। मैंने खुद ने देखा कि यह सेन्टर अच्छा चलता है, मशीन वगैरह लगने के बाद उसमें काफी उन्नति हो जायगी।

आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लान्ट के बारे में कहा कि बीकानेर में जिप्सम लिमिटेड कम्पनी ने अभी तक यह प्लान्ट नहीं लगाया, इस विषय में मैं निवेदन करूं कि कम्पनी की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से नहीं लगा सकते। हम बार-बार कहते हैं कि यह प्लान्ट लगा देना चाहिए और इसको तैयार करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे कुछ करें।

इसके बाद साल्ट मेन्युफेक्चर के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करूं कि वहां पर उस एरिया में लोग सॉल्ट बनाते हैं। बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कम्पनी ने भारत सरकार से सॉल्ट बनाने की इजाजत मांगी है, उस पर कार्यवाही चल रही है। अगर इजाजत मिल जाती है तो वहां कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। साल्ट की इजाजत देने का कार्य भारत सरकार

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पर निर्भर करता है, राजस्थान सरकार यह इजाजत नहीं दे सकती ।

इसी तरह किशनगढ़ मिल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा । मुझे भी बहुत अफसोस है कि समय-समय पर किशनगढ़ मिल की बात आती है और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार भी इसके लिए बहुत चिन्तित है लेकिन अगर आप सही स्थिति को देखें तो इसमें राजस्थान सरकार का कोई दोष नहीं है । किशनगढ़ मिल के ऊपर आज करीब ३० लाख का कर्जा है, किशनगढ़ मिल के ऊपर करीब डेढ़ लाख की डिक्री हो रही है और उसकी जायदाद को अटेच किया जा चुका है । इसके अलावा लेबर का ड्यूज, गवर्नमेन्ट का ड्यूज और दूसरे आदमियों के ड्यूज हैं । यह मामला मैंने खुद ने जाकर देखा, किशनगढ़ मिल को देखा, मशीनरी को देखा और उनसे बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की । उन्होंने कहा कि रुपया उधार दे दीजिये । मैंने कहा कि अगर रुपया उधार लेकर लेबर का पेमेन्ट करें, तो लेबर के पेमेन्ट के लिए सरकार उधार नहीं दे सकती । अगर इसे आप इकोनोमिक यूनिट बनाना चाहते हैं, उसका इम्प्रूवमेन्ट करना चाहते हैं तो ऐसी शक्ल के अन्दर हम रुपया उधार दे सकते हैं । मैंने उनसे यहां तक कहा कि मैं आपको पांच लाख रुपये दिलाने की कोशिश कर सकता हूं बशर्ते कि मुझे बता दें कि वाकई यह मिल चल सकती है या नहीं, इस रुपये के मिल जाने के बावजूद भी मिल चल सकती है या नहीं । वे मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सके । दर-असल बात यह है कि मिल को ठीक प्रकार से चलाने के लिए कम से कम १५, २० लाख चाहिए । मैंने उनसे यह भी कहा कि राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन में चले जाइये और रुपया ले लीजिये, वहां से ज्यादा रुपया मिल सकता है । हमने यह भी कहा कि किसी भी अच्छे केपेटिलिस्ट से, जिसका नाम हम बताते हैं, लिखा-पढ़ी कर लीजिये, एग्रीमेन्ट कर लीजिये, पांच लाख रुपया वह लगा दे, पांच लाख रुपया सरकार लगा दे, इस प्रकार १० लाख रुपया लगा देने से काम चल सकता है । लेकिन इस पर वे तैयार नहीं हैं, अब वह लिक्विडेशन में चली गई है, हाईकोर्ट में कार्यवाही जारी है, लिक्विडेशन में जाकर, जो कुछ भी कर्जा वगैरह है, वह साफ न हो जाय, कोई भी प्राइवेट आदमी इस मिल को लेने के लिए तैयार नहीं है । ऐसी दशा में कुछ नहीं किया जा सकता । मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार की यह पॉलिसी है । विजय नगर शुगर मिल है, उसको राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन से पांच लाख रुपया उधार दिया गया, और सरकार ने गारन्टी के लिए कहा कि हम गारन्टी करते हैं । यह बात नहीं है कि सरकार मदद नहीं करती है । वह मिल बन्द पड़ी हुई थी, शुगर केन पड़ा हुआ था, उसकी मदद करनी चाहिए थी मदद करने के लिए हमसे कहा गया, हमने उसकी मदद की, कोशिश की और अब वह मिल चल रही है और काफी गन्ना इस साल में पेला है ।

इसी तरह से विजय नगर कॉटन मिल बन्द थी, उसको भी चालू कराया है । और भी जो मिलें बन्द हैं, उनको चालू कराने के लिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है । राजस्थान सरकार कोशिश नहीं करती है, यह कहना दुरुस्त नहीं है । अगर कोई मिल आपसी झगड़ों के कारण नहीं चलाई जा सकती है, बावजूद इसके कि हम फाइनेन्स क

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मदद करें तो इसमें राजस्थान सरकार का क्या दोष है ?

इसी प्रकार कोटा मिल के बारे में निवेदन करूं कि वह बहुत अनइकोनोमिक युनिट है । उसको मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा उससे सम्पर्क रहा है, दूसरे नाते भी । मैं बार बार कहता हूं कि यह अनइकोनोमिक युनिट है । अब वह अच्छे उद्योगपति के पास चली गई है, बागड़ जी के पास, वे उस मिल पर रुपया लगाना चाहते हैं वे ।कुछ स्पिन्डल्स और चाहते हैं । उनको कुछ लूम्स व स्पिन्डल्स भारत सरकार ने दिए हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या उनकी मांग थी यह ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह नीति गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिय की है कि इकोनोमिक युनिट के लिए १२ हजार स्पिन्डल होने चाहिए । उनके पास कुछ पहले से थे नए दे दिए हैं; इस तरह कोटा पूरा हो जाता है । उन्होंने स्पिन्डल्स के बारे में कहा, उसके बारे में हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखेंगे और उन्हें लिखा भी है और ये स्पिन्डल्स मिल भी जायगे । जो स्पिन्डल्स मिले हुए हैं, जो लूम्स मिले हुए हैं उनको लगायें । ऐसी शक्ल में मैं निवेदन करूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, अगर वे रुपया मांगते तो रुपया भी दे सकते थे । ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको रुपये की जरूरत नहीं थी, वे फाइनेन्स की वजह से बन्द नहीं करना चाहते थे, वे स्पिन्डल और लूम्स की कमी के कारण बन्द करना चाहते थे ।

इसी तरह से कुछ इस प्रकार की भी बात आई कि हमारे यहां पर राजस्थान में कोई इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं हुई है । मैं निवेदन करूं कि बजट में इकोनोमिक इन्डस्ट्रियल सर्वे के लिए २५ हजार का प्रावधान किया है और इन्डस्ट्रियल सर्वे करने के लिए एक कमेटी भी मुकर्रर की है, लेकिन इन्डस्ट्रियल सर्वे करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत हुआ करती है । हर एक आदमी इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं कर सकता, उसमें कुछ तकलीफ है । लेकिन फिर भी इन्डस्ट्रियल सर्वे राजस्थान में करने के लिये सरकार जागरुक है और इस विषय में कार्यवाही कर रहे हैं । मैं निवेदन करूं कि जहां जहां पर हमारा सेट अप है, वहां इस तरफ तवज्जह दी है । हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहता है । पर जो ब्लाक और एन. ई. एस. है उनके अन्दर हमारे इन्डस्ट्रियल एक्सटेन्शन ऑफिसर होते हैं वे लोग जहां कहीं ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं, इसकी सारी रिपोर्ट हमारे पास भेजते हैं, वे एरिया देखते हैं, सर्वे करते हैं, जाते हैं, लोगों से मालूम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं । तो यह बात नहीं है कि हमें मालूम न हो कि किस एरिया में हमारा रॉ मेटीरियल है या हम अनभिज्ञ हों, हमें मालूम नहीं हो कि किस जगह क्या उद्योग और अन्यान्य उद्योग पनप सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ।

१ म० प०

श्री रामेश्वरदयाल : इन्डस्ट्रियल सर्वे के लिए कमेटी कब बनाई गई ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : लास्ट इयर बनाई गई थी और उसमें उन एक्सपर्ट्स के न मिलने के कारण फंक्शन नहीं कर सकी पर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हम इस बारे में प्रयत्नशील हैं और जल्दी ही सब कार्य सम्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे।

तो इस तरह विभिन्न तरीकों पर, जहां आपने देखा होगा, हैन्ड लूम के बारे में आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे हैंड लूम सेल्स डिपो हैं, जो कपड़ा खरीदते हैं और बाहर भेजते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के हैंड लूम सेल्स डिपो हमारे यहां मौजूद हैं।

श्री रामेश्वरदयाल जी ने कोटा के लिए कुछ बातें कहीं और कहा कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का कार्यालय वहां होना चाहिये, मैं अर्ज करूं कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ खादी उद्योग ग्रामोद्योग, इनको चलाना, उनको एड भी दे, यह सारा दफ्तर चलाना होता है और उसके हर कार्य में ऐसी बातें हुआ करती हैं कि जिससे उनका दफ्तर दूसरी जगह रहना मुश्किल है। बार बार अलग अलग काम के लिए यहां आना मुश्किल है। फिर अलग अलग जगह के लिए हमने ऑफीसर्स रख रखे हैं। तो ऐसी सूरत में डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का कार्यालय कोटा में नहीं ले जाया जा सकता। असिस्टेन्ट-डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ से शायद माननीय सदस्य का मतलब है उनका दफ्तर भरतपुर में है, उसके बारे में देख लिया जायगा कि क्या किया जा सकता है।

माननीय सदस्य श्री मुरलीधरजी व्यास ने औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाने के बारे में कहा कि हमारा यह उद्देश्य है कि समाजवादी व्यवस्था कायम करें और इन्डस्ट्रीज़ से हमें समाजवाद लाना चाहिये और वह इस तरह लाना चाहिए कि जो इन्डस्ट्रीज़ नेशनेलाइज़ करने लायक हैं उन्हें नेशनलाइज़ करना चाहिये। प्राइवेट सेक्टर में उन्हें फंक्शन नहीं करने देना चाहिए।

मैंने निवेदन किया कि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में और बड़े जोरों से कहा कि ६० लाख रुपया देकर एक इन्डस्ट्री को पनपाया कुटीर उद्योगों को नहीं दिया गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहरहाल कुछ इन्डस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जो बिलकुल ही प्राइवेट सेक्टर में होंगी और कुछ पब्लिक सेक्टर में होंगी और कुछ ऐसी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में होंगी।

श्री मुरलीधर व्यास : कॉटेज इन्डस्ट्री को नहीं दिया, ऐसा कहीं नहीं कहा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने यह कहा कि टेक्स्टाइल मिल्स को और शुगर मिल्स को नेशनलाइज़ कर देना चाहिए। माइनर इन्डस्ट्रीज, जहां इस प्रकार की मीडियम इन्डस्ट्रीज़ हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने सार्वजनिक निगम की बात कही थी।

श्री रिखबचंद धारीवाल : जहां आपने सार्वजनिक निगम के बारे में कहा कि एक ऐसा कॉर्पोरेशन चला देना चाहिये, वह नहीं चलाया और जितने प्राइवेट में काम होते हैं, उनको नेशनलाइज़ कर लेना चाहिए। पर मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर भारत सरकार से विभिन्न नीति अपना नहीं सकते। जो बेसिक इन्डस्ट्रीज़ हैं, या Stratagic Importence की इन्डस्ट्रीज़

Page No.42

(श्री रिखबचन्द धारीवल)

हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर काम करेगा, कुछ ऐसी हैं जिनमें प्राइवेट एन्टरप्राइज़ काम करेंगे में दोनों मिल जुलकर। पर इसके लिए कह देना कि कार्पोरेशन सबको चलाये तो इसमें पैसे का सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। आखिर इतना रुपया कहां से आये कि आपकी सारी इन्डस्ट्रीज़ को चलाने के लिए कारपोरेशन बनाई जाय और वह कार्पोरेशन ही इन सब इन्डस्ट्रीज़ को चलाये। जैसे एन. आई. डी. सी. कार्पोरेशन कुछ इन्डस्ट्रीज़ को चलाती है और उसी तरह माननीय सदस्य का मत है कि राजस्थान के अन्दर उसी तरह का हो, पर इसके लिए काफी धन की जरूरत है और वह रुपया कहां से लाया जा सकता है, यह एक बड़ा मुश्किल सवाल हमारे सामने है।

इसी तरह से आपने कहा कि बहुत से क्लॉथ मिल चल नहीं रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि बहुत से कारण हैं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने उन्हें सहायता नहीं दी हो या सरकार ने ऐसा रुख रखा हो कि जिससे वे चल न सकें, मदद नहीं दी हो जिसके कारण वे बन्द हो गये हों। पर उनके कुछ बेसिक कारण हैं, जिससे वे चल नहीं रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे चलें। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि वे चलें। तो हम यह नहीं चाहते कि वे बन्द रहें। हम तो प्रयत्नशील हैं कि वे चलें।

इसी तरह आपने फलौदी के नमक के बारे में जिक्र किया, मैं निवेदन करूं कि हमारे पास भी यह शिकायत आई है और सरकार ने इस पर विचार किया है, इसके बारे में कार्यवाही भी की है और कर रहे हैं और जो दोषी पाया जायगा वह किसी प्रकार बच नहीं सकेगा और हम उसको उचित दण्ड देंगे। मैं इतना ही आपके समक्ष कह सकता हूं कि अगर इस प्रकार की कार्यवाही की है और साबित हो गया तो दण्ड दिया जायगा। फलौदी में नमक वितरण करने के बारे में सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि कलेक्टर, एस. डी. ओ. और डिप्टी डाइरेक्टर केमिकल्स की इन तीन मेम्बरों की एक कमेटी बना दी है। इनके पास दरख्वास्त जायेंगी, तीन सौ प्लाट्स ।१०, १० एकड़ के निश्चित किये हैं, उनके पास दरख्वास्त जायेगी हमने रूल्स बना दिये हैं और इनके खिलाफ अपील के लिए कमिश्नर के पास प्रोवीजन रखा है, और इस प्रकार वितरण होगा और वह भी जल्दी ही हो जायगा।

फिर बीकानेर थियेटर के बारे में कहा, यह इन्डस्ट्री तो है नहीं, उद्योग है जिसको चलाने के बारे में म्युनिसिपेलिटी या इन्डिविज्युअल चलायें, कोई भी चलायें तो इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। पहले बीकानेर स्टेट के पास था फिर राजस्थान सरकार को मिला, फिर बन्द रहा और बाद में इसको नीलाम किया गया। म्युनिसिपेलिटी वाटर वर्क्स, पॉवर हाउस और थियेटर इन तीनों को चलाये। मैं तो निश्चित रूप से कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए पर म्युनिसिपेलिटी इस बर्डन को लेने को तैयार हो तब न। पर जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का सवाल है, एक शहर की बिजली, सड़क, वाटर वर्क्स, थियेटर वहां की म्युनिसिपैलिटी के होने चाहिये। यह एक अलग चीज है, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके बाद में एक माननीय सदस्य ने बताया कि हमने एग्ज़ीबिशन्स के बारे में एक

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लाख रुपये का प्रावधान किया है, मैं इतना निवेदन करूं कि इन्डस्ट्रीज़ का एग्ज़ीबिशन्स से ताल्लुक नहीं है। आपने कहा कि ज्यादा खर्चा हो गया, मैं निवेदन कर दूं कि यह इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखता। हमारी तरफ से एग्ज़ीबिशन में एक स्टाल होता है, उसमें हमारे यहां क्या क्या इन्डस्ट्रीज़ है इसके प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शन करते है, इस दृष्टि से कि राजस्थाम में कौन कौन से उद्योग हैं, उनको बताने के लिए यह खर्चा रखा गया। जनरल एग्ज़ीबिशन्स की बात कर रहे हैं उससे हमारा ताल्लुक नहीं है।

कोटेज और रूरल इन्डस्ट्रीज़ के बारे में निवेदन कर दूं कि इसके बारे में प्रावधान है बजट में १७,४२,२०० रुपये की राशि कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के लिए रखी है, खादी के लिए सब सीडी १,५०,००० रुपया, ग्रान्ट इन एड १,२०,००० रुपया रखा है। इस प्रकार कुल २०,१२,२२० रुपया रखा गया है यानी बजट का एक तिहाई कोटेज और रूरल इन्डस्ट्रीज़ के बारे में खर्च करने का प्रावधान है। इसलिये आज यह कहना कि कॉटन और वूल इन्डस्ट्री की तरफ सरकार की कोई तवज्ज्वह नहीं है, ठीक नहीं रहता। हमने इसमें काफी प्रावधान किया है और हम उसमें काम करना चाहते हैं। जितना हमने प्रावधान किया है उसको हम उसी में खर्च करना चाहते हैं। बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिये रुपयों की काफी जरूरत होती है, फॉरिन एक्सचेन्ज का भी झगड़ा रहता है, वह आसानी से मिलता नहीं और जब तक काफी रुपया न आ जावे और हमारे पास फॉरिन एक्सचेन्ज एवलेबल नहीं हो तब तक बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिये काफी डिफिकल्टीज़ होती हैं।

इसके बाद में टेनेरीज़ के बारे में कहा गया है। इसके लिये मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग और चर्म उद्योग को काफी रुपया सरकार की ओर से दिया गया है और इसके साथ-साथ कुटीर उद्योग को भी रुपया लोन के रूप में कमेटी द्वारा दिया गया है। चर्म उद्योग की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया है। इसलिये आज यह कहना कि टेनेरीज़ में रुपया नहीं दिया गया, यह उचित नहीं है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है या लो लेवल पर गड़बड़ हुई है तो आप पर्टीकुलर इन्सटेन्स बतावें उसके लिये जरूर जानकारी हासिल की जावेगी और कार्यवाही की जावेगी।

श्री पी० के० चौधरी : इन्स्टान्स दिया तो है।

श्री रिखबचद धारीवाल : वह हमारे पास आया नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप मुझे जानकारी देंगे, मैं जांच करूंगा। मैं तो यह कहूंगा कि रुपया हम बहुत सुगमता से देते आ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा इन मामलों में छानबीन भी नहीं करना चाहते हैं। अलबत्ता यह जरूर देखते हैं कि क्रेडिट वर्दीनेस है। ऐसा न हो कि रुपया जो हम दे रहे हैं, वह वापिस वसूल न हो सके। कल आप ही लोग यह कहेंगे कि इतना रुपया सरकार ने बांट दिया और इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वह रुपया वसूल होगा या नहीं। उसकी हैसियत है या नहीं कि जिससे रुपया वसूल हो सके। उनके प्रोपर्टी है या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि काफी लोगों को रुपया मिला है, सामान मिला है और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन मिला है।

Page No.44

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आगे आपने यह बताया कि टॉय मेकिंग धंधे को सरकार ने खत्म कर दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके लिए एक सेन्टर बनाया जाता है और वह कुछ समय तक के लिये और उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। एक जगह यह धन्धा चलता नहीं है। अब वह डूंगरपुर में चला गया है। इस तरह से अलग-अलग जगह ट्रेनिंग देने के लिये जाते हैं।

इसके अलावा कानौता के बारे में कहा गया कि वहां पर कोमन फैसिलिटी सेन्टर हो, इसके लिए मैं यह कहूंगा कि मशीनरी सप्लाई करने के लिए मशीनरी का ऑर्डर दे दिया गया है और कुछ आ गई हैं। एक दो महीनों में चालू हो जावेगा।

इसके बाद आपने सांभर में इन्डस्ट्रीयल एस्टेट के बारे में कहा कि सांभर में होना चाहिए। लेकिन जो इसके लिए क्राइटेरिया आपने बताया कि इन इन बातों पर होना चाहिए तो वह आपका क्रोइटेरिया सांभर पर लागू नहीं होता है। इसलिए मौजूदा स्थिति में यह उपयुक्त नहीं हो सकता। वैसे जयपुर में, भालूपुरा और भीलवाड़ा में ऐसी सम्पदा चालू होगी। हमको इसके पहले यह देखना होता है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट को खोलने से पहले कि उसके आस पास उसको फीड करने के लिए छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ हैं या नहीं। अलवर में हो सकता है। अभी जैसा विचार किया है। जोधपुर है, कोटा है, गंगानगर है जहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का निश्चित किया है, अगर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट हम बनाने के लिए हम तैयार हों तो भारत सरकार की तरफ से कोई एतराज नहीं है। मगर इसको खोलने से पहले हमारी पूरी तैयारी तो होनी चाहिये और अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो फिर हमारे लिए यह फालतू सी बात हो जाती है।

इसके बाद में कपासन ज़ीनिंग फैक्ट्री के बारे में कहा कि इसमें बड़े गोटाले हो रहे हैं। हाइएस्ट बिडर को नहीं देकर दूसरे को दिया गया। एक लाख ६० हजार रुपए में यह फैक्ट्री बेची गई है। हाथरस वाले ने टेन्डर की शर्तों के अनुकूल कोई टेन्डर नहीं दिया था। खरीददार का टेन्डर पहले कम आया। सरकार ने कहा कि हाथरस वाले के मुताबिक ऑफर है यानी एक लाख ६० हजार रुपए अगर देने को तैयार हो तो यह फैक्ट्री बेची जा सकती है जिसे खरीददार ने मंजूर कर लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने इस खरीददार को देने के बाद में तार और दरख्वास्तें दीं। उनका कोई आदमी आकर नहीं मिला। मैं यह कहूंगा कि उसमें कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट से भी इसकी छानबीन की गई है।

मनोहर थाने के बारे में श्री कालाबादल जी ने आदिवासी जातियों के उत्थान के लिये छोटे छोटे उद्योग खोले जाने पर कहा और कारपेन्ट्री सेन्टर के बारे में कहा। उसके लिये जांच करा लेंगे। उपयुक्त स्थान होने पर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि वहां पर खोला नहीं जावे।

अन्य भील एरिया से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके एरिया में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कार्य भी होना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए बजट में भील एरिया के लिए २५ हजार का प्रावधान किया है

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

और इसके अलावा वैसे तो डूंगरपुर में ४६,५०० रुपए दिए और बांसवाड़ा में ५३ हजार और वहां पर काम चालू है और बांसवाड़ा में लेदर ट्रेनिंग हैंडलूम ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए यह कहना कि भील एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है उचित नहीं है।

इसी तरह से माननीय श्री अनोपसिंहजी ने बाड़मेर में वूल फिनिशिंग और प्रेसिंग फेक्टरी कायम करने के लिए कहा था। मैं यह निवेदन करूंगा कि शौक से यदि कोई आदमी आगे आता है और कोई ऐसा काम करना चाहता है और जहां पर वूल फिनिशिंग और प्रेसिंग का कार्य हो सकता है, तो सरकार उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। हम उनकी सहायता करेंगे। कोई इसके लिए आगे आये, लेकिन यदि आप यह चाहें कि सरकार वहां जाकर खुद करे तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है।

श्री अनोपसिंह : मेरा कहने का मतलब यह था कि आपके डिपार्टमेन्ट ने कोई कोशिश नहीं की अब तक कि वहां पर ऊन की इन्डस्ट्री लगाई जा सकती है या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऊन के बाद में जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां रफ क्वालिटी ऊन होती है, फाइन क्वालिटी की नहीं। रफ क्वालिटी के माल में रफ चीज़ ही बन सकती है, जैसे लमदा और ऊन की मोटी चीजें। यह कोई प्राइवेट सेक्टर में इस इन्डस्ट्री को लगाने के लिए आता है और काम चालू करता है, तो हमें इसमें कोई भी एतराज नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जो भी संभव फेसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर को हम दे सकते हैं। यदि किसी को टेक्निकल असिस्टेन्ट्स की जरूरत हो, ऐसा कोई आप प्रस्ताव लावेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।

बाड़मेर और सांगानेर का प्रिन्ट के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करूंगा कि बाड़मेर और सांगानेर का प्रिन्ट से तो हमारा राजस्थान विदेशों में मशहूर हो गया है। यह काफी मशहूर है और चलता है। बाड़मेर में डाइंग प्रिन्टिंग सुन्दर होता है। २० आदमियों ने ट्रेनिंग रिसीव कर ली है। अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए, अच्छा रंग किस प्रकार लगाया जाय, जो पक्का रंग हो, बराबर उसकी ट्रेनिंग देते हैं और ऐसी बात नहीं है कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई काम किया ही नहीं जा रहा है।

हैंड लूम वीवर्स के बारे में यह कहा गया कि उनको बहुत सहायता नहीं दी गई है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि मैंने आपके सम्मुख आंकड़े प्रस्तुत किये हैं जिनसे ज्ञात हो सकता है कि सन् ५४-५५ में जहां २ लाख बांटे गये थे वहां इस साल करीब ६ लाख रुपया दिया गया है।

माननीय श्री धन्नालालजी हरित ने कैथून और मांगरोल के हैंड वीवर्स के बारे में कहा, मैं उनकी जानकारी के लिए जरूर कह सकता हूं कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को शेयर केपिटल के रूप में रुपया दिया गया और दो ढाई लाख रुपया तो कैथून और मांगरोल की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया इससे यह साफ जाहिर होता है कि काफी मदद दी गई। मांगरोल के अन्दर वीवर्स कालोनी हम कायम करना चाहते हैं जिसकी दो लाख

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

के करीब की लागत होगी। वहां काफी वीवर्स रहते हैं, ८००,६०० मांगरोल में हैं, ७००, ८००, केथून में।

ऐसी दशा में, जो कुछ इस विषय में सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उन पर पूर्ण तौर पर विचार करेगी और अधिक से अधिक कुटीर उद्योगों और ग्राम उद्योगों को सहायता के रूप में, टेक्निकल एजुकेशन के रूप में, जो स्कीम और प्रोग्राम हैं उस माफिक काम करेगी। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ पॉलिसी है वह स्पष्ट पॉलिसी है, स्कीम्स के अनुसार कार्य किया जा रहा है, लोन के रूप में और टेक्निकल सहायता के रूप में, मदद देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं ऐसी दशा में मैं यह समझूंगा कि कि जन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे उनको वापिस लेने की कृपा करेंगे और यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डा० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसके पहले भारत सरकार की जो नीति है उसकी जानकारी मुझे थी। मुझे यह भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे प्रान्त की कोई स्वतन्त्र नीति नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी मैंने यह प्रस्ताव रखा है और बजट को अच्छी तरह से देख कर, आंकड़ों को समझ कर जैसा मुझे महसूस हुआ वह मैंने यहां रखा। उप मंत्री महोदय ने जो शंका का समाधान करने की कोशिश की है उससे तो और भी उलझनें पैदा हो गई हैं कि वास्तव में हमारी सरकार की क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई स्टेटमेन्ट नहीं देंगी। आया आप विद्ड्रॉ करना चाहती हैं या नहीं ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं केवल स्पष्टीकरण कर रही हूं, स्टेटमेन्ट नहीं दे रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण तो पहले प्रस्ताव रखते समय हो गया।

डॉ० चन्द्रकला : मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ, लेकिन सुझाव देने का मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने पूरा किया। अब मैं सदन से अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला ने जो तीन कटौती के प्रस्ताव (१७१ ३०८ व ३२२) रखे हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव किया (संख्या १८१) रावराजा श्री सरदारसिंह ने रखा है उसको स्वीकार जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने किसी उद्योग विशेष के बारे में शिकायत नहीं की थी, किन्तु उनकी कठिनाइयों को बताया था और यह बताया था कि आप बिजली दे सकें । रियायत की बात तो तब उपस्थित होती जब कि रियायत के लिए मांग की जाती । धौलपुर में जितने उद्योग हैं उनके बारे में यह मालूम किया जाय कि उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे । साथ ही सदन से चाहूंगा कि मुझे मेरे कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो तीन कटौती के प्रस्ताव (संख्या १७२, ३१६ व ३१७) श्री बहादुरसिंह ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपने तीनों कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या १७५) श्री बालमुकुन्द ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री भीमसेन ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो चार कटौती के प्रस्ताव (१७६ से १७९) श्री भीमसेन ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (१८२) श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (१८३ व ३३६) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

दोनों कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री रामेश्वर दयाल ।

श्री **रामेश्वरदयाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी बात कह कर अपने

Page No.48

(श्री रामेश्वरदयाल)

सम्पूर्ण कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहूंगा कि सरकार ने औद्योगिक सर्वे के बारे में कमेटी बनाई है ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ४५ मिनिट का समय लिया है, अतः अब कोई इस बारे में स्टेटमेन्ट नहीं होगा।

श्री रामेश्वरदयाल : स्टेटमेन्ट नहीं दे रहा हूं। ६ महीने में सर्वे करवा कर योजना बन जानी चाहिए थी जिससे योजनाबद्ध तरीके से काम चल सके और सारी नीति सफल हो सके। यह कह कर अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि जो कटौती प्रस्ताव(१७३, १७४ व ३२९) श्री रामेश्वरदयाल ने रखे हैं उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था वह खास तौर से राजस्थान की जो औद्योगिक नीति है वह समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है इस वास्ते मैंने कट मोशन रखा है। जो उद्योग मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उससे उलझनें ज्यादा बढ़ी हैं। उनका उत्तर कोई स्पष्ट नहीं है। दो तीन बातें मैंने कही थीं, उसमें से उन्होंने केवल सार्वजनिक निगम के संबन्ध में कहा कि यह तो बनाया नहीं जा सकता, बनाने की कोशिश की जाती तो यह कह सकते थे। किन्तु सार्वजनिक निगम बनाने की कोशिश ही नहीं की गई फिर यह कह देना कि पैसा नहीं मिलता, ये ऐसी बातें हैं जो गुमराह करने वाली हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एक निर्णय ले लिया गया कि किसी भी प्रकार के कमेन्ट्स कोई कर नहीं सकता। यह सब माननीय सदस्यों का निर्णय किया हुआ था, हमें उसको मानकर चलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से यह आशा करता हूं कि जो निर्णय एक बार ले लिया गया उसी के अनुसार या तो वे प्रस्ताव रखने को कहें या कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति मांगे।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो कटौती के प्रस्ताव थे उनमें कुछ खास बातें थीं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में आदेश आपके हो चुके हैं उसके उपरान्त भी माननीय सदस्य बोले जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आदेश वहां से सीधे नहीं बल्कि आपकी ओर से आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं वही आदेश इस आसन से हुए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी बात जो भ्रष्टाचार के बारे में नमक के मामले को लेकर.......

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत बात है, मेरे आदेश के बावजूद भी आप इसे आरम्भ किए जा रहे है।

Page No.49

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा था भ्रष्टाचार के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! माननीय सदस्य से मैं आशा करता हूं कि वे चेयर के आदेश को ध्यान में रखें और इसके साथ-साथ उनसे मैं यह भी आशा करता हूं कि वे प्रस्ताव के सम्बन्ध में न बोलते हुए केवल वापिस लेते हैं या मत के लिए रखना चाहते हैं, इतना ही कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उनके बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में मुझे मौका दिया जाय क्योंकि जो उत्तर माननीय उद्योग मन्त्री द्वारा दिया गया है उसके बारे में जब तक कुछ नहीं कहा जाय तब तक उसका निराकरण नहीं देते हैं, तो इसका मतलब नहीं निकल सकता, इसलिये मैं दो लफ्जों में कुछ कहना चाहता हूं नमक के प्लोटों के सम्बन्ध में ....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपसे आशा है कि जो व्यवस्था मैंने दी है उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं कहेंगे, मुझे विश्वास है कि जो तरीका हमने तय कर दिया है उसी के अनुसार कार्य करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार के मामले की मैं बात कह रहा हूं, इसलिये मुझे मौका दिया जाना चाहिये और इसलिए मुझे मौका दिया जाना चाहिये और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं ऐसे मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कटौती प्रस्तावों को या तो वापिस लें या मतदान हेतु रखने को कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं, दो मिनिट ...

श्री उपाध्यक्ष : I have disallowed. Hon. Member will realise the difficulity. I have dicided that no time can be given and I hope the Hon. Member will observe all the principles of decorum which he is expected to observe.

श्री मुरलीधर व्यास : मगर मेरा भी अधिकार है और कर्तव्य है कि जो भ्रष्टाचार के मामले की बात आती है, तो उसको मुझे भी ठीक प्रकार से रखने दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! मैं समझ कर चलता हूं कि आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहते।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने या न लेने का सवाल नहीं है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : The chair is on its legs, I am putting the motion just to vote.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ, मैं अपने प्रस्तावों को वापिस नहीं ले रहा हूँ, लेने की बात ही नहीं कहता; तो आप यह किस आधार पर मेरे बिना कहे समझ सकते हैं कि मैं अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस ले रहा हूँ।

Page No.50

श्री उपाध्यक्ष : I think I have got that much of intelligence to raise an in fluence.

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने जब कटौती प्रस्ताव को लिया नहीं तो आप इस प्रकार की बातें कैसे कहते हैं........

श्री उपाध्यक्ष: Order ! order please !! I have been very lenient so far as the observation of the decorum is concerned. Inspite of my ruling over the issue if the Hon. Member resists on it, I have already said that there is no time at my disposal; hence the House will co-operate with me.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी बातों को भी आप सुनने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I have. Order, order please !!

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव (संख्या १६०) श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है उसको स्वीकार कर दिया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मुरलीधर व्यास : जब मैं अपने कटमोशन वापिस नहीं लेता तो आप यह कैसे समझ रहे हैं कि मैं अपना कट मोशन वापिस ले रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मुरलीधर व्यास : आप मुझे प्रोसीजर बता दीजिए जिसके अन्तर्गत आप मुझे कटौती प्रस्ताव पर न बोलने को बाध्य कर सकते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I think the hon. Member will not compel me to resort to any other means.

श्री मुरलीधर व्यास : आप मुझे प्रोसीजर बता दें ...

श्री उपाध्यक्ष : सदन का जो डेकोरम है, जो नियम है, उस पर आप क्यों एतराज कर रहे हैं ? I have given enough opportunity to the Hon. Member.

श्री दयाकृष्ण विजय : जब माननीय सदस्य दो मिनिट बोलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको बोलने देने में कोई एतराज चेयर को नहीं होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में अगर कोई प्रोसीजर है तो वह प्रोसीजर आप मुझे बता दीजिये; जब मैं प्रस्ताव लेता नहीं या वोट के लिये प्रेस करता नहीं, उससे पहले कैसे यह माना जा सकता है कि मैं प्रस्ताव को वापिस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब कि तीनों पार्टीज़ के लीडर और तीनों पार्टीज़ के व्हिप्स ने मिलकर जो समय व्यवस्था तय की थी उसी के अनुसार कार्य हो रहा है, फिर आप क्यों एतराज कर रहे हैं ? Now I will not give any opportunity to the Hon. Members to agitate on this issue nor to disturb the House.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि जब मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेता और न मैं उसको मत के लिये

(श्री मुरलीधर व्यास)

रखने के लिये कहता हूं तो वैसी हालत में आप यह कैसे समझ सकते हैं कि मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहता और उसको वोट के लिये रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I will just lite the procedure. Shri P. K. Chowdhri. I will give a ruling about it. I will enlighten the House. You will pleaseresume your seat.

श्री मुरलीधर व्यास : पहले मुझे वह प्रोसीजर बता दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : You cannot compel the Chair. There can be no compulsion over the Chair. I will enlighten the House. You will please resume your seat.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों (३११ से ३१५ व ३३०–३३१) को वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं। I may be permitted to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री पी० के० चौधरी के कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cutmotios.

श्री अनोपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कट मोशन पर ध्यान दिया फिर भी इस डिपार्टमेन्ट की जो इनएक्टीविटी है उसको देखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव (सं. ३१६) श्री अनोपसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

श्री भैरवलाल कालाबादल!

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री भैरवलाल कालाबादल को कटौती प्रस्ताव (संख्या ३२७) को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री लच्छूराम : मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या ३२८) को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इनको कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री लच्छूराम : मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

श्री मनरूपराम परिहार : मेरा जो कटमोशन का प्रस्ताव (संख्या ३३२) है, वह मैं वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

Page No.52

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटमोशन श्री मनरूपराम परिहार ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

कटमोशन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनरूपराम परिहार : मैं अपना कटमोशन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि कटमोशन (संख्या ३३३) जो श्री मोहरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

श्री धन्नालाल हरित : मेरे जो कटौती के प्रस्ताव (संख्या ३३४ व ३३५) हैं, उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री धन्नालाल हरित ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री धन्नालाल हरित : मैं अपने कटमोशन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहेंगे कुछ नहीं। आप केवल यह कहेंगे, कि "आप वापिस लेते हैं या नहीं।"

श्री गिरधारीलाल : नहीं साहब, मेरे कटमोशन का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..........

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ नहीं कहेंगे वापिस लेते हैं या नहीं?

श्री गिरधारीलाल : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने नहीं दिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री गिरधारीलाल : कुछ तो टाइम मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ यह कहें कि वापिस लेते हैं या नहीं। मैंने पहले ही इसके बारे में व्यवस्था कर दी है।

श्री गिरधारीलाल : यह व्यवस्था कब की गई थी?

श्री उपाध्यक्ष : This was approved by the whips of all the four parties and the House has approved it by the procedure and uses. which we have been adopting so long.

एक माननीय सदस्य : थोड़ा हिन्दी में भी तो बोलिए।

श्री उपाध्यक्ष : चारों सचेतकों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था और यह व्यवस्था बराबर प्रचलित रही है, इसलिए अब इसको पुनः आरम्भ नहीं किया जा सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें अपवाद नहीं हो सकता क्या?

श्री उपाध्यक्ष : सरलता से मांगा जाय तो हो सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कोई सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखता है और मंत्री महोदय की ओर से उसका जवाब नहीं आये तो सदस्य को बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो यह ऑपोज़ीशन के साथ बड़ा कुठाराघात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक व्यक्ति को समय देने या नहीं देने का प्रश्न नहीं है। इस वक्त इधर बैठने वाले कोटा से आने वाले जब माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने कहा था कि जो व्यवस्था है उसके मुताबिक चलें। पहले भी दो प्रस्तावों के अन्दर इस प्रकार की बात हुई है और मैं समझता हूं कि चाहे उपाध्यक्ष हों अथवा अध्यक्ष, दोनों को ही हमें सदन में व्यवस्था चलाने के लिए सहयोग देने की आवश्यकता है। अगर हम इन बातों में समय लगायेंगे तो मुश्किल होगा क्योंकि हो सकता है कि जो इधर से जवाबात दिये गये हैं उनसे किसी को संतोष हो या न हो। उसके लिए एक तरीका यह है कि कटमोशन को वह प्रैस कर सकते हैं। लेकिन यह जो समय का निर्धारण किया गया था, वह इसलिए किया गया था कि जो मुख्य मुख्य मांगें हैं उनको लिया जा सके और किसी एक चीज को लेकर अधिक समय न लगे। इसमें समय नहीं दिया जायगा क्योंकि यह सदन में व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था का पालन किया जाये। इसलिए इस पर अधिकार या और दूसरी दृष्टि से विचार करें, इसके अलावा एक माननीय सदस्य बोलना चाहें या दो बोलना चाहें और सारे सदन की जिसमें दिलचस्पी हो सकती है कि डिमान्ड्स ज्यादा से ज्यादा ली जायें और इस प्रकार समय खराब न किया जाय तो उम्मीद है कि इसे सभी माननीय सदस्य पसन्द करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट का समय मांगा गया था और इस वाद-विवाद पर मेरे ख्याल से ५ मिनट लग गये होंगे। इस प्रकार से वाद-विवाद करके समय बढ़ाया जाय और अपोज़ीशन के आदमी को नहीं बोलने दिया जाय, यह तो बड़ा अन्याय है।

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, जो हम कटमोशन्स यहां पर रखते हैं उनको रखने का उद्देश्य यही होता है कि सरकार कि ओर से कोई जवाब मिले और स्पष्टीकरण मिले और जब कोई जवाब नहीं दिया जाता है या सूचना गलत दी जाती है तो उस पर हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने निर्णय दिया है इसके लिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि पांच मिनट बोलने का समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी बराबर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष, महोदय, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ी नम्रता के साथ में कोई बात रखी जाये और मंत्री महोदयों के जवाब में कोई ऐसा मुद्दा रह जाये तो थोड़ा समय देकर सदस्य को बोलने दिया जाना चाहिए। अब हम बिल्कुल उसी तरीके से चलते रहें और फिर कुछ ऐसे मुद्दे आ जायें......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! मैं आपके मतलब को समझ रहा हूं मैं आपको (श्री गिरधारीलालको) सिर्फ दो मिनट देता हूं।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि समय सभी को मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं हाउस की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि यह सिर्फ अपवाद रूप है ।

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल दो कटमोशन्स रखे थे और एक मेरा कटमोशन ऊन के बारे में था। माननीय उद्योग मंत्री ने कल जो बहस हुई थी उसका जवाब दे दिया । मैं जहां तक समझ पाया हूं और मैंने सुना है मेरी बातों का माननीय मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है । बीकानेर शहर के अन्दरी जो ऊन का उद्योग है और उसके अन्दर जो मन्दी आई है वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मन्द आने के कारण ही आई है और उसी का प्रभाव पड़ा है । उद्योग मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि आज दिन दो हजार मजदूर ऊन में मन्दी आने के करण बेकार बैठे हैं और वहां पर अगर गलीचे का कारखाना रख दिया जाय तो दो हजार के बजाय चार हजार मजदूरों को काम मिल सकता है । आज दिन हमारी सरकार लाखों रुपयों का लोन उन व्यक्तियों को देती है जिनकी रकम ऑलरेडी लगी हुई है और जो रकम उनको देती है उसका ब्याज़ तक नहीं आता है और न रकम की सेफ्टी ही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल आंकड़े भी बताये थे कि सरकार ऐसे उद्योगों में रकम लगाती है जिनमें कि रकम वापिस ही नहीं आती और इस तरह से रूपया बरबाद हो जाता है । मजदूरों की समस्या को सुधारने के लिए और ऊन को प्रोत्साहन देने के लिए आप एक लाख या दो लाख रुपया नहीं लगा सकते, मैं कहता हूँ कि यह उचित काम नहीं है । आप समाजवादी समाज की व्यवस्था कर रहे हैं; तो कम से कम यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार समाजवादी समाज की स्थापना कर सकेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकार चलती है उससे हम कभी भी आशा नहीं रख सकते कि यह सरकार कभी भी समाजवाद लायेगी ।

[समय-समाप्ति सूचक घंटी]

इसलिए मैं सरकार के सम्मुख और माननीय उद्योग मंत्री के सामने यह निवेदन करूंगा कि समाजवाद को किस तरह से लाना चाहते हैं । इस तरफ माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान बराबर दिलाया है, लेकिन जहां समाजवाद और नीति का समय आता है, वहां सरकार कोई जवाब नहीं देती है । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ जो मेरा कटमोशन है उसको सदन के सम्मुख विचारार्थ रखता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटमोन्स (सं ३३७व ३३८) श्री गिरधारीलाल ने रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे उस संबंध में पूछा था कि मेरा प्रस्ताव गिर गया और आपने कहा था कि मैं प्रोसीजर देखकर बताऊंगा; तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोसीजर में ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसको वापिस ले लूं या बाद में उसको लिया जाय । इस संबंध में........

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था इस संबंध पूर्ववत् है । फलतः इस सदन में कार्य

(श्री उपाध्यक्ष)

करने के लिए टाइम एडजस्ट कर दिया गया था और रूल्स को रिलेक्स करके सदन की सम्मति से कार्यवाही को आगे बढ़ाया। उसके संबंध में फिर यह व्यवस्था है कि आपके कटमोशन्स को सदन के सम्मुख आपके उन्हें न प्रस्तुत करने की स्थिति में मत-हेतु रख दिया और निर्णय लिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मगर उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से और सदस्यों को समय दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member, ! It is a simple principle of decorum that when the Chair is on its legs, the Hon. Member will resume his seat. That position has always been maintained by the House.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. Again you will realise. I think you will not compel the Chair to resort to other means.

प्रश्न यह है, कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६४,४०,००० रु० तक की धनराशि प्रदान की जावे।" जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें...

श्री मुरलीधर व्यास ; उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं पोइन्ट ऑफ आॅडर रेज़ करना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : I think you will not compel me to come to rule 243 of the Rules of Business of this House:-

"Speaker may direct any Member whose conduct is in his opinion grossly disorderly, to withdraw immediately from the House and any Member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting."

मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि मांग मतदान के लिए रख दी गई है, साधारणत: सदन का कोई भी सदस्य जब अध्यक्ष खड़े हों तो नहीं बोलेंगे और न कोई डिस्टरबेंस कर कर सकते हैं। यह व्यवस्था है और रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे पहले सुनने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष When the Chair is on its legs no point of order can be raised.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी बातों को गुमराह करने के लिए यह सब किया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज!! जो इस मांग के पक्ष में हों वे हां कहें और विपक्ष में हों वे ना कहें।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २१ स्वीकार की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे जो कट मोशन्स हैं उनके संबंध में कोई भी इस प्रकार का नियम इसके अन्दर नहीं है कि मैं नहीं लेता हूं या लेता हूं, उसको सुने बिना इस प्रकार से सदन में रखा जाता है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था उसके अन्दर नहीं है। इसलिए कट मोशन्स जो मैंने रखे हैं उनके बारे में अपनी बात कहने के पहले कि मैं लेता हूं या नहीं लेता हूं, उसका मुझे मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : That opportunity is not given. Reasons I have given.

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं दी गई, यह मेरे दिमाग में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : If they are not convincing to you, I am not at fault.

श्री मुरलीधर व्यास : कोई रूल है नहीं !

श्री उपाध्यक्ष : आप संतोष करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं संतोष नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : What is the remedy ?

श्री मुरलीधर व्यास : रेमेडी यह है कि बराबर मौका दिया जाय। कटौती प्रस्ताव है उसके संबंध में कहने का आपने कहा था कि दो मिनिट का समय दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कि हम सदन की चेयर के प्रति बराबर इस प्रकार से करते चले जांय और इसको ज्यादा वाद-विवाद का विषय बनाया जाय। मुझे आशा है कि इस बारे में आगे वाद-विवाद नहीं बढ़ाएं और रूल व दूसरी बातों का प्रश्न नहीं खड़ा हो इस बारे में और सदन की कार्यवाही शान्ति से चले वह ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। रहा सवाल इस बात का कि उनको कुछ कहना था इस संबंध में, मैं समझता हूं कि उसके लिए किसी प्रकार से रूल्स के अन्दर व्यवस्था है, उसके बजाय एक-दो मिनट के ज्यादा समय के लिए यदि वे चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही अवसर चला जाय और और उसके बाद में फिर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करना चाहें तो हॉफ एन अवर डिस्कशन कर सकते हैं, शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर सकते हैं, इस प्रकार से अवसर हैं रूल्स के अन्दर। किसी बात को नहीं कहने देने का प्रश्न है, तो आगे कह सकते हैं। जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है उसमें इस प्रकार से करना उपयुक्त सा प्रतीत नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद की प्रतिष्ठा को स्वयं समझता हूं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि पदकी प्रतिष्ठाको किसी प्रकार से मेरे कारण से आघात हो। वह सदन की प्रतिष्ठा है। उसके साथ साथ यह महसूस करता हूं कि उस पद की प्रतिष्ठा उस समय तक है जब तक कि वह सबके लिए समान रूप से न्याय दे सके। उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बात कहना चाहता हूं कि मैंने जो कट मोशन्स मूव किये थे उन कट मोशन्स को मूव करने के संबंध में २ मिनिट का समय मांगा था। दूसरों को जिस प्रकार से दिया है

Page No.57

(श्री मुरलीधर व्यास)

कुछ समय देने के बाद में मुमकिन है कि मैं ले लेता उसको वापिस या उसके बाद में कहता कि नहीं लेता; उसके बाद में इस प्रकार से किया जाता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से चाहे एक व्यक्ति हो या ज्यादा, अन्याय के प्रतिकार के स्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बराबर मौका दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि मुझे दो मिनिट का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं प्रार्थना करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member will resume his seat.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : I am in possession of the House.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly resume your seat.

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की चीज़...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आदेश देता हूं कि ऑनरेबल मेम्बर इस सदन से अपने आपको विदड्रा करें।....

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे दो मिनिट कहने का मौका दिया जाय। मैं यह अर्ज आपके सामने करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आदेश देता हूं कि माननीय सदस्य इस सदन के प्रांगण से अपने आपको विदड्रा करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से विदड्रा करने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : मैं तीसरी मर्तबा आदेश देता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : आदेश, भ्रष्टाचार की बात....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आदेश देता हूं कि माननीय सदस्य अपने आपको इस सदन के प्रांगण से विदड्रा करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : सार्जेन्ट एट ऑर्म्स ! माननीय सदस्यों की अनुमति से मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपने आपको सदन से विदड्रा करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मैंने ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! अर्डर !! सार्जेन्ट-एट-आर्म्स !

श्री मुरलीधर व्यास : उस भ्रष्टाचार के ....

श्री उपाध्यक्ष : Sergeant-at-arms please remove the Hon. Member from the floor of the house

Page No.58

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार के बारे में इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि यह शोभा की बात नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Sergeant-at-Arms, to remove the Hon. Member from the House.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करता हूं कि मुझे उसके बारे में मौका दिया जाय मैं बड़ी नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं । ....

श्री उपाध्यक्ष : Sergeant-at-Arms to remove the Hon. Member from the House.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस प्रकार से कुछ बातें भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता था ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें, क्योंकि ऐसे मसले इस प्रकार के जोर से नहीं रह सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मन्त्री) मैं श्री मुरलीधर जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की बातों में नहीं पड़ें ।

(इसी बीच श्री उपाध्यक्ष के आदेश से श्री मुरलीधर व्यास को सार्जेन्ट एट आर्म्स सदन के प्रांगण से बाहर ले गये)

मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०–कृषि

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, " कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४० कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०५०२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावें ।'

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई । समय की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी । Congress 30 minutes, R. R. P. 15 minutes, P. D. P. 15 minutes, Jansangh 15 minutes, others 5 minutes each.

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी के चौधरी : This half an hour for each Member or the whole party ?

श्री उपाध्यक्ष : Whole party.

(विराम)

साढ़े चार बजे गुलेटीन प्रभावशाली होगा। कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

Shri P. K. Chaudhari.

339. "That Demand No. XVIII, Major head 40—Agriculture be reduced by Re. 1/- (To disucuss the failure of the Government's agricultural policy)."

347. "That Demand No. XVIII Major head 40—Agriculture be reduced by Re 1/- (To discuss the failure of the Government to develop Agricultural Marketing Societies)."

361. "That Demand No. XVIII, Major head 40—Agriculture be

Page No.59

(श्री पी० के० चौधरी)

reduced by Rs. 100/- (To discuss the salary of the plant protection staff)."

श्री रामकरणसिंह

३४२. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०—कृषि में १) रु० मात्र की कटौती की जाए (तहसील कोटपुतली में इस विभाग की ओर से कोई काम न किये जाने के बारे में वाद-विवाद करने हेतु) ।"

श्री शिवचरणदास

३४४. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०—कृषि में से १) रु० कम कर दिया जाए (विभाग में व्याप्त अनियमितता पर विचार करने के लिए) ।"

श्री बालमुकुन्द

३४५. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०—कृषि में से १) रु० कम कर दिया जाए (आदिवासी क्षेत्र में कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इस पर विचार करने के लिए) ।"

श्री बहादुर सिंह

३४८. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०– कृषि में १००) रु० कम कर दिये जाएं (धौलपुर में कृषि के सुपरवाइजर या उच्च अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने के लिए) ।"

श्री भैरवलाल कालाबादल

३६०. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०- कृषि में से १) रु० कम कर दिया जाए (अन्न उत्पादन में सरकार का कम सहयोग होने पर विचार करने के लिए) ।"

३४६. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०– कृषि में से १००) रु० कम कर दिये जाएं (कृषि कार्य की ओर कम ध्यान होने पर विचार करने के लिए) ।"

श्री रामेश्वरदयाल

३५०. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०– कृषि में से १००) रु० कम कर दिये जाएं (Botanical Research Laboratory कोटा से स्थानान्तरित किये जाने पर विचार करने के लिए) ।"

368. "That Demand No. xviii, Major head 40- Agriculture be reduced by Re. 1/- (To discuss the policy of the Govt. towards co-oprative and mechanised farming) ."

369. "That Demand No. xviii, Major head 40- Agriculture be redneed by Re 1/- (To discuss the policy of the Govt. in respect of soil conservation in Kota Division."

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

३७२. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०– कृषि में से १) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों को बीज के गेहूं जो सरकार द्वारा बाढ़ी पर दिये जाते हैं उस बाढ़ी की तादाद को कम किये जाने पर विचार करने हेतु) ।"

श्री मूलचन्द डागा

३६५. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०– कृषि में से १) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में अव्यवस्था पर विचार करने के लिए) ।"

३६६. "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०– कृषि में से १) रु० कम कर दिया जाय (जिलों में जगह जगह District Ag-

(श्री मूलचन्द डागा)

riculture officers की आवश्यकता पर विचार करने के लिए]।"

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मेरे इस डिमान्ड पर तीन कट मोशन्स हैं, One is No.339, the other is 347 and the third is 361.

तीन कट मोशन्स मैं मूव करना चाहता हूं। सबसे पहला मेरा जो कट मोशन है ३३६ नंबर पर फेल्योर ऑफ दी गवर्नमेंटल एग्रीकल्चर पालिसी, उसके बारे में मैं कहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस बारे में, इस मांग के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सरकार की जो एक्सेप्टेड एग्रीकलचरल पालिसी थी उसमें कहां तक इनको कामयाबी मिली है, उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं।

वैसे तो गवर्नमेन्ट की तरफ से एग्रीकलचर पोलिसी का कोई स्टेटमेन्ट हुआ हो, ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन जो फाइव ईयर प्लान वगैरह है या वक्त वक्त पर गवर्नमेन्ट की तरफ से जो कुछ विज्ञप्तियें निकलती हैं, उनसे काफी मालूम होता है। उनकी जो एग्रीकल्चरल पोलिसी है, उसके आखिर में एक चीज है और वह यह कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ावें। दूसरा जैसा सरकार का सेकेन्ड फाइव इयर प्लान राजस्थान गवर्नमेन्ट का है, उसमें बताया गया है कि फूड और केश क्रोप को बढ़ावें यानि प्रॉडक्शन ओफ केश क्रोप। तीसरी बात जो है वह है इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की। तो मैं यह देखना चाहूंगा कि इन चीजों में आज तक कहां तक प्रगति हुई है।

सबसे पहले बेलेन्स्ड फूड एन्ड केश क्रोप पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि पिछले साल एस्टीमेट कमेटी में केश क्रोप के प्रॉडक्शन की तरफ गवर्नमेन्ट ने बिलकुल कम ध्यान दिया है। दूसरे साल से सरकार की तरफ से केश क्रोप की तरफ ध्यान दिया जा रहा है इस साल भी केश क्रोप के प्रॉडक्शन के लिये जो प्रावधान है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जहां तक तेल सीड के इम्प्रूवमेन्ट का सवाल है, सेकन्ड फाइव इयर प्लान में तेल सीड के इम्प्रूवमेन्ट के लिये तीसरे साल में प्रावधान है और वह भी डेढ लाख रुपयों का है। इसके अलावा शुगर और कोटन डेवलपमेन्ट के लिये सिर्फ करेन्ट इयर ५७-५८ में गवर्नमेन्ट की तरफ से कुछ निश्चित चेष्टा की जा रही है, लेकिन जो कुछ चेष्टा की जा रही है उसको मैं एडिक्वेट या प्रचुर नहीं मानता।

दूसरा सवाल इन्टेंसिव कल्टीवेशन का है। मैं देखता हूं कि इसके लिये सरकार की तरफ से जो चेष्टा या प्रयास होना चाहिये वह नहीं होता है। मिसाल के तौर पर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन में जो एडवान्स कल्टीवेशन का टेक्निक है, उसका इस ढंग से व्यापक प्रचार हो कि लोग उसको ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। जो प्रयास हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। जो मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन हैं उसको मैं मानता हूं कि राजस्थान में डिस्करेज किया जाता है और जो रिर्टन्स आते हैं उनसे मालूम होता है कि मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। बल्कि जो इस तरह का कल्टीवेशन करते थे वे भी विड्ड्रा कर रहे हैं। इतना ही नहीं मैं इस सिलसिले में आपका ध्यान मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन की तरफ से सरकार कितनी जागरूक है उस ओर दिलाऊंगा इसके बारे में एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में जो रेफ-

(श्री पी० के० चौधरी)

रेन्स है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। उससे साफ जाहिर होगा कि सरकार की तरफ से मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन है उसको पोपुलराइज करने के लिये क्या किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एस्टीमेटी कमेटी की ५६-५७ की रिपोर्ट जो इस साल हमको मिली है उसके पे० ५८ में लिखा है :

"The committee examined at great length the possibilities for the widespread use of improved agricultural implements and it was shocked to hear that the Government was not using these implements in its own farms whereas it spent large sums of money for the publicity of the same. The Government should make a begin with its own farms. It appeared the Department is not extending any facilities so for as supply of implements is concerned."

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो इन्टेंसिव कल्टीवेशन है उसमें जैसा फर्टिलाइजर, इम्प्रूव्ड सीड्स और मेन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ में मोर्डर्न इम्पलीमेन्ट्स का भी इस्तेमाल होना चाहिये। लेकिन सरकार के जो डिमान्सट्रेशन फार्म्स हैं उनमें भी इम्पलीमेन्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हालां की लाखों रुपयों का खर्चा करके, इन साधनों को खरीद कर रखा है, लेकिन उनको उपयोग में नहीं लेते हैं।

दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो डिमॉन्सट्रेशन फार्म्स हैं वे इसलिये रखे जाते हैं कि उनमें जो काम किया जाता है, उसको देखकर किसान लोग उसको अडाप्ट करें। लेकिन देखना यह है कि जिस ढंग से सरकार खेती करती है वह पेइंग है या नहीं? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां पर जितने डिमॉन्सट्रेशन फॉर्म्स हैं वे सेल्फ पेइंग नहीं हैं, जब तक वे डिमान्सट्रेशन फॉर्म्स सेल्फ पेइंग नहीं हैं तब तक उनसे शिक्षा लेकर किसान लोग क्या अपने आप को बैंकरप्ट करने के लिये उसका उपयोग करेंगे? ये जो डिमान्सट्रेशन फार्म्स रखे हैं उनका मेनेजमेन्ट इस ढंग से है कि वह सिर्फ नोनपेइंग ही नहीं हैं बल्कि उससे डिमान्सट्रेशन फॉर्म का पर्पज भी हल नहीं होता है। वे एक्सपेरिमेन्टल फार्म हो सकते हैं लेकिन डिमान्सट्रेशन फॉर्मस का जसा प्रिन्सिपल होना चाहिये वैसा नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

I will take two minutes more, Sir,

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : इसी तरह से कंपोस्ट मेकिंग को जो प्रोत्साहन देने का है उस तरफ से भी सरकार पीछे रही है, हालांकि यह एक्सेप्टेड आइटम है। इसी तरह लेगुमिनस क्रोप कल्टीवेशन का इस साल प्रावधान नहीं है। होल राजस्थान में लेगुमिनस क्रोप और ग्रीन मेन्योरिंग की ज्यादा जरूरत है, बनिस्पत उस क्रोप के जिसका इस्तेमाल वहां कर सकते है जहां पर प्रचुरमात्रा में पानी है। लेकिन हमारे यहां ग्रीन मेन्योरिंग को ज्यादा पोपुलर करना चाहिये वह यहां नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाता है वह सिर्फ गवर्नमेन्ट एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स और

Page No.62

(श्री पी० के० चौधरी)

डिमोन्सट्रेन्शन फार्म में ही किया जाता है। इसकी २०-२५ स्कीमों में से दो तीन में कामयाब हुए हैं, उसके अनुसार एक भी थरमल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका एक्सपेरिमेन्ट सीमित रहा है। इसको डिमोन्सट्रेशन फार्म तक ही सीमित नहीं करना है, बल्कि पोपुलराइज करना है।

दूसरी बात यह थी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में एग्रीकल्चर के संबंध में इन्फोर्मेशन सर्विस शुरू करने का सवाल था लेकिन इस योजना का तीसरा साल चल रहा है, लेकिन इसको एस्टेब्लिश करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं समझता हूं ये चीजें नहीं की जायंगी तब तक गवर्नमेन्ट की जो एक्सेप्टेड पोलसी है उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं होगा।

मेरा तीसरा कट मोशन है प्लान्ट प्रोटेक्शन स्टाफ के बारे में। उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। प्लान्ट प्रोटेक्शन "ग्रो मोर-फूड" या इन्टेन्सिव कल्टीवेशन में आता है और इसके जो तमाम मेज़र्स हैं उनको राजस्थान में इम्पलीमेन्ट करने के लिए जैसे हाथ से खाद डालने, रेट्स और दूसरे जानवरों को मारने आदि लिये मुकद्दम लोग होते हैं उनके साथ ज्यादती की गई है। सन् ५०-५१ में उनको ४० रुपये मिलते थे और सन् ५१ में ग्रेड दिया गया ६० से १२० का, लेकिन इसके बाद सन् ५६ में जब कि रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स किया जाता है तब बाकी सब स्टाफ का ग्रेड बढ़ा दिया गया लेकिन प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिए जो मुकद्दमे आदि फील्ड स्टाफ है उसका ग्रेड कम कर दिया गया और सन् ५१से पहले जो था वही दे दिया गया तो इसलिए मैं कृषि मंत्री का थोड़ा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्लान्ट प्रोटेक्शन स्टाफ है उसको वापिस ४० रुपये तनख्वाह देने लगे हैं और राजस्थान भर में उनके ट्रान्सफर होते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स से किसी भी स्टाफ की ग्रेड में कमी नहीं हुई है, हर ग्रेड के अन्दर काम करने वालों की कुछ तरक्की हुई है। लेकिन प्लान्ट प्रोटेक्शन स्टाफ के मुकद्दम की की केटेगरी ऐसी है, जिनकी तनख्वाह १९५६ में कम की गई है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्लान्ट प्रोटेक्शन की जो आपकी स्कीम है, उसको अफेक्टिव बनाना है, इसकी जिम्मेदारी जिन स्टाफ पर है ……

(घंटी)

उसकी तनख्वाह की तरफ ध्यान रखा जाय।

२ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह : (कोटपुतली) माननीय उपाध्यक्ष, वैसे कोटपुतली एक ऐसा इलाका है जहां पर सिवाय खेती करने योग्य भूमि बनाई जाय और जिससे वहां के रहने वाले गुजारा कर सकें इसके अलावा किसी प्रकारसे कोई अन्य कार्य करने की वहां गुंजाइश नहीं है। मगर यह भूमि उस भूमि पर काम करने वाले काश्तकारों के लिए किस प्रकार काम आसकती है और आरही है ? वहां पर अधिक भूमि कुछ रेतीली है, कुछ नदी नाले

(श्री रामकरणसिंह)

आते हैं, नदी नाले उस छोटेसे इलाके में काफी तादाद में आते हैं, जिससे कटाव का काम चलता है और उस कटाव से बहुत से खेत नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो रेतीली भूमि है, वहां गर्मी के दिनों में आंधी वगैरह चलती हैं, उससे खेत का नीचे का पैंदा नजर आने लगता है, इस आंधी से खेत की बालू जिसे काश्तकार मेहनत से उपजाऊ बनाते हैं, वह उड़ जाती है। इससे हर व्यक्ति को बरसात के मौसम के बाद फिर से खेत को नये ढंग से पनपाना पड़ता है

२.३. म०प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति पदासीन)

माननीय मंत्री मोहदय इससे जान सकेंगे कि हर समय हर फसल के लिए काश्तकार किस प्रकार मेहनत करके, जितनी लागत लगा कर जमीन को उपजाऊ बना सकता है। इसके लिए काश्तकारों को आज तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है, यह बात नहीं है, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए और जो चीज हमारे इलाके के लिए करनी चाहिए, जिसमें केवल खेती के अलावा कोई साधन नहीं है। इस इलाके के काश्तकारों के लिए, मजदूरों के लिए, खेती करने वालों के लिए जितनी सहायता मिली है वह ना के बराबर समझी जा सकती है, क्योंकि हर खेत में किसान अपनी लागत से, मेहनत से मेड़ बनावे, डोली बनावे, खेत में खाद लगावे, इन सब चीजों को किसान कैसे करे? वह लगान देवे, मेड़ बनाये, या खाद डाले। वह किस प्रकार बोहरे से पैसा लेकर अपना काम चला सकता है, लेकिन अपने पशुओं के लिए और बीज के लिए किस प्रकार प्रबन्ध कर सकता है, यह स्वयं माननीय मंत्री महोदय सोच सकते हैं। इसके अलावा हमारे इलाके में एक प्रकार की खेती की बीमारी है, जिसके बारे में मैंने कई प्रश्न रखे हैं, उनके जवाब में माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि एक प्रकार की बीमारी खेती को लगती है, जिसके कई नाम हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं, जो खेती को नष्ट कर देते हैं। इस समय फसल का टाइम है, अगर आंकड़े मंगाये जांय तो भली प्रकार देखा जा सकता है कि रोली, मोला नाम के कीड़े काश्त को खाते हैं और इस प्रकार पूरी फसल नष्ट हो जाती है। काश्तकारों की खेती, जैसे कोई बीज बोया ही नहीं है, ऐसी नजर आती है। उन्होंने तकलीफ से पानी देकर, हर प्रकार से कोशिश करके अन्न उपजाने की कोशिश की लेकिन इस बीमारी का सामना वे नहीं कर सके और इस बीमारी को दूर नहीं करने से, आज जब फसल पक चुकी थी, उन्हें यह आशा हो चली थी कि अनाज को घर में रखेंगे, उन्हें निराशा हो गई। ऐसी हालत को सरकार की तरफ से किस प्रकार से, किस तरह सम्भाला जा सकता है, यह माननीय मंत्री सोच सकते हैं!

इसके अलावा जो औजार हमारी खेती के लिए मिलते हैं, चाहे वे किसी प्रकार के लोहे के हों फौलद के हों, अभी तक कृषि विभाग की ओर से काश्तकारों को कंट्रोल रेट से नहीं मिले हैं। होता;यह है कि वे ब्लेक से खरीदे, किसी प्रकार से भी वे औजार लाये। यह बात दूसरी है कि क्योंकि हर आदमी काम करना चाहता है, इसलिए उसे हर हालत में औजार खरीदने पड़ते हैं, चाहे कितना ही पैसा देना पड़े। इसके अलावा पिछले टाइम में, जितनी जानकारी मेरी है, सीमेन्ट वगैरह लेने के लिए काश्तकार यहां आये, उस टाइम सीमेन्ट थी या नहीं, यह तो विभागीय अधिकारी

(श्री रामकरनसिंह)

या कर्मचारी ही जान सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि उन्हें निराश लौटना पड़ा। इसका रिकार्ड, अगर मंत्री महोदय देखें तो भली भांति ज्ञात हो सकता है कि हमारे इलाके के लोग, ४५ मील से यहां पर आये लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। इसके अलावा कूए बनाते समय सरिये लगाये जाते हैं। उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि अभी तक हमारे इलाके को एक भी सरिया कन्ट्रोल रेट से इस विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, मेरे इलाके के कुछ लोग सीमेंट के लिए और सरिये लेने के लिए, जो कूए के लिए चाहिए थे, यहां आये। मगर यहां पर सरिये का नाम तक नहीं था, उनसे कहा गया कि सीमेंट मिल रही है, सरियों का क्या करोगे, सरिये बाजार से ले लेना। १०, १५ व्यक्ति ७० मील दूर से आये, उन्होंने सीमेंट से ही संतोष करा और ब्लेक से सरिये ले गये। मैं जोर देकर अर्ज करूंगा मंत्री महोदय से कि वास्तव में कोटपुतली तहसील से लोग सरिये लेने आये हैं, लेकिन उनको सरिये नहीं मिले।

इसके अलावा टीन के लिए भी काश्तकार ७० मील से आते हैं। हमने कोशिश की, कृषि अधिकारी से मिले भी। हमने उनसे कहा कि किसी प्रकार की भी सहूलियत जो काश्तकारों को देंगे, वह कोटा वहां दे दिया जाय ताकि गर्मी के मौसम में फसल और चारा नष्ट हो जाता है, उसका बचाव कर सकें काश्तकार लोग अपना बचाव कर सकें। इसके लिए अगर रिकार्ड देखा जाय, तो मालूम होगा कि १५–२० काश्तकार आये हैं, उस समय उनको इन्कार किया गया। इसके बाद उस तहसील के सरपंच को बुलाया गया, वे आये, उनके आने के बाद मैं खुद भी गया हूं। वहां जाने पर वहां एक सहायक अधिकारी हैं मिस्टर फिजी, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास टीन नहीं है। टीन वगैरह होते हुए भी जवाब दे दिया कि नहीं देंगे। अन्त में कोशिश करके टीन की परमिट लेने के बाद भी चार महीने हो गये हैं, लेकिन अभी पड़ी है। शायद दो तीन महीने के बाद काश्तकार टीन ले सकें, लेकिन उस समय तक टाइम हो जायगा, और इस प्रकार कोई रकम खर्च करने के बाद भी फायदा नहीं ले सकते।

(घण्टी)

इसी प्रकार मैं बोरिंग मशीन के लिए कहूं। हमारा इलाका काफी पहाड़ी इलाका है। बोरिंग मशीन के बिना कूओं में पानी नहीं आ सकता मगर इस प्रकार की सहूलियत भी नहीं मिलती है। अन्त में मुझे अर्ज करना है कृषि मंत्री जी से कि इस तरह कृषि के आधार पर ही रहने वाले इलाके को ऐसी चीजें न मिलें, तो उनके लिए और क्या हो सकता है? इसलिए ही मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है कि कृषि मंत्री जी इस पर गौर फरमायें और वहां के काश्तकारों को सहूलियत मिल सके। उन्हें यह भली प्रकार से मालूम है कि वहां के अधिक लोग काश्त पर निर्भर रहते हैं, वे खेती करके अपना गुजारा करते हैं। उनके सामने खास चीज यह है कि इस टाइम में फसल को नष्ट करने वाले खेती के कीड़े रोली और मोला होते हैं, वे इस बुरी तरह खेती को नष्ट करते हैं कि खेत के खेत साफ नजर आते हैं, कोशिश करते हैं, बीज को कीड़े खा जाते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि वे लोग जाड़े के मौसम में कूए चलाने जाते हैं,

(श्री रामकरणसिंह)

मूखे पेट बीज बोने जाते हैं, कोशिश करते हैं उसका नतीजा उनको नहीं के बराबर मिल रहा है। इसका कोई इन्तजाम कोटपुतली में नहीं किया गया है। मैं आपको इत्मिनान दिला कर कहता हूं कि वहां के लिए अगर ये सुविधायें नही दी गई तो बुरी चीज़ होगी। मैं अदब के साथ अर्ज करूं कि माननीय मंत्री जी उनको औजार दिलाने के लिए, बीमारियों को दूर करने के सम्बन्ध में, कीड़े आदि के सम्बन्ध में तथा और जो फेसेलिटीज दी जा सकती है, उनके लिए आवश्यक यह है कि गौर फर्मायें और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदा।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : सभापति महोदय ...

श्री सभापति : ऑर्डर! मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने आपका समय का विभाजन बतलाया है, उसके अनुसार मैं हर एक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान में रखते हुए अपना वक्तव्य उतने ही समय में समाप्त करने की कोशिश करें ताकि आपके सहयोग से यह सारा वाद-विवाद समय पर खत्म हो सके।

श्री रामेश्वरदयाल : ऐसी कोई आपने व्यवस्था बनाई है कि किन किन को आप समय देना चाहते हैं?

श्री सभापति : अभी मुझसे पहले उपाध्यक्ष महोदय ने अनाउन्स किया था कि कांग्रेस पार्टी को ३० मिनट, १५ मिनिट जन संघ को, १५ मिनिट प्रगतिशील परिषद् को, १५ मिनिट राम राज्य परिषद् को और ५-५ मिनिट अनअटेच्ड मेम्बर्स को; ४ बजे गुलेटिन लग जायगा।

श्री गिरधारीलाल : वक्ताओं की सूची बनाई गई है?

श्री सभापति : कट मोशन्स आये हैं, उनकी सूची हमारे पास है।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव अनियमितताओं... ...

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, १५-१५ मिनिट पार्टियों को बोलने का समय दिया है। तो ४ बज गये तो जिन्होंने कट मोशन्स रखे हैं उनको बोलने का समय नहीं दिया जायगा, यह तो ठीक नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करें कि जब ४ बजे गुलेटिन एप्लाई होगा। टाइम इतना सा है तो फिर आखिर आपने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उन पर मन्त्री महोदय की तरफ से जवाब भी होगा। तो मुझे आप और कोई दूसरा रास्ता बताइये कि ज्यादा टाइम दिया जा सके।

श्री गिरधारीलाल : इसके लिए तो साहब एक ही रास्ता है कि टाइम बढ़ा दिया जाय, साढ़े चार तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : यह मैं समझता हूं कि आज के दिन गुलेटिन एप्लाई करके बजट पास किया जाय, यह सब पार्टियों की ओर से

(श्री सभापति)

निर्णय हो चुका है। ऐसी सूरत में समय बढ़ाने का प्रश्न कहां रह जाता है ?

श्री गिरधारीलाल : प्रगतिशील दल को १५ मिनिट, और और पार्टियों को १५ मिनिट दिये हैं तो साढ़े चार बजे तक समय कर दिया जाय तो सभी बोल सकेंगे।

श्री सभापति : चार से गुलेटिन एप्लाई करेंगे, एक घंटे में बाकी सब विभाग हैं। उनके अनुदानों को पास करना है, उसके लिये ही क्या यह पर्याप्त समय है. ऐसी सूरत में आधा घटा वाद विवाद का देने के बाद में माननीय सदस्य का क्या ख्याल है कि आधा घंटे में सारे अनुदान पास हो सकेंगे ?

श्री शिवचरणदास : माननीय सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं कि हमारा प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है,...

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, पर समय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपना वक्तव्य आप समय में ही समाप्त कर दें।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि मैं दो शब्द भी नहीं बोल पाया कि मुझे ४ दफा बिठा दिया।

श्री सभापति : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, समय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री शिवचरणदास : हम जिन इलाकों से चुन कर भेजा जाता है, इस आशा से भेजा जाता है कि अच्छी तरह से वहां की हालत को रख सकें, नीति को पुट अपना कर सकें पर मुझे राज्यपाल महोदय के भाषण के समय भी समय नहीं दिया गया, नोन कौन्फीडेन्स के समय भी समय नहीं दिया और इस वक्त भी मेरे गले को भींचा जा रहा है; हमें बोलने नहीं दिया जाता तो आखिर हम यहां आकर करें क्या ? या तो हम अपोज़ीशन के मेम्बर अपने घर पर बैठे रहें और हमारे अलाउन्स, पेमेंट घर पर ही भेज दिया करें, ताकि हम इस तरह क्यों तकलीफ करें ?

श्री सभापति : क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ कि इतना समय जो कहने में लगाया, वह अपनी बात कहने में लगाते तो काफी बात कह चुकते।

श्री शिवचरणदास : तो सभापति महोदय, किसी भी धंधे को चलाने के लिये सबसे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने पर विचार करना होगा। मैं जब भी बोलता हूं तो सदन के सामने निवेदन करता हूं कि आज इस प्रान्त में जितना पिछड़ा हुआ किसान वर्ग है, उतना कोई वर्ग नहीं पिछड़ा हुआ है। मैं ही नहीं सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात पर प्रकाश डाल चुके है। तो हमारे बजट में ६५६५ हजार की राशि इसके लिये रखी है। यदि इस राशि को ठीक तरह से नियमपूर्वक बराबर हिस्सों में विभाजित करके लगा दें तो सम्भवतः यह पर्याप्त भी हो सकती है. पर इसमें जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं इसके कारण किसी जगह संतोष की भावना नहीं है कि वास्तव में हम कृषि में प्रगति कर सकें।

मैं कुछ ऐसी चीजें रखूंगा सभापति महोदय, कि सबसे पहले खेती के लिये पानी की आवश्यकता रहती है, बिना पानी के खेती नहीं हो सकती, इसके साथ-साथ कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनका इस विभाग से घनिष्ट

(श्री शिवचरणदास)

सम्बन्ध है; जैसे सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, डेवलपमेंट विभाग, रेवेन्यु,पशु–पालन आदि विभाग हैं इनका आपस का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि सब को एक रूप से देख कर अगर किसानों के साथ नियमितता बरतें तो संभवतः इसमें प्रगति हो सकती है।

सभापति महोदय, जहां तक मेरे क्षेत्र में पानी का प्रश्न है वह मैं बताऊं आपको कि २०० वर्ग मील का एरिया ऐसा है कि वहां पर कृषि के लिये पानी मिलना तो दूर किनार, पर पीने के पानी के लिये भी लाले पड़ते हैं। जब तक वहां पानी की व्यवस्था ठीक नहीं कर देते तब तक खेती की तरफ ध्यान देते हैं तो वह मृग तृष्णा मात्र है और ठीक वैसी ही कल्पना है जिस तरह कि कोई छाया को पकड़ना चाहता है।

इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा, धंधों को चलाने के लिये अर्थ का सहयोग देना पड़ेगा। इसमें यद्यपि हमारी सरकार ने तकावी वगैरह के साधन किये हैं, पर तकावी के वितरण करने का जो सिलसिला है, वह ऐसे ढंग से है, मैंने इसके आंकड़े प्रश्न में मांगे हैं, सम्भवतः वे आयेंगे तो मैं सदन को बताऊंगा कि वहां तकावी किस ढंग से वितरित होती है। या तो व्यापारी किसान के नाम से ले जाते हैं या जो पार्टी सत्तारूढ है, उससे सम्बन्धित पूंजीपति लोग हैं या उस पार्टी के अपने आदमी हैं,उन्हीं को यह तकावी मिलती है। गरीब काश्तकारों को नहीं मिलती बदकिस्मती से या सौभाग्य से कह दें यदि किसी किसान को दी जाती है तो पूरी रकम उस तक पार नहीं पड़ती है। इसलिए मैं सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीब किसानों को सही रूप में जल्दी तकावी मिल सके, इसके बाद अगर आप उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर देते हैं, तो खेती के लिये बीज और खाद आदि की व्यवस्था बैठा सकता है।

यद्यपि सरकार बाड़ी पर बीज देती है, पर जिस बाड़ी पर सरकार बीज देती है उसको आगे जाकर जिस समिति के द्वारा वितरण कराते हैं, वह विशेष बाड़ी लगाकर किसानों को देते हैं, जो इस तरह सरकार जो सहायता किसानों को,पहुंचाना चाहती है वह बाड़ी के रूप में दिये जाने वाले बीज से भी नहीं मिल रही है। इसलिये होना तो यह चाहिये कि बाड़ी से गरीब किसानों को सरकार द्वारा बीज दिया जाता है तो इस प्रकार से बाड़ी पर तो वे किसी दूसरे व्यापारी से भी ले सकते हैं। हमारी सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बाड़ी पर अनाज न देकर जितना अनाज किसानों को बीज के लिये देती है उतना ही सही रूप से उनसे वापिस ले तो काश्तकारों को अपनी खेती के मामले में सुविधा मिल सकती है।

इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि खेती में होनेवाली बीमारियां बहुत हैं। इसके लिये सरकार ने औषधियें निकाली हैं। वे भी समय पर किसानों को नहीं मिल पाती हैं और उनके पास नहीं पहुंचती हैं। कोई किसान दरख्वास्त करता है, तो सरकार उसके पास किसी प्रकार से आंख मिचौनी करके चुपके से पहुंचा देती है। इसलिये मैं तो यह कहता हूं कि किसी को यह मालूम है कि औषधियें सरकार देती है और बहुत सों को मालूम ही नहीं है। मेरी तहसील में विकास खंड खुला है। लेकिन अभी तक वहां के कई एक गांव वालों को इस बात का पता

(श्री शिवचरणदास)

नहीं है कि कोई विकास खंड खुला है और यह विकास खंड क्या बला है ? उन लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि इस प्रकार की औषधियें भी हैं, जिससे खेती की बीमारियां मिट सकती हैं। इसका मतलब है यह कि सेवा खंड सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और जो खर्चा सरकार इस पर कर रही है उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसी भी किसान को अच्छी तरह से फायदा मिल सके।

इसी तरह से खेती के औजारों की समस्या है मैं औजारों के लिये निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, कई एक आविष्कार ऐसे हुए हैं; जिससे गरीब किसान सुविधापूर्वक खेती कर सके। ऐसे हल भी निकले हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा हो सकता है, लेकिन हमारे देहातों में अभी तक किसानों को कोई जानकारी नहीं। मैंने इस बात के लिये कई बार हमारे यहां के बी० डी० ओ० और तहसीलदार व कलेक्टर साहब से जिक्र किया था कि आप इस तहसील की तरफ भी ध्यान दें। अगर आप शहरों में इसका कार्यालय खोलेंगे और मीटिंग बुला कर लोगों को आदेश देंगे उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा और मैं समझता हूं कि जिस तरह से चलते हुए औषधालय हैं उसके समान ही इसका प्रबन्ध रख दें जिससे किसानों का भला हो सके और आपकी यह आवाज़ किसानों तक पहुंच सके और

(घंटी)

इसका वे लोग अच्छी तरह से उपयोग कर सकें।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की तीन तहसीलें ऐसी हैं जहां न तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और न मैदान हैं। छोटी छोटी पहाड़ियें हैं और जहां पर कहीं कहीं पहाड़ियों के बीच छोटी छोटी उपजाऊ जमीन है लेकिन पानी की वजह से वहां पर इतना नुकसान होता है कि वे लोग खेती नहीं कर सकते हैं।

(घंटी)

इसलिये मैं सबसे पहले संबन्धित माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे सिंचाई विभाग को सचेत करके पानी की व्यवस्था करेंगे। मैं आपका इस बारे में ध्यान रायपुर तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने गये साल विश्वास दिलाया था कि जल्दी ही वहां पर इसका प्रबन्ध हो जावेगा, लेकिन अभी तक उसकी वही हालत है। जब कभी अच्छी वर्षा हो जाती है, तो लोग १०—१५ बीघा जमीन जोत लेते हैं। मगर जब वर्षा नहीं होती तो वे आधा बीघा जमीन भी नहीं जोत सकते। वहां पर इतना पानी का अभाव है और विश्वास दिलाने के बावजूद भी सरकार वहां पानी के अभाव को पूरा नहीं कर सकी है।

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्य मेरी प्रार्थना पर भी ध्यान देंगे ?

श्री शिवचरणदास: मुझे ध्यान है, माननीय सभापति महोदय। अभी मेरे पांच मिनिट बाकी हैं। मैंने सवा दो बजे बोलना शुरू किया है

श्री सभापति : आपको १५ मिनट हो जावेंगे, दो-तीन मिनट और हैं।

श्री शिवचरणदास : मैं भाषण के रूप में कोई समय लेना नहीं चाहता। मैं तो वहां की

(श्री शिवचरणदास)

परिस्थितियों को आपके सामने रख रहा हूँ, वहां की स्थिति के बारे में निवेदन कर रहा हूँ।

इसी तरह से मैं एक विशेष सुझाव माननीय मन्त्री महोदय के सामने रखूंगा कि किस तरह से डिमोन्सट्रेशन किस किस जगह दिया जाता है। कम से कम इस डिमान्सट्रेशन को एक तहसील में तीन-तीन या चार-चार जगह इस ढङ्ग से किया जावे कि प्रत्येक काश्तकार वहां पर पहुँच कर उस डिमोंन्सट्रेशन से लाभ उठा सके।

इसके अलावा विशेष ध्यान माननीय मन्त्री महोदय का इस तरफ दिलाऊंगा कि जिससे खेती के काम में काफी मदद मिलती है और वह है खाद। मैं नहीं कह सकता कि इसका सम्बन्ध आपके विभाग से होगा, इसका सम्बन्ध पशुपालन से होगा। लेकिन खेती के लिये जब तक खाद नहीं प्राप्त कर सकते तब तक खेती में उन्नति नहीं कर सकते हैं।

श्री सभापति : वह विभाग दूसरा है, वेटरनरी का है।

श्री शिवचरणदास : खाद का सम्बन्ध इससे पड़ता है। इसलिये इसका जिक्र करना पड़ता है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान देकर इस समस्या को भी सुलझाया जाए जिससे किसानों की खेती में काफी सुधार हो सके और खेतों की व्यवस्था ठीक हो सके।

(घन्टी)

श्री सभापति : श्री बालमुकुन्द।

श्री लच्छूराम : Sir, what about my cut motion ?

श्री सभापति : Your name was called out and you were not present in the House. therefore, you will be the last person to speak now.

श्री बालमुकुन्द : (अश्रव्य)।

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनाई कुछ नहीं दे रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस ढङ्ग से बोलें कि माननीय मन्त्री आपके वक्तव्य को सुन सकें।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : मैं तो काफी जोर से बोल रहा हूँ। मगर आपका माइक ही काम नहीं कर रहा है।

(दूसरे माइक पर)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया है और किसी प्रकार से उन्नति नहीं हुई है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कह सकता कि हमारी सरकार ने और हमारे कृषि विभाग ने अवश्य ही इस बार बांध और योजना बनाने में काफी खर्च किया है, लेकिन इन बड़ी-बड़ी योजना और बड़े-बड़े बांधों से गरीब जनता को तत्काल लाभ नहीं मिलने वाला है। आज गरीब जनता जो पिछड़ी हुई है, उसके लिये छोटे-छोटे बांध बना दिये जावें और उनका निर्माण पहले किया जावे और बाद में बड़े बड़े काम हाथ में लिये जावें जब हमारे पास पूंजी अधिक हो। आज भी हमारे यहां जनता भूखी है और गरीब लोग

Page No.70

(श्री बालमुकुन्द)

बहुत हैं, उनको छोटे छोटे बांधों से फायदा हो सकता है। हमको उन गरीब और भूखों को अनाज देना है। आज सरकार यह कह रही है कि काफी अनाज बाहर जा रहा है, मगर मैं आपको मिसाल देकर बताऊंगा कि कई लोग हमारे यहां भूखे मरते हैं। क्या आपने कभी किसी को भेजकर पिछड़े क्षेत्र को देखा है ? आज कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खाने को उनके पास कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति होते हुए भी हमारी सरकार और हमारा कृषि विभाग इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता है कि अच्छी फसल हुई है और लोगों से लगान वसूल करना चाहते हैं। मैं आपको इस बात का चैलेन्ज करूंगा कि आप ऐसे लोगों की जांच करें कि वास्तव में उनके घरों में खाने को अनाज है या नहीं। मैं कह सकता हूं कि उनके पास खाने को अनाज नहीं है, फसल नहीं हुई। मगर फिर भी उनसे लगान वसूल होगा। इसलिये हमें कृषि के बारे में काफी ध्यान देना होगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने बांध बने हैं उनसे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि छोटे २ बांध हमारे यहां बंधे उससे गरीब जनता को क्या फायदा हुआ। अगर माननीय मंत्री महोदय कहें कि वास्तव में गरीब जनता को लाभ पहुंचा है तो बतावें कि वास्तव में पिछड़े हुए इलाके हैं और पिछड़ी हुए जाति के लोग हैं, उनके लिये किस तरह से सिंचाई के साधन उपलब्ध करके आपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया है ? मैं समझता हूं कि अगर आंकड़े देखेंगे तो वह आंकड़े ज़ीरो (०) होंगे। कह नहीं सकता कि कृषि के संबन्ध में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन बढ़ाये हैं। आप ज़रा आंख खोल कर बतावें,...तो मैं मानूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि यहां आज भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे लोग अकाल के समय अपना निर्वाह कर सकें। सरकार बड़ी बड़ी योजनायें बनाती है। मैं आपको डूंगरपुर के लिए बताऊं कि दो चार बांध सन् ५३ से शुरू हुए हैं, कब पूरे होंगे, कब नहरें निकलेंगी, कब लोग काश्त करेंगे; यह आज नहीं कहा जा सकता है। यह हमारी सरकार की स्थिति है। प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि हमारा काम चल रहा है। पांच पांच, छः छः साल से इनका काम चल रहा है, वह काम कभी पूरा ही नहीं होता। छोटे २ बांध का काम है, एक लाख या पचास हजार रुपया का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यदि ऐसे काम भी पूरे नहीं होते हैं तो फिर वे कब पूरे होंगे ? इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसी जगहों के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को पहले पहल आवश्यकता होती है भोजन की, उसको भोजन मिले, उसके बाद रहने के लिए मकान और कपड़ा। यदि खाने पीने के साधन उपलब्ध नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या ? कहा जाता है कि हमारी कृषि योजनायें हैं। हमने कृषि में बड़ी उन्नति प्राप्त कर ली है, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ नहीं।

रसायनिक खाद के बारे में कहना चाहूंगा, सरकार लम्बे २ भाषण देकर कि कृषि में बड़ी तरक्की की है, हमने रसायनिक खाद देकर, बड़ी भारी सफलता प्राप्त की है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इससे विशेष कोई लाभ हुआ है। मैं भी ग्राम सेवक रहा हूं। इस खाद से हमारे जिले में कतई सफलता नहीं मिली है। काश्तकारों के पास जाकर प्लाट बनाये हैं और रसायनिक खाद का उपयोग किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना

(श्री बालमुकन्द)

चाहूंगा कि रसायनिक खाद के मुकाबले में गोबर के खाद से ज्यादा पैदावार बढ़ी है। रसायनिक खाद से उल्टी कम पैदावार हुई है। उधर हमारे गोबर के खाद का अधिक उपयोग होता है और उससे पैदावार भी काफी ठीक होती है। क्या हमारा एग्रीकल्चर विभाग कह सकता है कि कहीं ऐसा नमूना रखा हो कि इससे पैदावार बढ़ी है। क्या इसके लिए काश्तकारों को कभी वास्तविक रूप में बताया गया ? कभी नहीं। बड़े २ फन्कशन तो शहरों में होते हैं, जब कि काश्तकार गांवों में रहते हैं, जो लोग जहां खेती करते हैं वहां इस प्रकार के फन्क्शन करने चाहिये और जो असली रूप में काश्तकार हैं, खेती करते हैं, उनको बताना चाहिये। मुझे गवर्नमेन्ट होस्टल में हुए फन्क्शन को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तमाम के तमाम काश्तकार कौन थे? शहर के रहने वाले थे और सदन के माननीय सदस्य। काश्तकार तो गांवों में रहते हैं। खेती का धन्धा करते हैं, यदि उनको पूछा जाय कि क्या डिफिकल्टी है, किस प्रकार से कृषि की उन्नति कर सकते हैं ? शहरों में रह कर कृषिक सम्मेलन मना लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा और एक छोटी सी समस्या बताना चाहूंगा। वहां के तमाम के तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि तालाब बने, वहां पर कृषि विभाग अवश्य ही तालाब बनावेगा, जिससे कि कहीं तो १२ आने जमीन काश्तकारों की डूब रहीं है, कहीं कूए डूब रहे हैं, पैदावार की जमीन भी खराब हो रही है, लेकिन सरकार कहती है कि, नहीं यहां तालाब अवश्य बनेगा। वहां तमाम की तमाम जनता नहीं चाहती। उस जगह का नाम है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में बरछावाड़ा। वे लोग तार पर तार कर चुके हैं, रजिस्ट्रियां कर चुके हैं और आज भी पत्र आया है कि तालाब बंधा तो लाचार होकर उनको संघर्ष करना पड़ेगा। अदि वहां छोटे२ तालाब बनें तो हमें यह देखना होगा कि उन लोगों को वहां से हटाकर कहां पर जमीन देंगे जब कि जमीन की हमारे पास पहले से ही कमी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय पिछड़े हुए इलाकों की ओर अधिक ध्यान दें, कृषि के लिए छोटे छोटे बांधों की ओर विशेष ध्यान दें और लोगों की राय जान कर ऐसे कार्य करें। ठीक है बड़े बांध बना रहे हैं, लेकिन कब बनेंगे और कब हम उनके द्वारा बिजली दे सकेंगे, यह अभी विचारणीय प्रश्न है। लेकिन छोटे छोटे बांधों को बनाने से लाभ शीघ्र होगा।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़। मैं माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हाउस की यह मर्यादा रही है कि जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो किसी दूसरे माननीय सदस्य को उनको क्रोस करके नहीं आना चाहिए। अभी कुछ ऐसे उदाहरण मेरे ध्यान में आये हैं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो चेयर और स्पीकर के बीच में किसी माननीय सदस्य को क्रोस नहीं करना चाहिये।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है...

श्री सभापति : आपका कोई कट मोशन है ?

श्री तनसिंह : कट मोशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज जो घटना विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य के साथ हुई है वह बड़ी खेदजनक है। हम सब विरोध पक्ष के सदस्य अनुभव करते हैं कि उसको आसानी से हल किया जा सकता था, लेकिन इतना जो एक्स्ट्रीम स्टेप लिया गया है, उसके लिए हम सब महसूस करते हैं कि विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य के साथ ज्यादती की गई है और इसका विरोध प्रगट करने के लिए हम सब ही विरोध पक्ष के सदस्य वाक आउट करते हैं।

२. ३५ म० प०

(विरोध-पक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री श्रीभानसिंह : Now this is point of quorum, Sir.

श्री सभापति : Yes.

श्री नाथूराम मिर्धा : १८ हैं, मेरे ख्याल से।

श्री सभापति : १४ ही हैं।

(कोरम सूचक घण्टी)

श्री बालमुकुन्द : सभापति महोदय, यह ध्यान में रखा जाय कि कोरम नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आप तो वाक आउट कर गये।

(कोरम सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव द्वारा धौलपुर में कृषि विभाग के कार्यालय की मांग की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसकी आवश्यकता विशेष कारणों से है और उन कारणों से उस विभाग की धौलपुर के प्रति उपेक्षा ही हो सकती है और कुछ नहीं। मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों भी धौलपुर में जो फील्ड मैन है उससे ऊपर का आदमी रहा करता था, किन्तु कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई जिसको वहां के अखबारों ने प्रकाशित कर दिया और जिस वजह से वह व्यक्ति वहां से हटा दिया गया और दूसरा व्यक्ति कोई आया नहीं। मेरा निवेदन है कि धौलपुर में एन. इ. एस. ब्लॉक्स, डेवलप्मेन्ट ब्लॉक्स आदि हैं। वह क्षेत्र ऐसा है कि जहां कृषि अच्छी तरह से हो सकती है और उसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन दिन-रात किसान को परेशानियां होती हैं, जैसे खाद है और किसानों को मिलने वाला बीज है। फील्ड मैन को यदि कोई कार्य दे दिया जाय तो कम से कम इस योग्य नहीं समझा जा सकता कि वह उस कार्य को कर सकता है क्योंकि हमारा तजुर्बा है कि फील्डमैन ही के कारण गड़बड़ियां हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि धौलपुर सब-डिवीजन में एक असिस्टेन्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हों, जो सारे सब-डिवीजन को कन्ट्रोल कर सके। इस प्रकार का ऑफिसर रखा जाय, जो एक्सपर्ट भी हो। इस तरह से जो एक एक्सपर्ट हो, उसे धौलपुर के अन्दर रखा जाय क्योंकि वह एक कृषि का क्षेत्र है। सर मथुरा, बरोडी, सेवक ये क्षेत्र ऐसे हैं जो नहरी क्षेत्र हैं। धौलपुर तहसील का जो हिस्सा है वह नहरी इलाका हो सकता है, वह बगैर नहर के ही नहरी इलाका है, धौलपुर के डांग क्षेत्र को भी इसी तरह का क्षेत्र गिन सकते हैं।

(श्री बहादुरसिंह)

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि राजाखेड़ा का जो क्षेत्र है वहां भी खेती अच्छी हो सकती है किन्तु पानी की अव्यवस्था है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार एग्रीकल्चर के विषय में एक्सपर्ट जो अधिकारी हो वह वहां रखा जाय, जो वहां की समस्याओं को समझकर सुलझाने के लिये सुझाव दे सके और वहां के जो किसान हैं उनको अधिक से अधिक सम्पत्ति दे और समझाये कि किस प्रकार से उत्पादन बढ़ सकता है। सभापति महोदय, पिछले दिनों जब यहां पर कृषि समाज का आन्दोलन हो रहा था तब हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने निवेदन किया था कि यहां पर मेड बान्ध दी जाय। मैं यह मानता हूं कि यदि धौलपुर के इलाके में मेड बांध दी जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है क्योंकि चम्बल वेली का ऐसा इलाका है कि यहां पर यदि गेहूँ फेंक दिये जायं और लोग गेहूं फेंकते भी भी हैं ऐसी हालत में भी वहां काफी मात्रा में अन्न पैदा हो जाता है। मेरा यह निवेदन था कि यदि वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय तो वह अधिकारी काफी कार्य कर सकता है, वहां के कृषि का जो टारगेट है वह काफी बढ़ सकता है और इसमें काफी सक्सेस हो सकती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि धौलपुर में एग्रीकल्चर विभाग की ओर से गार्डन चलता है। लेकिन प्रत्यक्ष में होता क्या है उसको ठेके से फलित तोड़ने के लिये दिया जाता है, इससे होता क्या है कि वह उन पेड़ों को काट लेता है यह कह कर कि ये पेड़ तो गिर गये इसलिये काट देते हैं। आज जिन गार्डन्स की स्थिति शानदार थी, लेकिन इस ठेके के देने की वजह से वे बर्बाद हो रहे हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि आम और दूसरे दूसरे फलों के वृक्ष ऐसे थे कि जिनको आस पास के इलाके में लगाया जाता तो काफी फल दे सकते थे। यह जो ठेका देने की नीति है उस ठेका देने की नीति में कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाय कि हम उन लोगों को ठेका दें जो पेड़ न काटें और अगर वे इस प्रकार से पेड़ काटते हैं तो उन पर जुर्माना कर दिया जाना चाहिये ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ न होने पावे।

इसके साथ साथ मेरा एक और निवेदन था। एग्रीकचलचर विभाग का जो धौलपुर में एक गार्डन है उसको हम काफी डेवलप कर सकते हैं उसके लिये कुछ विशेष सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। उससे पौधे उत्पन्न कर अन्य क्षेत्रों में वितरण कर सकते हैं।

मैं अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन करूंगा कि धौलपुर एग्रीकलचर का एक प्रमुख केन्द्र है, इसलिये वहां पर एक एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट अधिकारी विशेष तौर से रखने की कृपा करेंगे।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा): माननीय चेयरमैन महोदय, मांग संख्या १८– कृषि पर मैंने दो कट मोशन दिये हैं। मैं उन दोनों कट मोशनों को रखते हुए सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र में कृषि की ओर सरकार की तरफ से जो कम ध्यान दिया गया है, इस ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरा दूसरा कटमोशन है अन्न उत्पादन में सरकार का कम सहयोग। आज किसी भी कार्य को सुचारु रूप से या सही तरीके से

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

चलाने के लिये या देखने के लिये हमको पहले उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि कृषि उत्पादन को उन्नतिशील बनाने के लिये सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है और इस कार्य की क्या प्रगति हुई है और इस कार्य के करने वालों की क्या हालत है, इन सब पर विचार करना पड़ेगा ।

जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय गांव के किसानों में जाकर यह कहते थे कि टैक्सों का बोझ आज की सरकार तुम पर लाद रही है व आजादी के बाद इतने टैक्स नहीं होंगे, उस समय हमारी भावना में विदेशी हुकूमत बदलने का जोश था, इसलिये हम आजादी की पुकार करते हुए कृषकों तक जाते थे, उस समय राजा लोगों को संकेत करते हुए कहते थे कि तुम लोग किसानों को अधिक न सताओ, स्वयं अन्नदाता न बनो :

"कारसा थांका अनदाता छै,
क्यों लाग्या धमकाबा ने ।
जो थां यां सूं बैर करो तो,
मिलें न टुकड़ा खाबा ने ॥"

इस नारे से किसानों में नया जीवन आया और हम आजाद हुए। राजा लोगों की वही हालत हुई जो हम कहते थे। यदि राजा लोग हमारी बात को मान कर उस जमाने में चलते तो ये दिनं देखने को न मिलते ।

आजाद होने के बाद हम गांवों में जाकर वोट मांगते हैं और गांव वालों को जाकर देखते हैं, लेकिन आजादी में भी किसानों पर टैक्सों की भरमार है, आज भी उनकी दिक्कतें वैसी की वैसी हैं । जिस समय किसान अपनी फसल बोता है और जिस समय तक काटता है उस समय तक कोई भी अधिकारी वहां जाकर नहीं देखता कि किस प्रकार किसान अपने खेत की पैदावार करता है । आज कृषि उत्पादकों की हालत बहुत खराब है, उनके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है और खाने को अन्न नहीं है, उनके बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे परिवार के सदस्य कृषि उत्पादन में लगे रहते हैं, लेकिन उनको खाने को अन्न तक नहीं मिलता, उनको पौष्टिक पदार्थ खाने को नहीं मिलता, दुखी होकर वे आज भी कहते हैं :-

"जोतां बोवां करां रुखाली;
इन्द्र आश लगांवां रे ।
नाज नाज तो ये चुग जावो
म्हे भुस खांवां रे ॥"

पौष्टिक अनाज तो वे बेच देते हैं और जौ, चना, मक्का खाकर वे अपना गुजारा करते हैं; पौष्टिक पदार्थ उनके पेट में नहीं जाता । एक तरफ तो हमारा कृषि की ओर ध्यान है और हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं और कहते यह हैं कि खेती प्रगतिशील है, मगर वास्तव में देखा जाय तो प्रगतिशील हम तब मान सकते थे जब कि अन्न उत्पादन करने वाले की स्थिति अच्छी होती । लेकिन आज भी वे आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं ।

दूसरी बात यह है कि वे कर्जे से बहुत दबे हुए हैं । ऋण देने की सरकार ने व्यवस्था की है, कूए के लिए तकावी दी जाती है लेकिन देने का ढंग अजीब है । कूए की तकावी दी जाती है जून और जुलाई के महीने में

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

जब कि कूए पानी से भर जाते हैं। इससे होता क्या है कि जब तक कूए में पानी रहता है उस छः महीने के अर्से में वह तकावी का रुपया कूए में लगा नहीं सकता क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और जिस किसान को तकावी का पैसा मिला हुआ है वह उसको खा-पीकर साफ कर देता है। जब बाद में सरकार का दबाव पड़ता है कि जो कूए के लिये तकावी ली उसका क्या हुआ, तो बेचारा किसान मजबूर होकर बोहरे के पास जाता है और अधिक ब्याज पर कर्जा लेता है। इस तरह के तकावी के रुपये का दुरुपयोग होता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह देखे कि किस समय तकावी देना चाहिये और कौन सा समय इसके लिये उपयुक्त हो सकता है।

इसके अलावा बैलों के लिये भी तकावी दी जाती है। मेरे क्षेत्र में (जि० झालावाड़) में आठ तहसील हैं जिनमें एक तहसील में चार बैलों की तकावी दी गई और वह भी दो हजार रुपये की और उन दो हजार रुपयों से चार बैल किसानों को मिले। क्या इन चार बैलों से किसान की हालत सुधर जायगी ? क्या तकावी के लिये और गुंजाइश नहीं है ? जब हम कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में हमें बैलों की तकावी को बढ़ाना होगा।

दूसरी तरफ जब कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है वैसी हालत में हमें किसानों की हालत की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय चेयरमैन साहब, मुझे यह बोलते हुए संकोच हो रहा है कि आपने समय पर पाबन्दी लगा दी है। मुझे बजट अधिवेशन पर भी बोलने का समय नहीं मिला और राज्यपाल महोदय के भाषण पर भी समय नहीं मिला। आज मेरे दो कट मोशन्स हैं इसलिये मुझे आशा है मेरे साथ रियायत करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसानों को समय पर तकावी नहीं दी जाती और अगर फिर उसे तकावी मिलती है तो उसकी तकावी बंट जाती है। वह पटवारी के पास तसदीक कराने के लिये जाता है तो पटवारी उसे तसदीक करके नहीं देता, उस समय उसको उसे दो रुपये देने होते हैं, पटेल को देने होते हैं और जब खजाने में लेने के लिये जाताहै तो वहां पीछे लगे हुए चपरासी और बंटवारा कर लेते हैं। इस तरह अगर किसान को तकावी १०० रुपये दी जाती है तो उसके पास ५० रुपये ही रह जाते हैं। कुछ रुपये उसे इस तरह से बांट देने पडते हैं, उसके लिये कह भी नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था तकावी की है। यह बातें हम सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार कहती है कि शहादत लाइये। तो चेयेरमेन साहब, शहादत नहीं मिलती। हम अशोक साम्राज्य बनाना चाहते थे मगर मैं आपको बताऊं कि अशोक उस समय भेष बदल कर वहां लोगों की लूटखसोट को देखता था और हमारे मंत्री महोदय कह देते हैं कि कोई सबूत नहीं मिलता और सोचते हैं कि एम०एल०ए०कहता होगा तो अपने क्षेत्र में अपना नाम पाने के लिये। मैं यह कहता हूं कि जिन किसानों से हम वोट लेकर आते हैं उनकी हालत को नहीं देखा माननीय चेयेरमेन साहब, किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिये वनों का होना बहुत जरूरी है। वन की एसी व्यवस्था है कि यदि वन विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया तो पेट....

श्री सभापति : माननीय सदस्य वन की मांग पर नहीं बोल रहे हैं....

श्री भैरवलाल कालाबादल : मांग मेरी यह है कि सरकार का कृषि उत्पादन में सहयोग नहीं मिलता। मैं विषय के बाहर नहीं जा रहा हूं; मैं तो सरकार की आलोचना कर रहा हूं।

श्री रामेश्वरदयाल: माननीय सदस्य पहले की कमी पूरी करलें।

श्री सभापति : Hon'ble Member, no cross talking please !

श्री भैरवलाल कालाबादल : (जारी) कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए झाड़ियां चाहिए। झाड़ियों के लिए परमिट लिये जाते हैं। परमिट सामद की लकड़ी के लिए और हल-कूली की लकड़ी के लिए दिये जाते हैं और यह १० दिन के लिए दिये जाते हैं। मैं बताऊं किसानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। जब १० दिन के लिए परमिट दिया जाता है तो लकड़ी जंगल में से १० ही दिन के अन्दर ले आनी होती है और वह ला नहीं सकता, क्योंकि सभी किसानों के पास कोई बैल और गाड़ी तो होती नहीं हैं और अगर वह लकड़ी दस रोज के बाद लाता है, किसी तरह से इन चीजों का इन्तजाम करके, तो उसको कहते हैं कि अब आप नहीं ला सकते, १० दिन की मियाद समाप्त हो गई। इस तरह की झंझटें किसानों के सामने आती हैं। जो कृषि के रक्षार्थ कानून बनाये हुए हैं वे गलत हैं। दूसरी तरफ मंत्रीजी कहते हैं कि हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अफीम की हमारे यहां खेती होती है और अफीम की खेती के लिए रकबा दे दिया जाता है, उस समय किसान को नहीं बताया जाता कि तुम्हारी भूमि का रकबा यहां पूरा होता है और अगर जरा सी भी जमीन ज्यादा बुआई में आ जाती है और जब फसल बड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको देखने के लिए अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि तुमने ज्यादा जमीन बोली है इसलिये अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। मुकदमे का नाम सुनकर किसान उन लोगों को रिश्वत देकर छुटकारा पाता है। कई बार तो ऐसे मौके पर आकर फसल उपाड़ दी जाती है। ये चीजें चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि खेती की रक्षा के लिए जंगल की बात बताऊं। जंगल से लकड़ी नहीं लाने देते हैं। सूखी लकड़ी लाने के लिए जंगल से एक किसान को तीन रोज लगते हैं। अगर एक किसान अपने घर के सारे कामकाज छोड़ कर जंगल में सूखी लकड़ी लेने के लिए जाता है तो एक तो उसको सूखी लकड़ी जंगल में मिलती नहीं और फिर उसको लकड़ी लाने में तीन रोज लग जाते हैं और जब किसान लकड़ी लेने चला जाता है, तो उधर तीन रोज का नुकसान हो जाता है। चेयरमेन साहब, अगर सारे काश्तकार ३ रोज की हड़ताल कर दें तो सारे लोग घबड़ा जायें। उनको कहा जाता है कि सूखी लकड़ी ला सकते हो और तीन रोज में एक गाड़ी लकड़ी आती है। एक आदमी साथ जाता है और ६ टाइम का खाना वह अपने साथ ले जाता है और बैलों के लिए कड़बी लेता है जब एक गाड़ी लकड़ी ला पाते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय चेयरमेन, कहना तो काफी है....

श्री सभापति : संक्षेप में कह दिया जाय। मुझे खेद है कि इतना समय नहीं मिलेगा।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह सारा कृषि से संबधित है। दूसरी बात मैं अब कृषि

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

के बारे में बोलता हुआ टिलमेन्ट के बारे में कहूंगा कि सेटिलमेन्ट वालों ने कितना परेशान किया है किसानों को। किसान अगर खेत में काम करता तो उत्पादन बढ़ता लेकिन चूंकि उसे सेटिलमेन्ट वालों ने परेशान कर दिया और उसे कचहरियों में बारबार जाना पड़ता है तो उत्पादन का समय तो कचहरियों में ही बिगड़ जाता है और सरकार ने क्या किया कि किसी किसान की ५ बीघा जमीन है तो तहसील में उसकी एन्ट्री १० बीघा की कर दी और अब उससे १० बीघा का लगान वसूल करते हैं। किसान कहता है कि मेरे पास तो ५ बीघा जमीन है और १० बीघे का लगान वसूल कैसे किया जाता है तो वह कहते हैं कि वह तो सेटिलमैन्ट ने तुम्हारा ५० रुपये का लगान बांधा है। किसान कहता है कि, मेरे पास तो पांच बीघा ही जमीन है अगर मेरी दस बीघा है तो मुझे पांच बीघा और दी जाये, लेकिन वह कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं ऐसे कई मामले दो तीन साल हो गए सुलझ नहीं रहे हैं। वह कहते हैं कि अपील करो।

दूसरी बात वन विभाग में और क्या है कि इस वन विभाग ने किसानों के बैलों को मारना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि वृक्षारोपण के नाम पर और जगलों की व्यवस्था के नाम पर क्या कर रहे हैं! गांवों के सहारे, सड़कों के किनारे, ग्राम रास्तों के किनारे इन मंत्री महोदयों को बताने के लिए क्या जाल फैला रखा है कि गांवों की भूमि के पास वृक्षारोपण के नाम पर एक तार सा लगा देते हैं जो कांटेदार होता है। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें हमने वृक्ष लगाये हैं और चेयरमेन साहब, वृक्ष भी लगाते हैं, अरण्ड का पेड़ जो कुदरत से ही अपने आप पैदा हो जाता है यहां तक कि वृक्षारोपण के नाम पर मेरे ख्याल से हवाई जहाजों से भी बीज गिराये गये थे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पेड़ हो गये होंगे। मगर उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला......

श्री सभापति : आपका समय केवल दो मिनट रह गया है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : केवल दो मिनट। साहब मेरे दो प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति : आपको पहले ही १५ मिनट दी जा चुकी हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो माननीय चेयरमेन साहब, गांव के किसानों के बैल तो कोई घर की हद में रहते नहीं हैं वह जंगल वालों की हद में जाते हैं तो जंगल वाले जुर्माना कर देते हैं या फिर जो वह तार लगाये हुए हते हैं उन्हीं में फंस जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। सरकार की तरफ से किसानों को समय पर तकावी देना तो दूर रहा यह वन विभाग वाले बैलों को जान से और मार रहे हैं। इनको वृक्षारोपण करना है और कृषि के उत्पादन को आगे बढ़ाना है तो इन जंगलों को गांवों से दूर रखना चाहिए जिससे जानवर उसमें न जायें। इस प्रकार की परेशानियां हैं और इन परेशानियों के साथ मैं समझता हूं कि मेरे दो मिनट पूरे हो गये होंगे। (हंसी)

श्री सभापति : आप दो मिनट और बोलिए।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो मैंने ये दो तीन बातें बताईं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को समय पर तकावी देना चाहिए, उनकी समय पर फसल को देखा जाये। बीज की ऐसी व्यवस्था हो, यह भी

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

याद आ गया, सरकार बीज देती है मगर लेते समय यह कहती है कि हम जांच करेंगे कि यह अच्छा बीज हुआ या नहीं। गेहूं तो बदल जाते हैं। हो सकता है उस भूमि में गेहूं की नसल बदल जाये। जब इन्सान की नसल बदल जाती है (हंसी) तो पौधे की भी नसल बदल जाती है.... ...

३ म० प०

अव्वल तो बीज खराब देते हैं और जब वापिस लेते है तो किसान से कहते हैं कि यह चीज हमने दी थी वह नहीं है, पास नहीं करते जब तक कि पास करने के लिए कुछ उनकी जेब में नहीं रखा जाता है। मेरे देखने में आया है कि बीज के दानों को साफ करवाकर जमा करवाया है और तीन तीन दिन तक गाड़ियां पड़ी रही हैं और फिर बीज का भाव कम दिया २२रु० के भाव से किसानों से काटा और १२ रु० के भाव से उसी बीज को बेचा गया है। यह व्यवस्था है सरकार की, मैं समझता हूं किसानों से उत्पादन बढ़वाने और किसानों की रक्षा करने की ओर सरकार का ध्यान है तो मैं समझता हूं कि सरकार अश्वा--सन दे, वह हमारी सरकार है, हमको कहना नहीं चाहिए, मगर क्या करें ! ऐसी व्यवस्था गांवों में चल रही है। अगर कहते हैं तो बुरा है। अगर आपके सामने अपने दुःख की बात नहीं कहें, घर वालों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। इसमें नाराज़ होने की आवश--यकता नहीं है। एक समय था जब यह हालत थी तब राजाओं के जमाने में तो हम कहा करते थे :

"करसा थांका अनदाता छे क्यूं लाग्या धमकावाने
जो थां यां सूं बैर करो तो मले न टुकड़ो खावा ने"

अगर या हालत आपणी है तो या हालत चोखी नहीं रेवा की है।

(हंसी)

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने तीन कटौती प्रस्ताव जो न० ३५०, ३६८ और ३६६ पर हैं सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, खाद्यान्न जैसी महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक राष्ट्रीय समस्या के समाधान के साधनों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के हेतु मैंने ये तीन कटौती प्रस्ताव रखे हैं। यह समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और आज हम संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहे हैं। लाखों टन गल्ला हमे बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम अपने देश के अन्दर ही कृषि के साधनों का विकास करें और इस ओर ज्यादा ध्यान दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम उत्पादन काफी बढ़ा सकते हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के अन्दर हम सफल हो सकते हैं। इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

अब इस प्रश्न पर विचार करना है कि किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ? माननीय सभापति महोदय, इसके बहुत से तरीके हैं और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि कृषि के योग्य भूमि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाया, दूसरा तरीका यह है कि कृषि की व्यवस्था के अन्दर हम वैज्ञानिक तरीके अपनाएं, सुधरे हुए औजार, अच्छी खाद और अच्छा बीज का उपयोग करें जिससे कृषि की पैदावार बढ़े।

(श्री रामेश्वरदयाल)

माननीय सभापति महोदय, मैंने भूमि कटाव से रक्षा करने के संबंध में जो एक कटौती प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि कोटा डिवीजन के अन्दर प्रकृति की ओर से चार बड़े वरदान हैं, चम्बल, कालीसिन्ध, पार्वती और परवण, इनके अलावा और भी बहुत सी छोटी और बड़ी नदियां हैं, जिनके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। माननीय सभापति महोदय, प्रति वर्ष बारिश के अन्दर अथाह पानी इन नदियों के अन्दर होकर गुजरता है और इन नदियों के अन्दर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ हमारे खेतों को बिगाड़ देती है और इस प्रकार से लाखों बीघा जमीन भूमि कटाव के अन्दर आ रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार की ओर से इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय तो मैं समझता हूं कि कोटा डिवीजन ही एक ऐसा डिवीजन है जिसके अन्दर लाखों एकड़ जमीन काबिले काश्त बनाई जा सकती है। मैंने बजट को देखा, राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जो कुछ धनराशि रखी गई, वह करीब ३ लाख की है। मैं समझता हूं कि जो कार्य हमारे सामने है, जो एक आवश्यक बीज हमारे सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए, यह धनराशि हमारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए यदि राज्य सरकार खाद्य समस्या का समाधान करना चाहती है और उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि भूमि के कटाव के रोक के लिए तत्काल काफी धनराशि का प्रावधान रखा जावे जिससे जो जमीन इस कटाव में आ रही है उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके, और उसको सुरक्षा मिल सके, आइन्दा आने वाली बाढ़ से और बारिश से।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मैंने जो रखी है दूसरे कटौती के प्रस्ताव के द्वारा, वह यह है कि खेती के अन्दर, वैज्ञानिक तरीकों से, मशीनों द्वारा और सहकारी पद्धति के द्वारा कृषि करने के सम्बन्ध में रखा है। यह ठीक है कि राज्य सरकार काफी रुपये सहकारी अभियान में खर्च करती है और राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा आन्दोलन है, और प्रति वर्ष काफी तादाद में सहकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं। मै इस बात को मानता हूं, मेरा पूर्ण विश्वास है, सभापति महोदय, कि सहकारिता जनता का जागरूक आन्दोलन है और इसको जितना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय उतना ही कम है। अगर सहकारिता को कृषि के ऊपर लागू किया जाय तो मैं समझता हूं कि हम बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इसका प्रयोग विदेशों के अन्दर भी किया गया है। उदाहरण के तौर पर, चीन के अन्दर इस सहकारिता का प्रयोग किया गया और वहां का जो परिणाम आया, माननीय सभापति महोदय, वह बहुत ही आशाजनक और प्रेरणादायक रहा है। इसलिए इस सहकारिता पद्धति का कृषि के क्षेत्र में अगर प्रयोग किया जाय तो माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं, जो कि वे स्वयं जानते हैं इसका परिणाम बहुत अच्छा और सफल होने वाला है। वैसे सरकार के प्रयास जरूर हैं सहकारिता पद्धति को कृषि में अपनाने के सम्बन्ध में, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों और देहातों के अन्दर सहकारिता पद्धति के बारे में जो अविश्वास और असन्तोष का वातावरण बना हुआ है उस ओर सरकार

(श्री रामेश्वरदयाल)

को ध्यान देना चाहिए कि इस असन्तोष और अविश्वास की भावना के पीछे क्या कारण है ! उन कारणों को मिटाना चाहिए और उसको दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जो सहकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, उनमें बहुत सी गड़बड़ियां होती है और बहुत सी बाधाएं नजर आती हैं। इसलिए उन बाधाओं को दूर करना चाहिए ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सहकारिता के सम्बन्ध में आज किसानों को जागृत करना है। सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि इस प्रकार के कार्य करें और किसानों के अन्दर सहकारिता को अपनाने के सम्बन्ध में लोक-मत जागृत करें। क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थिति है हमारे प्रान्त के अन्दर उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि किसान गरीबी की वजह से, साधनों के अभाव की वजह से इस स्थिति में नहीं है कि आधुनिक तरीके से खेती कर सकें, ट्रैक्टर मंगा सकें और दूसरी मशीनों को अपना सकें। वैसे राज्य सरकार की तरफ से ऋण दिये जाते हैं, खाद और बीज दिये जाते हैं, लेकिन यह मानी हुई बात है कि हमारे किसानों कि आवश्यकता इतनी है और किसान इतनी तादाद में हैं कि उनको राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज और खेती के साधन उपलब्ध नहीं कर सकती। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वे मिलजुल कर सहकारिता के आधार पर छोटी छोटी जमीनों को जो उनके पास है उनको मिलाकर आधुनिक तरीके से काश्त करें जिससे उनकी उपज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसलिये राज्य सरकार को इस संबंध में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अभियान चलाना चाहिये, किसानों में विश्वास पैदा करना चाहिये और हर संभव प्रयास करना चाहिये, जिससे हर संभव तरीके से लोग मशीन और सहकारिता से खेती करें।

माननीय सभापतिजी, मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव यह है कि कोटा में जो बोटेनिकल औरी एग्रीकलचरल लेबोरेटरी यानी अनुसंधानशाला है उसको वहां से स्थानान्तरित नहीं किया जावे। सभापति महोदय, यह डिविजन ऐसा है जहां काफी तादाद में जड़ी बूटियां मिलती हैं, यहां पर तरह तरह के पौधे हैं, यदि ठीक तरह से इनका विकास किया जाय तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और प्रांत के लिये अभूतपूर्व साबित हो सकते हैं और इससे प्रान्त के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था आवश्यकता इस बात की है कि कृषि के तरीकों में सुधार किया जाय, बीच में सुधार किया जाय, किस जमीन में क्या क्या चीजें उपज सकती हैं, कौन कौन सी फसल उपज सकती हैं, कैसे उन्नति की जा सकती है इन सारी चीजों का अनुसंधान और खोज की जा सकती है और व्यवस्था की जा सकती है।

जिस डिविजन में इस प्रकार के साधन उपलब्ध हों, इतना विस्तृत क्षेत्र हो उस डिविजन से इस प्रकार की व्यवस्था हटाकर दूसरी जगह स्थानान्तरित करना कृषि उत्पादन में बाधा उपस्थित करना है और इस डिविजन के साथ अन्याय करना है। इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है कि इसको यहां से स्थानान्तारित नहीं किया जाय। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन तमाम बातों पर ध्यान देंगे।

(श्री रामेश्वरदयाल)

श्री सभापति (श्री लक्ष्मणसिंह) : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमान सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय चेयरमेन महोदय, मेरा जो कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किया गया है वह हमारे राजस्थान में जो बाड़ी के ऊपर बीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से दिया जाता है वह ७॥ सेर फी मन बाडी लेने की शर्त के हिसाब से दिया जाता है, उसके बारे में है। आज मैं देखता हूं कि हमारे देश में 'अन्न अधिक उपजाओ आन्दोलन' किया जाता है, उस पर हजारों और लाखों रुपये खर्च करते हैं और इसी प्रकार हम दूसरे कई प्रकार के डिमोन्स्ट्रेशन करके काश्तकारों को अधिक अन्न पैदा करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे खेती में अधिक तरक्की करें। हम यह देखते हैं कि पानी के अलावा अच्छा बीज ही एक ऐसी वस्तु काश्तकार के लिये है जिससे वे अपनी काश्त को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं।

आज-कल काश्तकारों पर करों का भार इतना अधिक है कि वे बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह भी हमें सोचना होगा कि आज काश्तकारों पर जमीन के टैक्स का भार है। जमीन का टैक्स देने के बाद अगर अधिक आमदनी होती है तो उस पर वे इन्कम टैक्स देते हैं और घर के बाल-बच्चों के लिये सामान बाजार से खरीदते हैं, उस पर भी उन्हें सेल्स टेक्स देना पडता है और काश्त के पानी पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार काश्तकारों पर, जिन पर कि सारे प्रदेश की बहबूदी की दारोमदार है, सारे प्रदेश की अन्न समस्या का भार है, उन पर करों का बहुत बड़ा भार है। आज शहर की जनता पर इतना करों का भार नहीं है जितना काश्तकारों पर है। आज हम देखते हैं कि काश्तकारों के बालक बिना पढ़े-लिखे रहते हैं, उनके लिये कोई कॉलेज या बड़े स्कूल नहीं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिये भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है; लेकिन फिर भी उनको अपने पर करों का भार दूसरे देश के नागरिकों से अधिक उठाना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि आवागमन के लिये काश्तकारों के लिये उनके गांवों में सड़के नहीं हैं और कोई और प्रकारके मनोरंजन के साधन भी नहीं हैं, फिर भी इतना अधिक कर उनको देना पड़ता है, जितना दूसरे देशवासियों को नहीं देना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार काश्तकारों के ऊपर इतना भार है, उनके लिये सरकार की तरफ से यह क्या

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

जाता है कि उनको सब प्रकार की सुविधा प्राप्त है, उपयुक्त नहीं है ।

(गणपूरक-घन्टी)

अब इस प्रकार से काश्तकारों पर इतना कर भार है, फिर भी आज हम देखते हैं कि इस देश में जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेज़, बड़ी बड़ी स्कूलें और बड़े-बड़े जनता की सुविधा के साज सामान हैं वे सब शहर के लोगों के लिये प्राप्त होते हैं न कि ग्रामवासियों के लिये और काश्तकारों के लिये । तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि करों का भार उन पर ज्यादा होते हुये भी वे सहन करते हैं और सरकार अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये देश में अन्न की कमी है उसकी पूर्ति के लिये लाखों रुपयों का सोना जो विदेशों को देना पड़ता है, उस कारण से सरकार काश्तकारों को अन्न की अधिक उपज हो इस वजह से अच्छा बीज मुहैया करती है । अब देखना यह है कि जो बीज मुहैया करती है उससे भी मुनाफा सरकार उठाना चाहती है, तो क्या यह सरकार के लिये शोभाजनक बात हो सकती है । पुराने जमाने में जब कि रियासतें थीं उनमें छोटी सी रियासत किशनगढ़ भी थी । वह भी बीज पर ५ सेर से ज्यादा बाढ़ी नहीं लेती थी । हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार इतनी बड़ी सरकार बनी, रियासतों की जनता यह सोचती थी कि छोटी छोटी रियासतें मिलकर जब एक बड़ी रियासत बनेगी तब उसके बाद हमें फायदा होगा; कई बातों में हमें फायदा हुआ और होगा, लेकिन जो जल्दी से जल्दी फायदा काश्तकारों को देना चाहते थे यह बात नहीं हो सकी । जब सरकार अच्छा बीज देकर अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, सरकार अन्न की उत्पादन- शक्ति को अधिक बढ़ाना चाहती है और सरकार खुद इस बात को प्रोत्साहन देना चाहती है कि अच्छे से अच्छा बीज मुहैया किया जाय और वही बोया जाय लेकिन जो बीज दिया जाता है वह साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी पर दिया जाता है, साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी पर बीज का नाज देकर उसे इस हिसाब से वापिस वसूल किया जाता है । इस बाढ़ी के नाज को ब्याज के रूप में जोड़ा जाय तो वह साढ़े तीन पर्सेन्ट प्रति माह ब्याज पड़ता है । मैं कहता हूं कि साहूकारों के लिये सरकार कानून बनाती है और जो बोहरगत करते हैं उनके लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार खुद नहीं सोचती कि जो बीज सरकार मुहैया करती है, उस पर हम कितना अधिक ब्याज लेते हैं । मैं समझता हूं कि पहले जमाने में भी पांच सेर से ज्यादा बाढ़ी अदालत नहीं दिलाती थी, लेकिन हमारी सरकार साढ़े सात सेर फी मन के हिसाब से बाढ़ी लेती है । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार बहुत सख्त बाढ़ी लेती है । इसके साथ ही जो बीज मुहैय्या किया जाता है, मैं देखता हूं कि जहां बीज मंगाना चाहिए वहां खराब से खराब बीज मुहैय्या होता है । अभी कुछ दिनों पेश्तर किशनगढ़ सब डिवीजन में जो बीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, वह बीज मैंने खुद ने देखा है, वह बीज गांवों में गया और वहां बोरियों की बोरियां जैसी गई वैसी ही पड़ी हुई हैं और उस बीज को काश्तकार उठाने के लिए तैयार नहीं होते । इसका कारण मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बीज बहुत खराब है जब कि वैसा बीज साहूकार और बनिये से भी कम बाढ़ी पर मिल सकता है । मैं बताना चाहता हूं कि सरकार अन्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है और इसके लिये अपनी तरफ से यह कहना चाहती कि हम बीज मुहैया करते हैं, लेकिन जो बीज

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

वितरित किया जाता है वह इस प्रकार किया जाता है कि वह काश्तकारों के लिए फायदेमन्द नहीं होता इसलिए होता यह है कि काश्तकार उस सरकारी बीज को नहीं लेता है। पहले तो वह इस भरोसे पर बैठा रहता है कि सरकार की तरफ से अच्छा बीज होगा, लेकिन यह बीज भी तब मुहैया होता है जब काश्त का एन टाइम होता है और फिर वह बीज काश्त के काम का नहीं होता है। इससे काश्तकार बड़ी ही परेशानी में पड़ जाता है और ला मुहाला बीज के लिए वह उस महाजन के पास जाता है जिसको उसने पहले इन्कार कर दिया था, ऐसी विषम परिस्थिति में उस साहूकारसे बीज खरीदने के लिए वह मजबूरन तैयार हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकारी बीज देने का जो सिस्टम है, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि बीज अच्छा खरीदा जाय और जब काश्तकार के बीज बोने का टाइम हो उसके महीने, दो महीने पहले उसे देना चाहिए, जिससे काश्तकार को मालूम हो जाय कि बीज अच्छा है या नहीं। उसके साथ ही साथ बीज जहां से सरकार खरीदे, वहां से बीज अच्छा और उपयुक्त खरीदे। इस प्रकार का बीज नहीं खरीदना चाहिए कि जिससे काश्तकार को उस बीज से कोई फायदा नहीं हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको निवेदन करूं कि बीज वापिस जिस समय काश्तकार से लेते हैं तो उस समय काश्तकार को कहा जाता है कि यह बीज उस ढंग का नहीं है कि जिस ढंग का हमने दिया है। बीज का कोई नमूना सील लगा कर नहीं रखा जाता, काश्तकार को कैसे मालूम हो कि यह बीज उस तरह का है या नहीं। इस प्रकार गवर्नमेंट के इस विभाग के अहलकार कहते हैं, वे जब बीज वापिस लेते हैं तो काट छूट करते हैं और इस वजह से काश्तकार परेशानी में पड़ जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि हम यहां पर, जब हम महाजनों और बनियों की ब्याज के विषय में बात कहते हैं कि उनकी तरफ से ब्याज ज्यादा लिया जाता है और उनके लिए सरकार कानून बनाती है और सरकार ने कानून बनाये भी हैं, अदालत में जब मामला जाता है तो अदालत ज्यादा बाढ़ी या ब्याज नहीं दिलाती है और ज्यादा बाढ़ी ब्याज काट कर डिग्री देती है। लेकिन इसके बारे में सरकार के खिलाफ कोई कानून नहीं है। इसके साथ ही सरकार के पास जो बीज आता है, सरकार उसे को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दे देती है, पंचायत को को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे देती हैं, उनको भी बीज देने का खर्चा मिलता है। जब काश्तकारों को बीज देते हैं तो उस पर सरकार की बाढ़ी, को-ऑपरेटिव सोसाइटी की बाढ़ी और पंचायत की बाढ़ी और जाती है। ऐसी स्थिति में उनको यह बीज ज्यादा महंगा पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप काश्तकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिन काश्तकारों पर सारे प्रदेश का दारोमदार है, अगर उनको अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देना है तो उनको हर तरह से फायदा पहुंचाना चाहिए और ऐसी अवस्था में जो बाढ़ी आप ज्यादा लेते हैं, उस पर सरकार को पुनः विचार करना होगा। यदि आप कहते हैं कि हमें खर्चा उठाना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट अच्छा बीज चाहे कहीं से खरीदे, एक रुपया का दो सेर, ढाई सेर बीज ले सकते हैं; चाहे जयपुर में खरीदें, चाहे अजमेर में खरीदें हर एक जगह अच्छे गेहूं का भाव १६ और २० के दरम्यान रहता

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

है। ऐसी स्थिति में भी सरकार कहती है कि हमें बीज के लिए ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्योंकर ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार की जो काम करने वाली मशीनरी है, या तो वह खरीददारी करने में कुछ गफलत करती है, इसलिए ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है या और कोई कारण हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिये सरकार को ज्यादा खर्चा उठाना भी पड़ता है तो भी बीज का वितरण बिजनेस पोइन्ट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए। देशकी प्रगति के लिए देश में खाद का अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज बांटते हैं, इसलिए यदि बिज़नेस पोइन्ट ऑफ व्यू को लेकर बीज बांटे तो देश की खाद्य समस्या और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन कामयाब नहीं हो सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पूरा ध्यान दें। मैं देखता हूं कि अजमेर राज्य में पहले ढाई सेर फी मन बाढ़ी पर बीज का नाज दिया जाता था, लेकिन आज उसी अजमेर राज्य के राजस्थान में मिल जाने से अजमेर के काश्तकारों को साढ़े सात फी मन बाढ़ी के हिसाब से बीज लेना पड़ता है। इससे लोगों के दिमाग में एक बात पैदा होती है कि हम राजस्थान में क्यों मिलें ? पहले वे सोचते थे कि राजस्थान में मिलने से अधिक फायदा होगा, यह बात उसके दिमाग में थी, लेकिन आज राजस्थान में मिलने के साथ ही काश्तकार पर यह प्रहार हुआ कि ढाई सेर फी मन बाढ़ी के बजाय साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी देने को बाध्य होना पड़ा। इसके अलावा जो बी मुहैया किया जाता है, वह बीज किस प्रकार का होता ; मैंने पहले बतलाया ही था। सभापति म निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हमारी सरकार की नीति है, वह नीति हमारी 'अधिक अन्न उपजाओ' की नीति, काश्तकारों को प्रोत्साहन देने की नीति से खिलाफ पड़ती है, यह नीति उस उद्देश्य के विपरीत जाती है। सरकार इस तरफ विचार नहीं करती है कि गांव के लोग कहते हैं कि सरकारी बीज लेकर क्या करें, सरकार साढ़े सात सेर फी मन पर बाढ़ी क्यों ली जाती है, सरकार की तरफ से यह कहा जाता है (घंटी) कि हम बिज़नेस के आधार पर नहीं देते हैं, इसमें कोई मुनाफा हम नहीं कमाते, हम तो खर्चा मात्र लेते हैं। : लीजिये कि अगर अच्छा बीज देने में है कुछ खर्चा भी करते हैं, बीज के वितरण के लिए हम १०, ५ हजार ज्यादा भी खर्च करते हैं, तो इसके लिए हमें चिन्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन काश्तकारों से कई तरीके से कर वसूल करते हैं, जिन काश्तकारों के ऊपर देश का दारोमदार है, जिनके ऊपर प्रदेश की खाद्य स्थिति सुधारने का दारोमदार है उनके लिए सरकार इतना भी नहीं करेगी तो गांवों की व काश्त की हालत खराब हो जावेगी। ऐसी हालत में अगर बीज की वितरण-व्यवस्था को मुनाफे की दृष्टि से, या बिज़नेस पोइन्ट-ऑफ व्यू से देखें तो उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि साढ़े सात सेर फी मन बाढ़ी ली जाती हैं, उसमें कमी की जानी चाहिए और उसमें जितनी कमी कर सकें उतनाही अच्छा होगा। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा नाम लिया गया था ?

श्री सभापति : मुझे खेद है कि जिस समय आपका नाम लिया गया, आप उपस्थित नहीं थे। अब समय हो गया, इसलिए मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : तीन मिनट के लिए मुझे समय दिया जाय।

माननीय सभापति, मैं आपका ध्यान दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस के भिन्न भिन्न महकमे जगह जगह खोल रखे हैं, क्या आप समझते करते हैं कि वे महकमे ठीक तरह से काम कर रहे हैं ? इन महकमों की जांच पड़ताल जहां तक काश्तकार कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। हम जब महकमें में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस महकमे में तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर के कई विभागों में काम होता है। एक काश्तकार को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं हुआ कि इससे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस को क्या लाभ होता है। एक महकमा खुला है उसमें पांच-सात क्लर्क कन्सर्न्ड रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर क्या काम करता है, यह मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ। हमने कभी देखा कि इस सब का खर्चा क्या है ? मैं आपको निवेदन करूं कि अगर एक सीमेंट की परमिट भी लेनी है तो काश्तकार को पहले तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। तहसीलदार की रिकमन्डेशन के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। पहेल काश्तकार को तहसीलदार से डाइरेक्ट परमिट मिल सकता था, अब रीति हो गई कि पहले वह तहसीलदार के पास जायेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर पास जायेगा। इसी प्रकार बीज-वितरण का प्रश्न है। पहले पटवारी के पास जायेगा, फिर तहसीलदार की रिकमन्डेशन के बाद एग्रीकल्चर आफिसर के पास जाता है; तो मैं समझता हूं कि सीमेंटके वितरण के लिये, बीज के वितरण के लिये तहसील के महकमें से काम चल सकता है और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का कार्यालय है, वह किसी तरह उपयोगी साबित नहीं हो सकता। इस पर जो शासकीय खर्चा हो रहा है वह अनावश्यक खर्चा हो रहा है। आपके महकमें के कर्मचारी खुश होंगे कि इतने कर्मचारी राजस्थान में हमारे महकमें में काम करते हैं, पर इन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर्स से कोई सार्थक काम नहीं हो रहा है, कोई काम सार्थक हो ही नहीं पाता है, यह एक मानी हुई बात है क्योंकि जहां तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एस. डी. ओ. काम कर सकते हैं: सीमेंट देने का काम, बीज वितरण करने का काम और चद्दर देने का काम, ये तीनों काम दूसरों से तहसीलदार के द्वारा हो सकते हैं और यह आपके खर्चे में कमी आ सकती है। इसके लिये मैं यह अच्छा समझता हूं कि डिवीज़नल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, वे समय-समय पर सब जगह टूर करके इस कार्य की देख-रेख कर सकते है। तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसे मैं अनावश्यक और असार्थक समझता हूं।

दूसरे, तकावी देने का जो सिस्टम है उसे मैं बड़ा डिफेक्टिव समझता हूं। किसानों को चार पांच दफा आने जाने में, चक्कर लगानेमें हीब्याज वसूल हो जाता है। इसके लिये आप निश्चित रकम पंचायतों को ही दे दें। आपको पंचायतों का विश्वास करना पड़ेगा। आप पंचायती राज्य कायम करना चाहते हैं, पंचायतों को तहसीलों में आई हुई रकम दे देते हैं तो पंच ही जरूरतमन्द किसानों को तकावी की रकम दे देंगे और

(श्री मूलचन्द डागा)

यही तकावी की रकम वसूल करने का जरिया सोचा जाये तो यह तरीका काश्तकारों के लिये और सरकार के लिये; दोनों ही के लिये अधिक लाभप्रद हो सकता है और जो जरूरतमन्द किसान होंगे उन्हें समय पर आवश्यक सहायता मिल सकेगी, नहीं तो होता क्या है कि दुबला थका हुआ किसान तहसील में पहुंच ही नहीं सकता और उसको वह तकावी मिलती ही नहीं है ।

दूसरे मैं माननीय मन्त्री महोदयसे अपील करूंगा कि वे स्वयं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर आफिस लगा रखे हैं वहां जायं और देखें । मैंने देखा है कि पांच-सात टेबिलें लगी हुई हैं, आंकड़े कलेक्ट करते हैं कभी इधर के, कभी उधर के । और कोई खास काम, जितना खर्चा आपका होता है, उसकी तुलना में होता हो तो इसमें मुझे शक है और वह काम नहीं हो पाता । डिवीज़नल ऑफीसर रखे हैं, उन्हीं से काम हो सकता है, वे सब जगह दूर करते रहें और वख्त बे-वख्त जांच करें; अन्यथा आपका बहुत खर्चा होता है और काश्तकारों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है ।

तकावी के साथ साथ सीमेंट के वितरण के बारे में भी मेरा कहना है कि इसके वितरण का काम पंचायतों को दे दिया जाय ।

बीज के वितरण के लिये खास शिकायत है, इसलिये मैं इन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(श्री नाथूराम मिर्धा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री श्रीमानसिंह : माननीय सभापति, मेरा एक कट मोशन है.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिस समय आपका नाम कॉल किया गया था आप अनुपस्थित थे........

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे भी जवाब देने के लिये समय चाहिये.......

श्री सभापति : आप जिस समय अनुपस्थित थे उस समय निश्चित कर दिया गया था कि साढ़े तीन बजे से मन्त्री महोदय उत्तर देंगे और जिस समय आपका नाम कॉल किया गया था उस समय आप अनुपस्थित थे । ऐसी सूरत में मन्त्री महोदय चाहें तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा ।

एक माननीय सदस्य : कट मोशन के लिये आप इतने ऐंक्श्यस नहीं हैं ।

श्री श्रीमानसिंह : मैं तो बहुत ऐंक्श्यस हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमैन साहब, मुझको कोई एतराज नहीं, सभी माननीय सदस्य बोलते जायें और उनकी जवाब सुनने की इच्छा नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा । पर माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उससे गलतफहमी फैली है उसका निराकरण करना जरूरी है और उन सब बातों का जवाब देने के लिये केवल २५ मिनट रह गये हैं और करीब १०-१५ आदमी बोले हैं । उन्होंने जो बातें कही हैं उनका जवाब देने के लिये आखिर मुझे समय लगेगा ।

Page No.87

श्री सभापति : आप जवाब देना, चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, मैं बोल रहा हूं ।

श्री श्रीभानसिंह : मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिये, ताकि अपने कटौती प्रस्ताव को पेश कर सकूं ।

श्री सभापति : I am sorry. You can request the hon. Minister. अगर वे समय दें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन में कृषि के सम्बन्ध में जो मांग उपस्थित की, उस सम्बन्ध में करीब ३५, ४० कटौती प्रस्ताव पेश किये गये, उनमें से जो कटौती प्रस्ताव सांभर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया वह नीति के सम्बन्ध में था । उन्होंने शुरू में, जैसा वे आम तौर से ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, तो जोश में बात कह जाते हैं; उन्होंने यह कहा कि हमारे प्रान्त की कोई कृषि के बारे में नीति नहीं है । फिर शुरू करने लगे । शुरू करते करते कहा, "हां, नीति तो है, पैदावार-कृषि की बढ़ाने के लिये । तो माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य की, और सारे देश की कृषि विभाग की नीति है कि जो काम करना जरूरी है, वह हमारे देश की कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है । देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूरी तरह से जोर दिया, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये और भी जोर दिया जा रहा है । हमारे राजस्थान की प्रथम पंच वर्षीय योजना जो थी और जिसमें हमने कुछ टार्गेटस कृषि के उत्पादन के सम्बन्ध में रखे थे, उन टार्गेटस को हमने पूरी तरह से पूरा किया । राजस्थान, जैसा कि मैं एक-दो बार कह चुका हूं, प्रथम पंच वर्षीय योजना के पहले राजस्थान का एकीकरण हुआ था, सारे राजस्थान के एकीकरण के बाद फीगर्स बने हैं, वहां राजस्थान प्रथम पंच वर्षीय योजना के बनने से पूर्व फूट के मामले में डेफिसिट था । प्रथम पंच वर्षीय योजना बनी, उसके नीचे अलग अलग कृषि विभाग की योजनाएं राजस्थान में चालू हुईं; वे क्या क्या हैं, इनका जिक्र मैं आगे जाकर करूंगा, उन योजनाओं का परिणाम निकला कि फूड प्रोडक्शन में हम सरप्लस हुए और दो साल पहले फीगर्स देखे हैं, हमने ४ लाख टन अनाज राजस्थान से एक्सपोर्ट किया है और जो अनाज मंगाया है, उसका नेट बैलेंस करने के बाद ४ लाख टन तक एक्सपोर्ट किया है ।

खाद्यान्नों के मामले में प्रथम पंच वर्षीय योजना के फलस्वरूप·······

श्री श्रीभानसिंह : फिर प्राइस अनाज के कैसे बढ़ रहे हैं, राजस्थान में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में प्राइसेज़ कैसे बढ़ीं, पूछा जा रहा है ? वह सारे हिन्दुस्तान में बढ़ी हैं । राजस्थान की प्राइसेज़ हिन्दुस्तान से गवर्न होती हैं । राजस्थान फूड प्रोडक्शन के मामले में एक्सेस हैं, पर हिन्दुस्तान के दूसरे कुछ प्रोविंस एक्सेस हैं, तो पांच-छः प्रोविंसेज डेफिसिट भी हैं, उनकी पोपुलेशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है । और प्रोडक्शन कम है इसलिये बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है । I am talking of theself-suffi ciency of Rajasthan Province in itself and not the price, altogether a different subject on which I can give asatisfactory reply to the Hon. Member, but this...........

Page No.88

श्री भानसिंह : If this was self sufficiency why did the prices rise?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब मैं बोलता हूँ तो ये बीचमें न बोलें यह कोई सवाल-जवाब का समय नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : इन्फोर्मेशन सीक करने का हर सदस्य को राइट है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, इसके बाद हमारा जो कॉटन बेल्स (Coton bales) का टार्गेट था उससे ज्यादा रूई का हमने उत्पादन किया । हमने यह सोचा था कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में करीब ८० हजार बेल पैदा करते । प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में १.५ लाख बेल्स राजस्थान में पैदा की गई और इस टार्गेट को एक्सीड किया जिसका हमारे पास रेकॉर्ड है । प्रथम पंचवर्षीय योजना का १.५६ लाख बेल्स पैदा करना शुरू किया, इसी प्रकार शुगर के मामले में भी जो हमने टार्गेट बनाया था उससे भी एक्सीड किया ।

श्री श्रीभानसिंह : चेयरमेन महोदय, पहली पंच वर्षीय योजना में कितना सुगर का आपका टार्गेट था ?

श्री सभापति : How for this point is relevent to the present debate.

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर प्रश्न पूछ लें तो मैं सब उत्तर दूंगा ।

श्री सभापति : आप अपना भाषण आगे कन्टीन्यु रखें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी प्रकार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का टार्गेट रखा । हमने उसको भी पूरी तरह से एचीव किया और उसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रखा है । फीगर्स इस प्रकार हैं : एग्रीकल्चर प्रोडक्ट : ८. २. लाख, कॉटन १. २. लाख, शूगर—६. २५ लाख टन ।

यह टार्गेट हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुकर्रर किया है और इन टार्गेट्स को जैसा मैंने पहले भी एक बार और भी सदन के सामने प्रस्तुत किया था कि राजस्थान का यह टार्गेट रिअलिस्टिक है और मैं इस बार पूरा यकीन रखता हूं कि इन प्रोविजन्स में जो टार्गेट रखा गया है उसको पूरा करने में समर्थ होंगे क्योंकि जिस प्रकार की तरक्की हम इस विभाग के द्वारा करना चाहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि हम इन साधनों के जरिये कर सकेंगे हम जिन साधनों के जरिये किसानों को एप्रोच कर रहे हैं और जो तरीका हमने अपनाया है उसके अनुसार किसानों से पूरा संपर्क कायम होगा और किसानों से संपर्क रखने के लिये हमने ब्लॉकों में और गांवों में प्रबन्ध किया है । फूड के लिये हमने जो योजना बनाई है । हम किसानों के फेमली तक पहुंचना चाहते, हैं वहां अच्छी खाद का और अच्छे बीजों का ज्यादा से ज्यादा वितरण करना चाहते हैं । खेती में उनको मदद और किसानों की किस तरह से तरक्की हो सकती है, उसके लिये उनको मशीनों की मदद देकर, खेती बाड़ी में सिंचाई के साधन देकर उनकी तरक्की करना चाहते हैं और इसके लिये अलग अलग योजना है और उनके जरिये हम किसानों के ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचना चाहते हैं ।

माननीय चेयरमैन, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम जो आपके सामने रख रहा है यह काफी बड़ा है

Page No.89

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और इस काम को पूरा करने में हमको माननीय सदस्यों का सहयोग जरूरी है । मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने, उनके अलग अलग जवाब दूंगा, लेकिन मुझे काफी इस बात का दुख होता है, जब हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो इस सदन के मेम्बर हैं और जो अपने आप को किसान मानते हैं, और किसानों का भला करने वाले मानते हैं जो समझते हैं कि हम जनता के नुमायन्दे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बड़ा काम है कि हर किसान को वैज्ञानिक कृषि का ज्ञान हो और जो नये रिसर्च हो उनकी जानकारी हर किसान परिवार को पहुंचाकर, जो हमारे लेटेस्ट मीन्स हैं, उसकी जानकारी हर किसान परिवार को पहुंचावे । हमें इस काम को करना है और इस काम को करने में कई जगह कुछ कमी हो सकती है । इस बात को अगर अपने विभाग में बैठा लें कि सारी योजनाओं, जो उपलब्ध हों, उनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्य हैं उनको इस विभाग की क्या योजना है और किस प्रकार से लोगों को बताई जा सकती है, तो मैं कहूँगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है । जब मैं माननीय सदस्यों से, बहुत जिम्मेदार माननीय सदस्य जिनको काफी विद्वान समझता हूँ और उनसे यह सुनता हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट में एग्रिकल्चरल ओफिसर्स रहते हैं उनकी भी कोई जरूरत इस विभाग को नहीं है और यह एक प्रकार से फालतू खर्च होता है, तो वास्तव में मुझे दर्द होता है । जहां बड़े बड़े दूसरे देशों में आप देखेंगे कि इस काम के लिये कितने व्यक्ति हैं, कितने एक्सटेन्शन सर्विस में आदमी काम कर रहे हैं और किस प्रकार से किसानों के परिवार तक कृषि की नोलेज को पहुंचाते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसके मुकाबले में हमारे यहां पर कुछ नहीं है । हमारे यहां एक एक जिले में एक एक कृषि अधिकारी है उसको भी माननीय सदस्य फालतू समझते हैं और कहते हैं कि फालतू खर्चा है; यह हमारा दुर्भाग्य है उन्होंने यह भी कहा कि सीमेन्ट और टीन वितरण का काम तहसीलदार कर सकता है । मैं माननीय सभापति महोदय, यह महसूस करता हूँ कि क्या सही काम है, क्या योजनाएं हैं, किस तरह से उनको लोगों के पास पहुंचाना है, पहुंच रही हैं या नहीं, इसकी उनके पास भली प्रकार से जानकारी नहीं है । हम चाहते हैं कि यह जानकारी हर एक किसान परिवार को हो । जो माननीय सदस्य इस प्रकार की जब बात करते हैं, तो जरा दिल को ठेस पहुंचती है । माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरा टार्गेट एचीव किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट रखा है उसको एचीव करने का पूरा पूरा विश्वास है और इसके लिये कृषि संबन्ध में खर्च करने के लिये प्रान्त में जा रहे हैं उसका अगर अन्दाज लगावें तो आपको मालूम होगा कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय टोटल प्रोविजन सन् १९५२-५३ में था २५.८६ लाख का और ५७-५८ में यह ११७.८० लाख का था, इसको आप कम्पेअर करें। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार खर्चा ज्यादा करती है और उसका रिर्टन कम होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खर्चा हम मेनेजमेन्ट में करते हैं । वो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करते हैं। एक्सटेन्शन सर्विस में बहुत कम खर्च होता है। दो पर्सेन्ट भी नहीं आता। हमने एक्सटेन्शन सर्विस को बढ़ाया है। जहां पर ब्लॉक नहीं है वहां पर एक्सटेन्शन ऑफिसर रखा है। उसके जरिये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विभाग की जो नीति है, उस पर हमने बराबर अमल किया है और जो खर्चा बढ़ा है उसका लगातार सीधा फायदा किसानों को मिला है। किस किस मद में कितना खर्चा किया जावे हर बजट में अलग अलग रहता है और इन मदों के जरिये मेरी मन्यता है कि किसानों को बहुत प्रकार से फायदा हुआ है।

किसानों को सबसे पहले खेती के लिये पानी की जरूरत होती है, उसके लिये मोटे मोटे और मीडियम साइज़ के इर्रिगेशन के काम किये थे। कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि एग्रीकल्चर में छोटे छोटे बांध हैं उनको बनाने के लिये। मैं यह कहूँगा कि हमने इस संबन्ध में हर इलाके को काफी सहूलियत दी है और आगे भी देने को तैयार हैं। चेअरमेन महोदय, कुछ इलाकों के माननीय सदस्यों ने कहा कि इस मद में भी कोई प्रोवीजन है या नहीं और उस प्रोवीजन के जरिये किसानों की किस प्रकार से मदद की जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहाता हूं कि इस विभाग के द्वारा छोटे २ बांध बांधने के लिए, इन तालाबों के बंधवाने के लिए सरकार पचास प्रतिशत सबसीडी देती है और ५० प्रतिशत का श्रमदान उन लोगों से कराया जाता है उन तालाबों को बनाने से जिनको फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बात की जानकारी बहुत से माननीय सदस्यों को नहीं है, यह जानकारी हमने किसानों के पास पहुंचाई है। जहां जहां गांवों में किसानों में मेहनत करने की शक्ति है, जिनमें इस जानकारी से प्रेरणा प्राप्त हुई है वहां पर श्रमदान करके उन लोगों ने पचास प्रतिशत की सबसीडी लेकर तालाब बना लिये। लेकिन जिन इलाकों में प्रेरणा नहीं है, जिन इलाकों में श्रमदान करने की शक्ति नहीं है, जिनमें कोई प्रेरणा और उत्साह नहीं है, जहां सरकार से यह चाहा जाता है कि सारा ही काम सरकार करे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे इलाके पहले भी पीछे रहे हैं और आगे रहेंगे चाहे कितना ही जनतन्त्रवाद आ जाये, कितना ही प्रचार उनमें किया जाय, जब तक उनमें श्रमदान अथवा मेहनत करने की शक्ति नहीं होगी, उन्नति करने की प्रेरणा नहीं होगी उनकी उन्नति ईश्वर ही कर दे तो भले ही उन्नति हो जाय बाकी उनकी उन्नति नहीं हो सकती।

मैं माननीय सदस्यों को मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन के विषय में बताना चाहूंगा कि जिनके बड़े बड़े खेत हैं, कोऑपरेटिव स्प्रिट है और मिल जुल कर खेती करना चाहते हैं, उनको ट्रेक्टर्स खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। पहले कई प्रकार से दुरुपयोग होने की शिकायतें मिली थीं, लेकिन एक्सपीरियेन्स के आधार पर सुधार किया गया। मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन पर सीधा ही लोन नहीं दिया जाता है। जिस कम्पनी से से औजार खरीदे जावेंगे, जो औजार खरीदना चाहता है, उसको तकावी के रूप में, लोन के रूप में लोन सीधा फर्म को दे देते हैं और उस व्यक्ति से वापिस मौजूद इन्स्टॉलमेन्ट्स पर वसूल करते

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं। इसी प्रकार से पम्पिंग सेट्स के लिए भी लोन देते हैं। इसी प्रकार से ट के लिए भी लोन दिया जाता है। छोटे मोटे अरट के चलाने से बैलों की ज्यादा इनर्जी कन्ज्यूम होती है, उसमें सहूलियत हो इन दृष्टि से कोई रहट लगाना चाहे तो उसको लोन देते हैं, कुओं के लिए तकावी दी जाती है। उसके वितरण के लिए सदन के कई माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई थी। मैं महसूस करता हूं कि जिन इलाकों में कार्यकर्त्ताओं की कमी है, जिन इलाकों में जागृति नहीं है, जो लोग पिछड़े हुए माने जाते हैं और कहा जाता है कि अहलकार लोग रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन यह सब उन इलाकों में होता है जहां कि कम पढ़े-लिखे लोग हैं, जहां पर संगठन नहीं है। इस सदन के कई माननीय सदस्य खुद जागरूक नहीं हैं इस कारण इस प्रकार की बातें होती हैं, और जिन इलाकों के लोग जागरूक है, कार्यकर्ता जागरुक हैं, किसानों में जिन्होंने इस बात का प्रचार किया है उनके फलस्वरूप उन गांवों में, उन इलाकों में शिकायतें कम मिलती हैं और किसानों का अधिक फायदा होता है।

जब कूए बनाने के लिए लोन देते हैं, रहट के लिए लोन देते हैं, बीज के लिए लोन देते हैं, रसायनिक खाद देते हैं, ग्रीन मेन्योरिंग की प्रेक्टिस समझाते हैं, फसल में नुकसान होता है तो दवाइयां देते हैं, मुफ्त में इन्सेक्टिसाइड देते हैं, तो जिन इलाकों ने इनका फायदा उठाया है, मकहमे ने किसानों को इसे समझाया है और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते रहे, ज्यादा से ज्यादा रूप में किसान को चीजें उपलब्ध हैं, जो धन उपलब्ध है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं कि इस सदन के कई माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं उनके इलाकों में सीड ड्रिलिंग नहीं होता है, लाइन सोइङ्ग नहीं होता है, बेटर इम्पलीमेन्ट्स का यूज नहीं होता है और फिर यह भार केवल सरकार पर डाल दें और वहां इलाकों में रहने वालों को न समझायें, उनमें प्रेरणा न पैदा करें तो यह नहीं हो सकेगा। हमारे माननीय सदस्यों को भी इनकी प्राइमरी जानकारी करनी चाहिए। वे कहते हैं कि पिछड़े हुए इलाके हैं और वहां की दर्दनाक स्थिति है; किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है, भुखमरी है, किसानों के पास खाने को नहीं है जब कि आप (सरकार) कहते हैं कि देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देश तो आगे बढ़ेगा, वे इलाके आगे बढ़ेंगे जहां के किसानों में जागृति है; लेकिन जहां के किसान, जिन इलाकों के किसान निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, प्रान्त में अन्न हो सकता है, लेकिन किसान के घर में जो मटकी पड़ी हुई है, इस प्रकार के निकम्मे किसान की वह मटकी भरने वाली नहीं है। मैं खास तौर पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बड़े जोर से कहा कि वहां लोग भूखे मर रहे हैं, उस सिलसिले में बताना चाहूँगा कि वहां के किसान की प्रेक्टिसेज़ क्या हैं, वे देखिये। उनके यहां नाज नहीं है, परिश्रम नहीं है, एक साल एक बीघा जमीन किसी पहाड़ी के नीचे के हिस्से में निकाली, उन लोगों ने तो समझा कि नहर बांध कर कब्जे में करेगा, लेकिन दूसरे साल ही वह उस हिस्से को बोहरे को बेच देता है और वहां से चल पड़ा। फिर दूसरी जमीन को निकालता है, अगले साल उसको भी छोड़ कर चल दिया। जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए रोकते हैं, जंगलों के बारे में बार बार माननीय सदस्य चिल्लाते हैं कि जंगलों के अफसरों ने यह कर दिया वह कर दिया......

Page No.92

श्री श्रीभानसिंह : चिल्लाते नहीं, हाउस के अन्दर कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सुन लिया करेक्शन आपका, बड़े समझदार हैं।

श्री श्रीभानसिंह : समझदार हैं। हम हाउस में चिल्लाते नहीं, लेकिन बोलते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए चेयरमेन साहब, मैं निवेदन करूंगा कि ये हमारी समस्याए हैं।

उन लोगों के दिमाग में रोशनी पैदा करना बड़ा लम्बा चौड़ा काम है। जिन माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है वे, वे लोग जी जान से प्रयत्न करेंगे तो गांवों में कृषि का विकास बहुत होगा इसमें कोई संदेह नहीं।

इसके बाद एक माननीय सदस्य ने रिसर्च लेबोरेटरी को कोटा से उदयपुर ले जाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोटा भी हरी भरी जगह है, रिसर्च के लिए कई चीजें उपलब्ध हैं, प्लान्ट्स वगैरह की रिसर्च की जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसके बारे में जो डिटेल्स हैं उनको जानते तो कटौती प्रस्ताव भी नहीं रखते। जितनी लेबोरेटरीज़ है, बड़े २ कंट्रीज में भी यही होता है कि वे एक कॉलेज के साथ में लगी हुई होती हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : कोटा में कॉलेज खोल दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा में कॉलेज खोलने की गुन्जाइश नहीं है। एक ही कालेज से जितने स्टूडेन्ट्स निकलेंगे, वे आगे आने वाली तीसरी योजना में भी एक्सपर्ट्स के रूप में हमको मिल जावेंगे। इसके लिये तो एक ही कॉलेज काफी था किन्तु बाद में लड़ झगड़ कर बीकानेर कॉलेज भी बन गया। इसके सिवाय तीसरा कॉलेज खोलने की अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिये जब उदयपुर कॉलेज चला गया तो उसके साथ में लेबोरेटरी का जाना जरूरी था। उससे विद्यार्थियों को फायदा मिल सकता है, यह लेबोरेटरी वहां ज्यादा सहायक हो सकती है। इसलिये कोटा से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने कोटा के मेम्बर होने के नाते इस चीज से ज्यादा विशेष मोह रखा है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं समझता।

४ म० प०

इन शब्दों के साथ जिन जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं मेरे ख्याल से उन सब की बातें मैंने अपने भाषण में कवर करली है, उसके अलावा जो विशेषतौर से बात कही गई उसका उत्तर दे दिया गया है, समय भी खत्म हो रहा है, इन सारी बातों को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि संबन्धी हमारी निश्चित नीति है और उसी नीति के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा यह रखते हैं कि और भी आगे बढ़ सकेंगे। बशर्ते कि माननीय सदस्यगण हमारी नीति को कार्यान्वित करने में ज्यादा सहयोग दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लें और इस मांग को सर्व सम्मति से पास करें।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, जिनके नाम मैं बोलता जाऊं अगर वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहें तो उनके लिये सदन से अनुमति प्राप्त की जायगी और जो कटौती प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहते उनके कटौती के प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जायगा ।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय मैं अपने कट मोशन्स (संख्या ३३६, ३४७ व ३६१) वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं अपने कट-मोशन्स को वापिस लेता हूं ।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मुझे भी अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या ३४८) को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो कटौती का प्रस्ताव डा० बहादुरसिंह ने रखा है उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई—

श्री बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों (संख्या ३४६ व ३६७) को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री कालाबादल को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री रामेश्वरदयाल : सभापति महोदय, मैं अपने तीनों कटौती प्रस्ताव (संख्या ३५०, ३६८ व ३६६) को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री रामेश्वरदयाल को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं अपने तीनों कटौती प्रस्तावों को वापिस लेता हूं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव (संख्या ३७२) को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री पुरुषोत्तमलाल को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं ।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८ पर जो कटौती का प्रस्ताव (संख्या ३४५) श्री बालमुकुन्द ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री सभापति : जो कटौती का प्रस्ताव (संख्या ३४२) श्री रामकरण सिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव (संख्या ३४४) श्री शिवचरणदास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय मुझे अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या ३६५ व ३६६) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने रखे हैं उनको वापिस लेने की अनुप्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है "कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०- कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०५,०२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

श्री पी० के० चौधरी : The demand was for Rs. 95,95,000/-

श्री सभापति : So far as the figures are concerned, these are the figures before me, and I do not know how far your figures are correct.

श्री पी० के० चौधरी : In the budget it is given 95,95,000/-.

श्री सभापति : The demand before me is for Rs. 1,05,02,000/-. I think this is the correct figure.

श्री पी० के० चौधरी : Chairman Sir, I have got this summary of

Page No.95

(श्री के० पी चौधरी)

the budget here. Agriculture, it is 95,95,000/- only and in the detailed budget also it is 95,95,000/-.

श्री सभापति How is this disparity ! The figure before me is Rs. 1,05,02,000/-.

श्री पी० के० चौधरी : I raised the point as soon as you announced.

श्री सभापति : Will Mr. Chaudhury come here and see the figures.

श्री पी० के० चौधरी : I am talking from the printed copy of the budget which I have got.

श्री सभापति : There might be just an error of printing. May I request the Hon. Member to see the Minister concerned and satisfy himself regarding the correct figures.

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : This is correct, Sir. The demand which I have already moved is the correct figure.

श्री श्रीभानसिंह : But the budget can be looked into, whether the demand is correct or not. If the budget figure is 95,95,000/- and if the Hon. Member has raised an objection, let us see the budget copy.

श्री सभापति : I may explain the whole situation and place the correct state of affairs before you. My feeling is that,......

श्री पी० के० चौधरी : Sir, I may explain the position. The demand No. 40 is for Rs. 95, 95,000/- whereas the amount which is shown under another Head is also voted here and the total is made to 1,05,02,000/ that means about 10 lakhs, we are going to doubly vote.

श्री सभापति : What is your objection really ?

श्री पी० के० चौधरी : My objection is that this demand is for Rs. 95,95,000/-

श्री सभापति : So you want a correction ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैंने जितने को डिमाण्ड मूव की है उतनी पास होनी चाहिए ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमेन महोदय, जो बजट के अन्दर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । वन करोड़ बजट में नहीं है तो इसको कैसे पूरा किया गया और वह सम कैसे एड किया । अभी मैंने पढ़ा तो उसमें फिजयरली यह है । Next year the estimate comes to 94,80,000/-.

श्री सभापति : Will you refer to page No. 14 of the budget and see.

श्री पी० के० चौधरी : I will explain. Under certain agriculture tiems they are spending in total Rs. 1,05,02,000/- and the difference between this amount and Rs. 95, 95,000/- has been charged in ano

(श्री पी० के चौधरी)

ther head also, and we will thus be voting twice for the same 10 lakhs. This House will vote twice, once under this Head and again under another Head, where it has been transferred.

श्री सभापति : According to your view point the demand is only for Rs. 95,95,000/- whereas in this the total has been given as 1,05,02,000/

श्री पी.के.चौधरी : That is wrong, Sir,

श्री सभापति : Order please! Let me explain Your objection is. that actually speaking the figures should have been 95,95,000/- but according to these figures the total should have been 1 crore and some lakhs which the Hon. Minister has put here as his demand for the sanction of this Assembly. The difference of about Rs. 10 lakhs between these two figures is the amount of recoveries from the Government. So I think the figure is quite correct.

कृषि मंत्री (नाथूराम मिर्धा) : On the point of double voting, I may say that we are purposely taking a double vote as it is required according to Audit rules. According to Audit rules we have to take double voting and, therefore, we are taking double voting and it is correct.

श्री पी० के० चौधरी : There cannot bedouble voting on the same amoount of about Rs. 10 lakhs which the House might have already voted in another Head and again we are voting here. So our total voting will be for an amount which is not intended.

कृषि मंत्री (नाथूराम मिर्धा) : He says that there can be no double voting but just now I consulted the Finance Secretary and he told me that double voting is essential and the Accountant General has also pointed out that double voting is essential in such cases.

श्री पी० के० चौधरी : Why double voting ? We will vote for the demand which has been shown here. We will vote for that and shall not for, what the Ffnance Secretary says.

श्री सभापति : Look here. The Hon. Minister has just explained that in occordance with the advice of the Finance Secretery & the Accountant General this system has been adopted. As this has been advised by the technical department, which are the Finance Department and the Accountant General, I think we should accept it now.

श्री पी० के० चौधरी : Hno. Chairman, Sir, I have given my reasons for it. I have raised a point of order, it is upto you to give a ruling. I am not to be guided by the advice of Finance Secretary if it goes against commonsense.

श्री सभापति : But you see, one thing I explained to you is that these are all technical matters and we must give credit for the explanation and view point of technical deplyrtment particualry concerned in this respect,and when the Finance Department and the Accountant General say that the budget should be like this.........In view of this explanation, I think the Hon. Member should have no doubts in this respect and should accept the demand as requested by the Honbele Minister.

श्री बी० एन० जोशी : On a point of information, Sir. Is the Finance Department or the Accountant General the last authority for the procedure to be followed in the House ?

श्री सभापति ; They are not authorities for procedure, but certainly on technical matters which concern the technical department just as Finance Department or Audit Department, certainly their viewpoint must prevail, in those matters.

श्री बी० एन० जोशी : Not regarding the procedure to be followed in the House. What you stated amounted to that.

श्री सभापति : It is not the question of procedure, it is correction of a particular figure and for this figure. I have explained to you the viewpoint of technical departments and we should accept their technical advice I am told that this also happens in other Legislatures, not only in our own Legislature but in all other Legislatures also. There fore, I request the Hon. Members to stop discussion now. The point has been more than once cleared.

श्री पी० के० चौधरी : I am not raising discussion, Sir. I have only pointed out an irregularity where a particular amount has been twice voted under two heads and as you know this House does not want to be a victim to such an irregularity by voting twice.

श्री सभापति : I hope after I have explained, the Hon Member should feel satisfied and I would request him not to continue discussion now.

श्री पी० के० चौधरी : I am not satisfied, Sir, with your ruling.

श्री सभापति, It is al right

४ १० म० प०

शेष मांगों पर मुखबंध

अब शेष समस्त मांगें एक साथ मत-दान हेतु रखी जा रही हैं।

मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन

श्री सभापति : प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के संबध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२२,७८,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३०- मुख्य शीर्षक ६३-ख सामुदायिक परियोजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६३ - ख - सामुदायिक विकास

(श्री सभापति)

परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा विकास निर्माण कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४३,००,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन के संबंध में ३१मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९३,९६,२००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक-५७ विविध

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७-विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,३३,५५,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९- जन स्वास्थ्य

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९-जन स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५२,५२,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ५४- दुर्भिक्ष

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ५४- दुर्भिक्ष के संबंध में, ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७३,५७,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या- २०, मुख्य शीर्षक '४२, सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३१,५०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ४१ पशु - चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग-संख्या १९ मुख्य शीर्षक ४१- पशु चिकित्साके संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५५,०४,०००)रु० तक की प्रदान राशि की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७- भू - राजस्व

प्रश्न यह है "कि मांग-संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री सभापति)

राज्यपाल महोदय को १,६१,४४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५४ खा, भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

श्री सभापति : प्रश्न यह है, कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५४-खा, भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १७,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग

श्री सभापति : प्रश्न यह है "कि मांग-संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६, वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १९,८२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४७—विविध विभाग

प्रश्न यह है "कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४७—विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४३,०४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है "कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी करके सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,६०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ९ स्टाम्पस

प्रश्न यह है "कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ९—स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,९०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ११—पंजीयन

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ११, पंजीयन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १२—वाहनों पर कर

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १२, वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री सभापति)

महोदय को ४,५०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १२-क
बिक्री कर

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १२-क, बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४७,३५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १३-अन्य
कर और महसूल

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १७-सिंचन,
नौचालन इत्यादि

I would repuest the hon. Members not to disturb when I am speaking.

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १७, सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण (वाणिज्य) कार्य-वाहक व्यय इत्यादि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७४,०६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७
न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३९,६५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २८
कारागृह तथा बन्दी बस्तियां

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २८, कारागृह तथा बन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३०,६०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०
नागरिक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

(श्री सभापति)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३७,२३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५१—ख—बहु प्रयोजन नदी योजनाएं

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५१—ख—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,२७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५५ अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५५, अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन इत्यादि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५८,८२,०००) रु० की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५६ लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५६, लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२,१६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६५—भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि-पूर्ति देय

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६५—भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,६०,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री सभापति)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,७५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१ — कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,१५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७२— औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ क समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,३६,०००) रु० तक राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक८२ — राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ८२- राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,२८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८३— निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८३- निवृत्ति वेतनों की संराशियों के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ८५—क— सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ८५- का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री सभापति)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५३,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।,

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षकता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ४०- मुख्य शीर्षकता, राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,३६;२३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय चेयरमेन, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल (नं० २) १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल नं० २ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाही है क्या उन्हें आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक २८ मार्च, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ५५ मिनिट पर दिनांक २८ मार्च, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, २७ मार्च, १९५८)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ५२१२

सूरजपोल हींदा की मोरी, जयपुर ।
मक्का की फसल ।
ग्राम पंचायतें–तहसील राजगढ़ (चूरू) ।
शाहपुरा–झुंझुनू सड़क ।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों का निर्माण, जिला पाली ।
शहरों व कस्बों के विकास के लिये लोन व सहायता के लिये दी गई धन राशि ।
दौसा में जल-कष्ट निवारण की व्यवस्था ।
आयुर्वेदिक कालेज, जयपुर ।
वायरलैस सेट की खरीद ।
नगरपालिका, नैनुआ ।
नगरपालिका, किशनगढ़ ।
वन लगाने सम्बन्धी योजना, हनुमानगढ़ ।
वृक्षारोपण ।
नगरपालिकाओं द्वारा की गई नियुक्तियां–।
जिला सवाईमाधोपुर ।
मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर ।
डाकुओं द्वारा व्यक्तियों का अपहरण ।
नगरपालिकाओं में प्रीविडेन्ट फंड स्कीम का लागू किया जाना ।
आयुर्वेदिक औषधालय, जिला पाली।
कृषि विभाग के कर्मचारियों का एकीकरण
नावां–रूपनगढ़ सड़क का निर्माण ।
पुलिस कर्मचारी संघ ।
नगरपालिका, राजाखेड़ा ।
जंगलों का मुआवजा
तोपखाना देश रोड, म्युनिसिपल एरिया, जयपुर ।
यातायात ओपरेटर गंगानगर ।

स्तम्भ

गांव लोड (देसूरी) के समीप नदी के कच्चे घेरे को पक्का बनवाना।
सिंचाई योजना बांसवाड़ा ।
लघु सिंचाई।
भारत सरकार द्वारा नागरिक रसद विभाग को घाटे की पूर्ति के लिये दी गई सहायता ।
अस्थायी परमिट यातायात।
लूनी नदी पर खेतड़ी का पट्टा बंधवाने संबंधी योजना ।
बेकारों की गणना व उनको काम दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था ।
नगरपालिका, गंगापुर सवाई माधोपुर के भवनों का लिया जाने वाला किराया।
तहसीलदारों व नायब–तहसीलदारों को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था ।
जयपुर–गंगापुर रूट।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ५२६७

श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक २७ मार्च, १९५८ से २ अप्रेल, १९५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर को उदयपुर में बन्दी बनाने सम्बन्धी सूचना ५२६८

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि उन्हें निम्नांकित सूचना जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट, झुंझुनू, कैम्प उदयपुरवाटी से प्राप्त हुई है :—

"Skri Jagdish Prasad Mathur r/o Sikar M.L.A. Rajasthan was arrested at 10 p.m. last night at Udaipur in ease F. I. R. No. 10 dated 23-3-58 u/s 353, 332. 148, 149, 307, IPC P. S. Udaipur."

अनुदानों की मांगों पर मतदान

१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय।

इस मांग पर की गई बहस का उत्तर श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप-मंत्री, उद्योग विभाग ने दिया। २० कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

उपरोक्त मांग की स्वीकृति के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य विधान सभा, को उनके अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार के कारण सदन के प्रांगण से बाहर जाने के आदेश दिये।

२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०–कृषि

यह मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर २१ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। मंत्री के उत्तर के पश्चात् १२ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

शेष मांगों पर मुखबन्ध

इसके पश्चात् मुखबन्ध (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई :

क्रम सं०	मांग सं०	मुख्य शीर्षक
१	१०	२५–सामान्य प्रशासन
२	३०	६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनायें. राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा विकास निर्माण कार्य
३	४	१०–वन
४	२६	५७–विविध
५	१७	३६–जन-स्वास्थ्य
६	२५	५४–दुर्भिक्ष
७	२०	४२–सहकारिता
८	१६	४१–पशु-चिकित्सा
६	१	७–भू–राजस्व
१०	२६	५४–ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते
११	१४	३६–वैज्ञानिक विभाग
१२	२२	४७–विविध विभाग
१३	२	८–राजकीय आबकारी कर
१४	३	६–स्टाम्पस्
१५	५	११–पंजीयन
१६	६	१२–वाहनों पर कर
१७	७	१२–का-बिक्री कर
१८	८	१३–अन्य कर और महसूल
१६	६	१७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण (वाणिज्य) कार्यवाहक व्यय
२०	११	२७–न्याय प्रशासन
२१	१२	२८–कारागृह तथा बन्दी बस्तियां

स्तम्भ स्तम्भ

२२ २३ ५०-नागरिक निर्माण कार्य

२३ २४ ५१-ख-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय।

२४ २७ ५५-अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्त वेतन।

२५ २८ ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

२६ ३१ ६५-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय।

२७ ३३ ७०-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।

२८ ३४ ७१-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाएं।

२६ ३५ ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

३० ३७ ८२-राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

३१ ३८ ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान।

३२ ३६ ८५-क-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

३३ ४० ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम।

विधायी कार्य

विधेयक की पुरःस्थापना

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५८ पुरःस्थापित किया।

शुक्रवार, दिनांक २८ मार्च, १६५८ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५८.

(२) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १६५८.

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६२१ का उत्तर देखिये)

List of roads proposed during the Second Five Year Plan in the Pali District.

S. No.	Name of Work.	Amount for Second Plan. Cost.	Mileage.
1.	Metalled road from Sumerpur to Abhore Via Takhatgarh	237	7
2.	-do- Kot to Dewair.	270	4
3.	Gravelled road bifurcating from Jodhpur Pali Road Mile 25 3/4 to Ahore.	168	26
4.	-do- from Pali to Bhadrajan Via Bhawari	10	1
5.	-do- Sadri to Pindwara Via Amlia.	10	-
6.	-do- Marwar Junction to Jojawar.	20	4
7.	Metalled road from Sojat Road to Phaulad Rly. Station.	110	4
8.	-do- Gogunda to Sadri.	100	2
9.	-do- Desuri to Kenpura	10	-
10.	-do- Jojawar to Kamlighat.	10	-
		946	48
11.	Approach road from Main road to Sumerpur Town.	23	1
		23	1
12.	Constn. of road from Somasar to Bushi including C. D. Works.	85	3 1/2
13.	Approach road to link Hemawas & Raipur With Pali Beawar Road.	243	10
		328	13 1/2

Page No.108

S. No.	Name of Work.	Amount for Second Plan. Cost.	Mileage.
14.	W & B/T of Pali Sumerpur Road.	62	12
15.	-do- -do-	60	6
16.	B/T of Jodhour Nimaj Road Via Bilara & Jaitaran.	369	31
		491	49
17.	M/R from Takhatgarh to Sanderao.	225	10
18.	B/T road from Sumerpur to Ahore Mile 14/0 to 30/0	50	4
		275	14
19.	B/T of Jodhpur Jalore Road Via Ahore.	300	20
		300	20

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६३२ का उत्तर देखिये)

प्लान्टेशन की सूची

डिवीजन	स्थान	क्षेत्रफल एकड़ों में
	सन् १६५६ प्लानटेशन	
बूंदी	लाखेरी	१००
,,	जैतपुर	१००
,,	छत्तरगंज	३०
,,	मांगली	७५
	योग :—	३०५
भरतपुर	सागरपाडा	२००
,,	गोवर्धन	२५
,,	डवका	४
,,	सरीस्का	१००
,,	राजगढ़ (मोजपुरा)	१०५
,,	घना	२००
	योग :—	६३४
टोंक	सोहेला	१००
,,	सरवाड	१००
	योग :—	२००
उदयपुर	बोरडी	१००
,,	थोर मगरा	२५
	योग :—	१२५
बांसवाडा	श्यामपुरा	१००
,,	सीमलवाडा	१००
,,	गढी	१००
	योग :—	३००
बांरा	हीरापुर	१००
,,	लालपुरा	१००
,,	गोबिन्दपुरा	१००

,,	छबरा	५०
,,	फूल बरोड	१००
,,	बालचा	१५०
,,	पलाईथा	१००
	योग :—	७००
कोटा	पांचोबीड	१००
	योग :—	१००
सिरोही	बाडाखेडा	१००
,,	पालरी	७५
	योग :—	१७५
जैपुर	किशनगढ़	१००
,,	रूपनगढ़	१००
,,	चौथ का बरवाडा	१२०
,,	भैंसलाना	१००
	योग :—	४२०
जोधपुर	पालीजोड	११०
,,	कालूजोड	२००
,,	व्यांस की बावडी	५०
,,	जोड बीड बीकानेर	२००
,,	गुढा एन्दला	२००
,,	घानेराव	१००
	देसूरी	१००
	योग :—	९६०
झालावाड	रेनबसेरा	७०
,,	मूडेरी	१००
,,	बसोदिया	५०
	योग :—	२२०
चित्तौडगढ़	गंगलास	१००
	योग :—	१००
अजमेर	—	—
	कुल योग :—	४२१६

डिवीजन	स्थान	क्षेत्रफल एकड़ों में
	सन १९५७ प्लानटेशन	
बूंदी	लाखेरी	१००
,,	जैतपुरा	१००
,,	मांगली	७५
		योग :— २७५
भरतपुर	सागरपाडा	२००
,,	भौजपुर	१००
,,	बरोड	१००
,,	मनढेरा	१००
,,	सरीस्का	२००
,,	घना	२००
,,	राजाखेडा	१५०
,,	भौंड	१४३
		योग :— ११९३
टोंक	सोहेला	१००
,,	सरवाड	१००
,,	टोरडी	१००
,,		योग :— ३००
उदयपुर	बोरडी	१००
,,	सज्जनगढ़	१००
,,	बडी	१००
,,	नीमचमाता	१००
,,	होरडा	५०
,,	खेरवाडा	१००
,,	हल्दी घाटी	५०
,,	कोटडा	१००
,,	अरनीया	१००
		योग :— ८००
बांसवाडा	श्यामपुरा	१००
,,	सीमलवाड़ा	१००

,,	गढ़ी	१००
,,	सागवाड़ा	१००
	योग:—	४००
बारां	खेरखेड़ी	१००
,,	कीवांई	१५०
,,	नालचा	५०
,,	पलाईथा	१००
	योग:—	४००
कोटा	माजी की बीड़	१००
,,	कुनाड़ी बीड़	१००
,,	कस्बा बीड	२००
	योग:—	४००
सिरोही	बनास	१००
,,	बाड़ाखेडा	१००
,,	पालडी	१००
	योग:—	३००
जयपुर	बांदीकुई	२००
,,	चौथ का बरवाड़ा	१००
,,	फतहपुर	२००
,,	सीकर	२००
,,	टी० बी० सेनेटोरियम	१००
,,	खेतड़ी	२००
,,	किशनगढ़	१००
,,	शहापुरा	१००
,,	डिगौता	१००
,,	भैंसलाना	१००
,,	बसी	२००
	योग:—	१६००
जोधपुर	पालीजोड़	२००
,,	मीनमाल	१००
,,	जोढ़ बीड बीकानेर	२००
,,	हनुमानगढ़	२००
,,	गुढ़ा पून्दला	१००
,,	हनुमानगढ़ (शहतूत)	२००

,,	बेड़ा	२००
,,	नाना	१००
,,	देसूरी	१००
	योगः—	१४००
झालावाड़ा	रैनबसेरा	१००
,,	मुडेरी	१००
	योगः—	२००
चित्तौडगढ़	गंगलास	१००
,,	मांडलगढ़	१००
	योगः—	२००
अजमेर	अरवर	१००
,,	लीरी	१००
,,	गुलाब बारी	१००
,,	राता कोट	१००
	योगः—	४००
	कुल योगः—	७८६८

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६४८ का उत्तर देखिये)

LIST OF WORKS IN BANSWARA DISTRICT.

(Minor Irrg. Works)

		Remarks
1.	Khamera tank.	Competed.
2.	Sarwari tank.	,,
3.	Chinch tank.	,,
4.	Dungra tank.	,,
5.	Makhanpura tank.	,,
6.	Dilwara tank.	,,
7.	Kushal.	,,
8.	Pandoli Gordhan tank.	,,
9.	Morli Nichli tank.	,,
10.	Akhapur tank.	,,
11.	Ladbo tank.	,,
12.	Badiwala tank at Bhamgara.	,,
13.	Khemera tank.	,,
14.	Sanwasa tank.	,,
15.	Barwas tank.	,,
16.	Sukhi sali tank.	,,
17.	Vanela tank.	,,
18.	Chokla tank.	,,
19.	Kupda tank.	,,
20.	Goreli tank.	,,
21.	Bagi Dora tank.	,,
22.	Payela tank at Talwas.	,,
23.	Waliwala tank.	,,
24.	Ghator pick-up weir I.	,,
25.	,, ,, ,, II.	In Progress.
26.	Haro Project.	Lying breached, work not
27.	Sarvania.	being done at Present.

MEDIU WORKS.

N I L

M A J O R W O R K S.

1.	Mahi Project.	Under sanction of Central Water & Power Commission.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ मार्च, १६५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५२१६	७	और भी बाकी है	और भी बाकी हैं
५२२१	अंतिम से १२	transmittor sets	transmitter sets
५२२३	५	or aftar wards	or afterwards
५२२७	अंतिम से ८	जहां एक कॉमर्शिलय	जहां एक कॉमर्शियल
५२३१	४	गवर्वमेंट (डिप्लोमा)	गवर्नमेंट डिप्लोमा
५२६०	४	उनको कम दिये	उनको काम दिये
,,	१२	अशक्षित बेकारों	अशिक्षित बेकारों
५२६६	अन्तिम से ८	रिद्धिचन्द	श्री रिद्धिचन्द
५२७२	२	यह निवेदन करना करदूं	यह निवेदन करदूं
,,	अंतिम से ७	·········यह निवेदन	तो मैं यह निवेदन
,,	अंतिम पंक्ति	जरूर·········राज्य सरकार	जरूर गड़बड़ी राज्य सरकार
५२७४-७५	शीर्ष	-२७ मार्च, ८-	-२७ मार्च, ५८-
५२८१	अन्तिम से १०	अपने मित्र २।	अपने मित्र २
५२८६	११	हुईकोर्ट में कार्यवाही	हाईकोर्ट में कार्यवाही
५२६०	१२	चाहते हैं वे कुछ स्पिन्डल्स	चाहते हैं वे कुछ स्पिन्डल्स
,,	१८	गवर्नमेंट ऑफ इन्डिय	गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया
५२६१	अन्तिम से १०	रॉ मेरीरियल है	रॉ मेटीरियल है
५२६६	१८	सब-सीडी १,५०,०००	सब्सिडी १,५०,०००
५२६७	११-१२	लेवल पर गड़बड़	लेवल पर कुछ गड़बड़
५२६८	२१	यह आपका कौइटेकिया	यह आपका कैफ्टेरिया
५३०२	११	जो स्कीम और	जो कुछ स्कीम
५३१२	३	कटौत प्रस्ताव	कटौती प्रस्ताव
,,	५	Shri P. K. Chowdhri	Shri P. K. Chow dhri
,,	८	pleaseresume your	please resume your
,,	अन्तिम से ३	डिपाटमेंट की	डिपार्टमेंट की
५३१५	८-६	कुछ नहीं कहेंगे वापिस	कुछ नहीं कहेंगे, वापिस
,,	१०-११	उप-ध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
,,	अन्तिम से १३	and uses. which	and uses which
५३१६	६	बड़ा अन्यय है	बड़ा अन्याय है
५३१८	११	शहर के अन्दरी	शहर के अन्दर
,,	१५	व्यापार में मन्द	व्यापार में मन्दी

१	२	३	४
५३१६	अन्तिम से २ व १	इस संबंध पूर्ववत्	इस सम्बन्ध में पूर्ववत्
५३२०	१२	Hon. Member!	Hon. Member
५३२२	५	या लेत हूं	या लेता हूं
,,	१४	श्री मरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
५३२३		श्री मुरलीधर ब्यास	श्री मुरलीधर व्यास
५३२६	१४-१५	Coopative and	cooperative and
५३३१	अन्तिम से ३	स सरकार	से सरकार
५३३२	१७	make a begin	make a begining.
५३३३	५	ग्रीन मेयोरिंग	ग्रीन मेन्योरिंग
५३३७	२७	विभाग की ओर से	विभाग की ओर से
५३३८	२	लेकन यस	लेकिन यह
५३४०	१०-११	जो फेसेलिटीज दी जा सकती है	जो फेसीलिटीज दी जा सकती हैं
५३४४	६	सम्भवतः इसमें प्रति	सम्भवतः इसमें प्रगति
३३५६	५	एग्रीकलचर के	एग्रीकल्चर के
,,	अन्तिम से ६	लेकन प्रत्यत्न	लेकिन प्रयत्न
५३५८	२०	"कारसा थकां	"करसा थांका
,,	२३	मिलें न टुकड़ां	मिले न टुकड़ो
५३५६	१२	ह, लेकिन उनको खाने को अन्न	हैं, लेकिन उनको खाने को अन्न
५३६१	अन्तिम से ७	चेयेरमेन साहब	चेयरमैन साहब
,,	,, ,, ५	एसी व्यवस्था	ऐसी व्यवस्था
५३६५	१७	हुए हते हैं	हुए होते हैं
५३६६	१०	आवश्यक बीज	आवश्यक चीज
५३७१	६	मननीय सभापतिजी मेरा	माननीय सभापतिजी मेरा
		तीसरा कटौत	तीसरा कटौती
,,	६	स्थानांतरत नही	स्थानांतरित नहीं
,,	१४	और प्रात में	और प्रांत में
,,	१६	बीच में सुधार	बीज में सुधार
,,	अन्तिम से ३	माननीय मंत्रीजी	माननीय मंत्रीजी
५३७७	१६	देती....,	देती है,
,,	अन्तिम से २	वाहे अजमेर	चाहे अजमेर
५३७६	शीर्ष	जो बी मुहैया	जो चीज मुहैया
५३८३	८	श्री नाथुराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	२०	श्री श्रीमानसिंह	श्री श्रीमानसिंह
५३६२	२	प्रकार से ट के लिये	प्रकार से रेंट के लिये

१	२	३	४
५३६२	अन्तिम से २	प्रोडक्शन वढ़ेगा	प्रोडक्शन बढ़ेगा
५३६४	६	समस्याए हैं	समस्याएं हैं
५३६५	८	लेवोरेटरी का	लेबोरेटरी का
,,	अंतिम से २	में	मैं
५४२०	१	Skri Jagdish Prasad	Shri Jagdish Prasad
,,	१०	उद्योग और प्रदाय	उद्योग और प्रदाय–५२६६
,,	१२	४०–कृषि	४०–कृषि–५३२६
,,	४	शेष मांगों पर मुलबंध	शेष मांगों पर मुलबंध
५४२२	अंतिम से ३	राजस्व लेखे	राजस्व लेखे ५४०५
५४२३	८	विधेयक की पुरःस्थापना	विधेयक की पुरःस्थापना ५४१६
५४३०	४	झालावाड़ा	झालावाड़

—